खण्ड-411, अंक-5
बुधवार, 23 चैत्र, शक संवत् 1916
(13 अप्रैल, 1994 ई0)

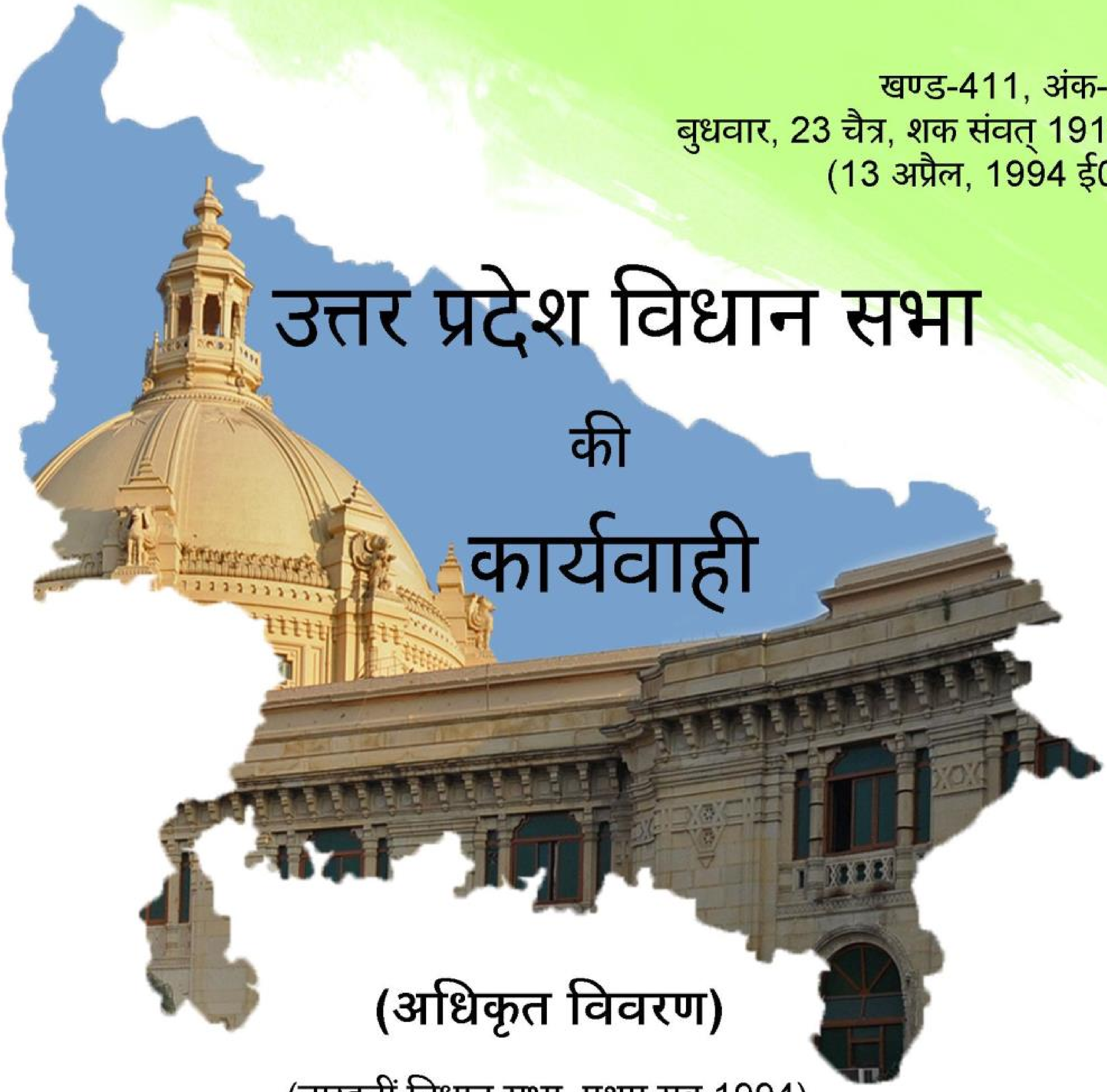

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय

उपस्थित सदस्य ... ...

डंकल प्रस्ताव से संबंधित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग ... ...

प्रश्नोत्तर ... ...

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ...

उ० प्र० लघु सिंचाई विभाग में आरक्षित अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर सामान्य श्रेणी के अभियन्ताओं को पदोन्नति किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

वाराणसी के औराई क्षेत्रान्तर्गत डिघवत व हडौरा नाले पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

जनपद उन्नाव के पुरवा रोड से रायपुर बुजुर्ग एवं अन्य कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...

वाराणसी में कमनगहा व जैनपुरा स्थित बूचड़खाना अन्यत्र स्थानान्तरित करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... 8.

जनपद बिजनौर के ग्राम ताजपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... 85–8.

वाराणसी विद्युत परिषद् द्वारा समुचित विद्युत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 86

जनपद प्रतापगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 86

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं 86

उ प्र० में दिल्ली सीमा से लगे कई सौ एकड़ क्षेत्रफल में बसी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को समुचित सुविधाओं से सम्पन्न ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में विकसित कराये जाने विषयक श्री सविन्दर सिंह बजवा आदि की याचिका ..... (उपस्थित की गयी) 87

जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली के अन्तर्गत ग्रामा बरावां में स्थित हौदा तालाब के जल निकासी हेतु पक्की ड्रेन बनवाने के संबंध में श्री रामधीरज मौर्य आदि की याचिका ..... (उपस्थित की गयी) ... 87

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमनगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था करने विषयक श्री राम लोटन तिवारी आदि की याचिका..... (उपस्थित की गयी)...	87–88
प्रदेश के चौदह विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव.... (स्वीकृत)	88–89
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगने प्रस्ताव की सूचनाएं	89–90
डंकल प्रस्ताव विषयक सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न.....(जारी) ...	90–96
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994..... (जारी) ...	96–168
डंकल प्रस्ताव विषयक सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	169–176
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994..... (पारित) ...	176
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	176–177
अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ...(स्वीकृत) ...	177
अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) ...स्वीकृत) ...	177–178
अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	178
अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत) ...	178–179
अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) ..... (स्वीकृत)	179
अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) .....(स्वीकृत) ...	179–180
अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग .....(स्वीकृत)	180
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	181
श्री प्यारे लाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम नगलनिधि, थाना रामघाट, जनपद बुलन्दशहर के साथ पुलिस द्वारा अत्याचार विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	182–183
नत्थी.....	184

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरियाँ
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	नरेन्द्र सिह, श्री	मेरठ
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
उदय प्रकाश, श्री	हमीरपुर	बंशीधर, श्री	नैनीताल
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार	महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई)	पिथौरागढ़
जगरनाथ चौधरी, श्री	जौनपुर	माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
जवाहर यादव उर्फ पंडित जी	इलाहाबाद	मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल		मोहर सिंह, श्री	सहारनपुर
उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर	रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर	
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ	उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
रेखा छागला, श्रीमती	इटावा
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 1994

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ ।

डंकल प्रस्ताव से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर]

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी है । डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत होने जा रहे हैं । इस पर चर्चा करायें । (शोर)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है और 15 तारीख को डंकल जैसे घिनौने प्रस्ताव पर दस्तखत हो जायेंगे तो आदरणीय सदन की जो मंशा है उसका कोई मतलब नहीं रह जायगा । इसलिये मैंने गैर सरकारी संकल्प के रूप में दिया है जो शलाका में आ गया है । आपने इस प्रस्ताव के संबंध में अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी है । आपकी व्यवस्था के बारे में हम जानना चाहते हैं, हम उससे वंचित रह गये हैं इसलिये आज नियम 311 के अन्तर्गत प्रार्थना की है कि थोड़ा समय निकाल कर इस पर चर्चा अवश्य करायी जाय । आप कहेंगे कि कार्य-मंत्रणा समिति ने तय नहीं किया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 311 का तात्पर्य है, नियमों को निलम्बित करके विषय को लिया जाय । आप नियमों को निलम्बित करके डंकल जैसे घिनौने प्रस्ताव पर चर्चा करायें और केन्द्र सरकार इसे अमान्य कर दे । मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर चर्चा करा दें । भारतीय जनता पार्टी के 50 से अधिक सदस्यों ने इस पर चर्चा कराने की मांग की है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा निवेदन भी सुन लें । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों को समाप्त हो जाने दीजिये उसके बाद इस संबंध में मैं व्यवस्था दूंगा । (शोर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर 15 तारीख बीत गयी तो आपकी व्यवस्था बेकार हो जायगी ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी हर विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है । अभी तक यह अयोध्या को मुद्दा बनाये रही और उसमें असफल होने पर अब यह डंकल की बात कर रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण कर लें । मुझे अवसर तो दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आज भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल हो चुकी है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करियेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा सवाल ले लीजिये, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, डंकल प्रस्ताव के विरोध में जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, उस पर तुरन्त सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय, क्योंकि आज 13 तारीख है 14 तारीख को छुट्टी है और 15 तारीख को इस राष्ट्रीय विरोधी जन विरोधी किसान विरोधी काले कानून पर केन्द्र सरकार हस्ताक्षर करने जा रही है । मान्यवर, इस पर अविलम्ब चर्चा कराई जाय ताकि सदन की भावनाओं से केन्द्र सरकार को अवगत किया जा सके । देश को गुलामी से रोका जा सके ।

(भारतीय जनता पार्टी, जनता दल एवं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य खड़े होकर व्यवधान के मध्य बोलते रहे, जोकि स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करियेगा ।

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक वस्तुओं के दाम नीति निर्धारित किये जाने की मांग

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के उपभोक्ता के हितों के संरक्षण तथा आवश्यक वस्तुओं को उचित कीमत कायम रखने हेतु एक सुनिश्चित दाम-नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो दाम-नीति के क्या-क्या मुख्य बिन्दु होंगे तथा प्रदेश में दाम-नीति कब से लागू हो जायेगी ?

---

† उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत शेषसभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराती है । ये वस्तुएं गेहूं, चावल, चीनी एवं मिट्टी का तेल है जिनका आवंटन एवं मूल्य निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । राशन की दुकानों के अतिरिक्त खुले बाजार में जो वस्तुएं मिलती हैं उनका मूल्य निर्धारित करने की कोई नीति नहीं है । खुले बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर विभिन्न प्रवर्तन आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है जिससे जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दाम बांधो नीति की बचनबद्धता दोहराई है और डा० लोहिया जी भी दाम बांधो नीति की वकालत करते थे । मैं फिर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस दाम बांधो नीति के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा कारखानों के उत्पादन में और खाद्य के उत्पादन में क्या अनुपात होना चाहिए ?

(भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और माननीय सत्य प्रकाश विकल के अनुरोध पर वे अपने-अपने स्थान पर चले गये और अपने-अपने स्थान से नारा लगाते रहे– "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नही चलेगी ।")

श्री अध्यक्ष–

मैं विधान सभा की कार्यवाही 12.20 तक के लिये स्थगित कर रहा हूं ।

(इस समय 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

उ० प्र० नगर विकास विभाग का भंगी मुक्ति योजनान्तर्गत सुलभ इन्टरनेशनल को दिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र

**2–श्री तेजभान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग का भंगी मुक्ति योजना के अन्तर्गत लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपया 5 व 6 वर्षों से सुलभ इंटरनेशनल पर बकाया है ? यदि हां, तो उस धनराशि की वसूली कब तक करायी जायेगी ? क्या उक्त संस्था को ब्लैक लिस्ट किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? सुलभ इण्टरनेशनल पर 2 करोड़ 20 लाख रुपया बकाया होने के बाद भी संस्था को नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन० ओ० सी०) कैसे मिला ? क्या निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा भंगी मुक्ति योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालय परिवर्तन कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि बकाया नहीं है, इसलिये एन० ओ० सी० दिया गया ।

जी नहीं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु "बाल संजीवन एवं सुरक्षित मातृत्व" नीति

*1–श्री बदन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य सुधार विषयक कोई नीति अपनाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रदेश में गत 5 वर्षों में बालक मृत्यु की प्रतिशत घटी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितनी ? क्या अगले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत बालक-मौत की दर घटाने के लिये कोई उपाय सरकार करेगी ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां । बच्चों के स्वास्थ्य सुधार विषयक एक नई नीति "बाल संजीवन एवं सुरक्षित मातृत्व" प्रदेश में वर्ष 1992-93 से अपनाई जा रही है ।

यह योजना चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सन् 1985 में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्म दर 140 थी जो वर्ष 1988 में घटकर 124 प्रति हजार हो गयी और वर्ष 1992 में 98 प्रति हजार है ।

जी हां ।

उ० प्र० के राजकीय अंशकालीन कूप चालक के पदों को नियमित किये जाने की मांग

*2–श्री योगेन्द्र कुमार सागर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में अंशकालीन कूप चालक जिनकी संख्या लगभग 24,000 है, के पद को नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० के राजकीय अंशकालिक नलकूप चालकों के संबंध में वर्तमान व्यवस्था में फिलहाल किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

अंशकालिक नलकूप चालकों का वेतन/मानदेय

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अंशकालिक नलकूप चालकों (नलकूप सहायकों) की सेवा शर्तें क्या हैं तथा संयत वेतन/मानदेय के रूप में कितना पैसा मासिक अनुमन्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अंशकालीन नलकूप चालकों (नलकूप चालकों) की सेवा शर्तें इस प्रकार हैं कि :—

(1) वह उसी ग्राम का अथवा उसके कमाण्ड क्षेत्र का निवासी होगा जिस ग्राम में नलकूप सिंचाईरत है ।

(2) उन्हें नलकूप पर प्रतिदिन मात्र ढाई घण्टे की कार्य-अवधि के लिये निर्धारित समय अनुसार कार्य करना होता है और शेष समय में अपना निजी व्यवसाय अथवा आजीविका के लिये वह स्वतंत्र है ।

(3) उसकी नियुक्ति सामान्यतः 3 वर्ष के लिये की जाती जिसके बाद कार्य संतोषप्रद रहने पर उनको इसी प्रकार से 3-3 वर्ष के लिये पुनः सेवा का अवसर दिया जाता है ।

अंशकालिक नलकूप चालकों (नलकूप सहायकों) को मानदेय के रूप में प्रतिमाह रुपये 550/- एवं फसल के अन्त में नलकूपों के सिंचाई घण्टे के अनुसार प्रोत्साहन राशि अनुमन्य है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम सभा सिरसेड़, पट्टी कडाकोट, विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में इन्दिरा आवासों के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी तथा अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति

1–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि ग्राम सभा सिरसेड़, पट्टी कडाकोट, विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में इन्द्रा आवास का निर्माण किसके द्वारा किया गया ? क्या सभी इन्दिरा आवास सही हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन इन्दिरा आवासों को गलत ढंग से बनाये जाने एवं क्षतिग्रस्त होने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

वर्ष 1985-86 में ग्राम सभा सिरसेड़, पट्टी कडाकोट, विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में 6 इन्दिरा आवासों का निर्माण कार्य लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया गया था। आवास निर्माण के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अवर अभियन्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी को सौंपी गयी थी।

सभी आवास सही हालत में नहीं हैं क्योंकि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था।

प्रश्नाधीन आवासों की प्राथमिक जांच में पर्यवेक्षण में शिथिलता के लिये तत्कालीन तीन अवर अभियन्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित किया गया किन्तु जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया तथा ग्राम पंचायत अधिकारी व अवर अभियन्ता के विरुद्ध जनपद स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर दी गयी है।

आगरा भूगर्भ जल निगम के खण्डीय कार्यालय में सहायक भूभौतिक विद के रिक्त पदों को भरने की मांग

*2–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में भूगर्भ जल विभाग का खण्डीय कार्यालय नवम्बर, 1991 में स्थापित हो गया है ? यदि हां, तो उस कार्यालय में अभी तक कोई भूभौतिक विद नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि वहां इस कार्यालय में खारे पानी या पठारी क्षेत्रों को जल उपलब्धता का पता लगाने के लिये आधुनिक कम्प्यूटराइज्ड किस्म के राजस्ट्रीविटी मीटर भी भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस उपकरण से अधिकतम उपयोग न कर जनपद को लाभ से वंचित रखने के लिये कौन दोषी है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां। भूभौतिकीय सर्वेक्षण खण्ड, आगरा में वरिष्ठ भूभौतिक विद का एक पद तथा सहायक भूभौतिक विद के तीन पद सृजित हैं। वरिष्ठ भूभौतिक विद का पद भरा हुआ है। सीधी भर्ती के पदों पर आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा पदोन्नति कोटे के पदों को भरने के लिये अभी सेवा नियमावली प्रख्यापित न होने के कारण सहायक भूभौतिक विद के पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की कार्यवाही चल रही है।

जी हां।

इस उपकरण का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है और अधिकांश सर्वेक्षण आगरा जनपद में किये गये हैं। अतः जनपद को इसके लाभ से वंचित रखने के लिये कोई दोषी नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपात्र कर्मचारियों को अनियमित एरियर का भुगतान

*3–श्री मोहर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य विभाग में शासनादेश सं०–2076/ब्रांच–13-93 जी (25)/88, दिनांक 22-5-93 के अन्तर्गत अपात्र कर्मचारियों को लाखों रुपये का अनियमित एरियर का

भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित भुगतान से सरकार पर कितने करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ा है ? क्या सरकार दोषी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से अनियमित भुगतान की उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शासनादेश का त्रुटिपूर्ण अर्थ लगाये जाने के कारण निम्नलिखित जिलों में उनके सम्मुख अलंकित धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया है :–

1–अलीगढ़	1,50,404-00
2–मैनपुरी	21,449-00
3–गोरखपुर	12,747-00
4–खीरी	35,036
5–सीतापुर	1,25,659-00
6–सहारनपुर	2,53,554-65
7–बलिया	5,751-00
8–एटा	63,137-00
कुल रुपया ...	6,67,737-65

भुगतान की गई धनराशि संबंधित कर्मचारियों से वसूल कर कोषागार में जमा कराने के आदेश दिनांक 1-2-94 को संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को दे दिये गये हैं।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व

*4–श्री ओम प्रकाश पासवान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पदों पर पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कम है ? यदि हां, तो उसे पूर्ण कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ? सम्प्रति वहां पिछड़ी जाति के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है ? क्या यह भी बतायेंगे कि रिक्ति के पद के विरुद्ध पिछड़ी जाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ? उक्त विभाग में पिछड़ी जाति के लिये विद्यमान पद में आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पदों पर पिछड़ी जाति के प्रतिनिधित्व का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणी	दि० 30-11-87 के पूर्व नियमानुसार सृजित पदों की संख्या	दि० 30-11-87 के पश्चात बिना शासन की स्वीकृति के परिषद् स्तर से सृजित पदों की संख्या	योग	कुल कार्यरत	पिछड़ी जाति के प्रतिनिधित्व की संख्या
एक	31	24	55	35	05
दो	92	44	136	73	12
तीन	2410	296	2706	2434	472
चार (सफाई कर्मी छोड़कर)	2599	84	2683	2635	841
कुल योग	5132	448	5580	5177	1330

कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुल कार्यरत के विरुद्ध :–

श्रेणी–एक में	14.28%
श्रेणी–दो में	16.43%
श्रेणी–3 में	19.39%
श्रेणी–चार में	31.9%

कुल कार्यरत के विरुद्ध :–

श्रेणी–एक में	05/14.28%
श्रेणी–दो में	10/13.7%
श्रेणी–3 में	141/5.79%
श्रेणी–चार में	452/17.15%

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रेणी एक में सभी पद पदोन्नति के होने के कारण इसमें पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं बनता है। कार्यरत में पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध श्रेणी–2 में 02, श्रेणी–3 में 331 तथा श्रेणी–4 में 389 कर्मचारी पिछड़ी जाति के कार्यरत हैं जिनका प्रतिशत पूर्व अनुमन्य आरक्षण के अनुरूप 15% है।

जनपद कानपुर के मूसानगर में पाइप उतार कर वापसी के समय सड़क दुर्घटना में भूगर्भ जल विभाग के श्री लाल सिंह की मृत्यु

*5–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल विभाग के श्री लाल सिंह, चालक, ट्रक सं०–यू० पी० 42/2258 का दिनांक 31-8-92 को थाना–सचेंडी के निकट कालपी रोड, कानपुर पर एक्सीडेंट हो जाने के कारण देहान्त हो गया और श्री प्रमोद गंगवार, अवर अभियन्ता, खंण्ड प्रथम, लखनऊ गम्भीर रूप से घायल हो गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त ट्रक कानपुर से पाइप लेकर पुखरांया, कालपी रोड पर निर्माणाधीन निजी नलकूप, जो श्री प्रमोद गंगवार की देखरेख में बन रहा था, के कार्य स्थल पर पाइप उतार कर वापस आ रहा था, यदि हां, तो उक्त श्री गंगवार, किस अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्यरत हैं ? उक्त निजी नलकूप किस अधीक्षण अभियन्ता के आदेश से बनाया जा रहा था ? क्या सरकार संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित करके मामले की सी० आई० डी० से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां।

जी नहीं। उक्त ट्रक कृषक श्री रोशनलाल की साइट ग्राम सहाबापुर में निर्मित नलकूप हेतु मूसानगर में पाइप उतारकर वापस आ रहा था।

अधीक्षण अभियन्ता (या०), भूगर्भ जल अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड (प्रथम), लखनऊ के अधीन कार्यरत हैं।

उक्त निजी नलकूप किसी अधीक्षण अभियन्ता के आदेश से नहीं बनाया जा रहा था।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

[बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मदन गोपाल वर्मा–

[8वें मंगल में ता० प्र० सं०–19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तरांचल विकास विभाग को वित्तीय स्वीकृति से संबंधित पूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाने की मांग

*2–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल विकास विभाग को नियोजन करने के आधार के साथ-साथ वित्तीय अधिकार न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उत्तरांचल विकास विभाग

को वित्तीय स्वीकृति का अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह वित्तीय अधिकार प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तराखण्ड विकास विभाग को वित्तीय स्वीकृति से संबंधित पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है । चालू योजनाओं की स्वीकृति का, अनुदान और ऋण को छोड़ कर, अधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त सामान्य लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन/पुनर्वितरण के भी अधिकार प्राप्त हैं । वर्तमान स्थिति में आयोजनागत पक्ष की वित्तीय स्वीकृतियों के जारी करने में हर सम्भव विलम्ब को कम करने का सक्रिय प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना, विकास खंड बल्दीराय के ग्राम मल्लाहन पुरवा को गोमती नदी के कटान से बचाने की योजना

*3–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम असरफपुर, वि० खं बल्दीराय, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर गोमती नदी के लगातार कटान से खतरे की स्थिति में आ गया है ? यदि हां, तो इस पांच हजार आबादी के गांव को नदी के कटान से बचाने के लिये क्या सरकार ने कोई, योजना बनाई है ? यदि हां, तो विभाग इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ग्राम असरफपुर कटान से प्रभावित नहीं है । उक्त ग्रामों का केवल मल्लाहन पुरवा जिसमें लगभग 25 कच्चे मकान एवं झोपड़ियां हैं, गोमती नदी के कटान से प्रभावित होने की स्थिति में है ।

जी नहीं । कटान निरोधक कार्य केवल नगरों तथा घनी आबादी वाले ग्रामों की श्रृंखला हेतु ही किया जाता है ।

केन्द्र सरकार द्वारा सहमति प्राप्त "डंकल" प्रस्ताव के प्राविधानों में कृषि रोजगार/उद्योग हित के परिपेक्ष्य में सरकार का दृष्टिकोण जानने की मांग

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा सहमति प्राप्त "डंकल" प्रस्ताव के प्राविधानों को विशेषकर कृषि रोजगार तथा उद्योग हित के (राज्य में) परिपेक्ष्य में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नहरों तथा राजबाहों की सफाई शासनादेश के निहित प्रक्रिया अनुसार, श्रमिक मुखिया के माध्यम से करवाया जाना

*5–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहरों तथा राजबाहों की सफाई हेतु शासन की नीति क्या है ? क्या इस नीति के अनुसार नहरों की सफाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या केवल अभिलेखों में ही नहरों.राजबाहों की सफाई करना दर्शाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकार द्वारा दंडित किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नहरों तथा राजबाहों की सफाई शासनादेश संख्या–5259/91-27-सिंचाई–4, दिनांक 3-10-91 में निहित प्रक्रिया अनुसार यथा सम्भव श्रमिक मुखिया के माध्यम से करवाया जाता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के फतेहपुर सीकरी के कतिपय ग्रामों के कृषकों द्वारा निर्मित नलकूप के उपरान्त सरकारी अनुदान न दिया जाना

*6–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के बोसाना पेड़ा बाट, मल्शी मिर्जा खां तथा डाबर पठारी गांव में निजी ठेकेदारों द्वारा पहाड़ तोड़ने की रिंग मशीन से कृषकों ने पिछले दो वर्षों में लगभग तीन दर्जन सफल नलकूप करवा लिये हैं ? यदि हां, तो उन कृषकों को अभी तक सरकारी अनुदान क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत निजी एजेन्सी द्वारा रजिस्ट्रेशन न कराने के कारण नहीं दिया गया ।

*7–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दि० 2-3-94 को ता० प्र० सं०–2 (नत्थी ख) द्वारा उत्तरित]

पौड़ी जिला योजना में पेयजल की व्यवस्था के लिये जल निगम के परिव्यय की कटौती

*8–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1993-94 में पौड़ी जिला योजना में पेयजल की व्यवस्था के लिये जल निगम का कितना परिव्यय तथा कितना धन निर्गत किया गया है ? क्या जल निगम के परिव्यय में कटौती की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्तीय वर्ष 1993-94 में पौड़ी जिला योजना में पेयजल की व्यवस्था के लिये जल निगम का 900 लाख रु० का परिव्यय आवंटित किया गया था । उक्त परिव्यय के विरुद्ध कुल 594.80 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की गयी है ।

उत्तराखण्ड विकास योजना के कुल आवंटित परिव्यय रु० 408.08 करोड़ में वर्ष के दौरान प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कमी की गयी और उत्तराखण्ड विकास योजना वर्ष 1993-94 का कुल परिव्यय 379.20 करोड़ रु० तक ही सीमित किया गया । फलस्वरूप पौड़ी की जिला योजना में पेयजल की व्यवस्था के लिये स्वीकृतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

परिवार कल्याण बजट में भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सम्पूर्ण देयकों के भुगतान में विलम्ब

*9–श्री मोहर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 92-93 के परिवार कल्याण बजट में आवश्यक धन की व्यवस्था न होने के कारण नगर महापालिकाओं एवं अर्धसरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाने हेतु अनुदान उपकेन्द्रों के मकान मालिकों के किराये, पार्ट टाइम दाइयों के वेतन, जन स्वास्थ्य रक्षकों के मानदेय, कर्मचारियों के यात्रा बिलों का भुगतान तथा ग्रामीण उपकेन्द्रों पर दवाओं की व्यवस्था नहीं की गयी ? क्या 93-94 के परिवार कल्याण बजट में भी इनके लिये आवश्यक धन की व्यवस्था नहीं है ? क्या 92-93 के बकाया व 93-94 के देयों के भुगतानों तथा उपकेन्द्रों पर दवाओं की व्यवस्था हेतु आवश्यक धन इसी वित्तीय वर्ष 93-94 में उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पुरोनिधानित योजना है । वर्ष 1992-93 में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर कुल वास्तविक व्यय रु० 1,36,68.89 लाख हुआ था, जिसके सापेक्ष भारत सरकार से मात्र रु० 1,12,86.46 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी । भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता न प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण देयकों का भुगतान सम्भव नहीं हो सका ।

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 में वर्ष 1992-93 के अवशेष देयों सहित कुल रु० 196.93 करोड़ का व्यय अनुमानित था, जिसके सापेक्ष भारत सरकार से मात्र रु० 1,19,53.77 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिससे वित्तीय वर्ष 1993-94 में भी सम्पूर्ण देयकों का भुगतान सम्भव नहीं था।

जनपद गाजियाबाद जिला अस्पताल द्वारा रैम्प का निर्माण, अधूरे वार्डों की मरम्मत तथा ब्लड बैंक भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव

*10–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में अन्तः रोगियों की संख्या के संबंध में कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या गाजियाबाद के एम० एम० जी० जिला अस्पताल, गाजियाबाद में अन्तः रोगियों के लिये स्थान उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या गाजियाबाद के उक्त जिला अस्पताल में प्रथम मंजिल पर दो वार्डों के लिये भवन बने हुए हैं ? यदि हां, तो वे भवन कब बनाये गये थे ? क्या शासन को उक्त जिला अस्पताल के प्रथम मंजिल पर स्थित वार्डों के रिन्यूवेशन के लिये 10 लाख रु०, प्रथम मंजिल तक मरीजों को ले जाने के लिये रैम्प के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये व ब्लड बैंक हेतु 6 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? क्या शासन गाजियाबाद जनपद की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर धन उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक उक्त धन उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जिला पुरुष चिकित्सालय में 156 तथा जिला महिला चिकित्सालय में 63 शैय्यायें उपलब्ध हैं।

जी हां। प्रश्नगत भवन वर्ष 1956 में बनाये गये थे।

उक्त जिला चिकित्सालय के संबंध में निम्न प्रकार प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं :—

1–भूतल से प्रथम तल तक रोगियों को ले जाने के लिये रैम्प का निर्माण।

(वांछित धनराशि 5,02,286 रु०)

2–प्रथम तल पर अधूरे वार्ड की मरम्मत।

(वांछित धनराशि 10,66,987 रु०)

3–ब्लड बैंक के भवन का निर्माण।

(वांछित धनराशि 8,93,000 रु०)

जी हां।

प्रस्तावों हेतु धनराशि की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, अतः इस हेतु कोई निश्चित तिथि दिया जाना सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के फार्मासिस्टों द्वारा लाइसेन्स किराये पर देने के संबंध में ठोस निर्णय की घोषणा की मांग

*11–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में फुटकर बिक्री हेतु मेडिकल स्टोर के प्रत्येक लाइसेन्स धारक को फार्मासिस्ट रखने की अनिवार्यता है ? क्या उक्त व्यवसाय पूर्ण रूप से शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है ? क्या यह सही है कि जितनी मात्रा में प्रदेश में फुटकर मेडिकल स्टोर हैं उतनी मात्रा में फार्मासिस्ट उपलब्ध न होने के कारण एक-एक फार्मासिस्ट द्वारा कई-कई जनपदों में अपने लाइसेन्स प्रतिमाह किराये पर दे रखे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अपनी पूर्व की नीति पर उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर किसी ठोस निर्णय की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*12–श्री छोटे लाल

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद सीतापुर में कार्यरत जनस्वास्थ्य रक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में कार्यरत जनस्वास्थ्य रक्षकों को विगत कई महीने से मानदेय नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो मानदेय कब तक बांट दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

भारत सरकार की सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदर्शक योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में रु० 50 प्रतिमाह के मानदेय पर 2346 जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत हैं । इन स्वास्थ्य रक्षकों को वर्ष 1992-93 व 1993-94 में रुपये 28,15,200 की आवश्यकता थी । इसके विरुद्ध उक्त वर्षों में भारत सरकार से अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता के कारण मात्र रुपये 18,19,200 का बजट प्राविधान किया जा सका । चूंकि उक्त योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत पोषित है । अतः भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने पर ही मानदेय का भुगतान सम्भव होगा ।

प्रदेश में प्रा० स्वा० केन्द्र में कार्यरत चिकित्साधिकारी तृतीय का पद समाप्त कर, चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर समायोजित किया जाना

*14–श्री दया सिन्धु शंखधर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत चिकित्साधिकारी तृतीय का पद, जिसे पूर्व सरकार ने समाप्त कर दिया था, का समायोजन किन पदों पर सरकार कर रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त पदों पर कार्यरत लगभग 400 (चार सौ) चिकित्साधिकारी जो मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व की भांति कार्य कर रहे हैं, को मार्च, 1991 से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्साधिकारी, तृतीय का पद भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता बन्द होने के कारण समाप्त किये जाने के पश्चात् उक्त पद पर कार्यरत पदधारकों का समायोजन चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर उनके विकल्प के आधार पर किया जा रहा है ।

चिकित्साधिकारी, तृतीय के पद की समाप्ति के पश्चात् कतिपय चिकित्साधिकारियों ने चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर किये गये समायोजन को स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था । न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में इन चिकित्सकों को माह अक्टूबर, 92 से फरवरी, 93 की अवधि में वेतन का भुगतान किया गया । मा० सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13-12-93 में तृतीय चिकित्सा अधिकारियों को वेतन देने संबंधी मा० उच्च न्यायालय के आदेशों को अनुचित बताया है और यह निर्णय दिया कि शासन इन चिकित्सा अधिकारियों को कहीं अन्यत्र समायोजित करने हेतु स्वतंत्र है और यदि चिकित्साधिकारी, तृतीय अन्यत्र समायोजित होने से इन्कार करते हैं तो शासन को उनके वेतन रोकने का पूर्ण अधिकार है। अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के प्रकाश में चिकित्साधिकारी, तृतीय के पदधारकों को चिकित्साधिकारी, तृतीय के पद का वेतन देने का कोई औचित्य नहीं रह गया है ।

जनपद झांसी के ब्लाक बबीना के कतिपय पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना

*15–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि झांसी जनपद में ब्लाक बबीना, सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण असिंचित है ? क्या सिंचाई साधन वहां पर उपलब्ध कराने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । झांसी जनपद में बबीना ब्लाक का कुछ भाग सिंचित है ।

जी हां ।

इस हेतु राजघाट योजना निर्माणाधीन है । इस योजना के अन्तर्गत दतिया वाहक नहर का निर्माण मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाना है अतः योजना का पूर्ण होना आवश्यक धनराशि के आवंटन के साथ-साथ मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस नहर के निर्माण किये जाने पर निर्भर करता है । प्रश्न नहीं उठता ।

*16–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण में बूंगीधार नाम की सिंचाई योजना की स्थापना की मांग

*17–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बूंगीधार सिंचाई योजना विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद गढ़वाल को कब कार्यान्वित किया गया ? क्या इस योजना पर कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और अपने मानक के हिसाब से यह पानी उपलब्ध करा रही है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि विगत 13 वर्षों से यह योजना क्षतिग्रस्त हो रही है और इस योजना से क्षेत्रवासियों को 5 प्रतिशत भी लाभ उपलब्ध नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण अन्तर्गत बूंगीधार नाम की कोई सिंचाई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथिक कालेजों के अस्पतालों के आवासीय चिकित्साधिकारियों को कार्मिक नीति के अनुरूप वेतनमान 2200–4000 के राजपत्रित चिकित्सकों के समान राजपत्रित घोषित करने की मांग

*18–श्री महावीर सिंह (बिजनौर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुपये 2220–4000 वेतनमान के चिकित्सकों को कार्मिक विभाग की नीति के अनुरूप तथा कार्मिक की सिद्धान्ततः सहमति से राजपत्रित घोषित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि होम्योपैथिक कालेजों के अस्पतालों के आवासीय चिकित्सकों को कार्मिक विभाग की सिद्धान्ततः सहमति के अनुरूप अब तक राजपत्रित घोषित न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक उन्हें राजपत्रित घोषित किया जायेगा ?

श्री दलराम यादव–

जी नहीं ।

केवल कार्मिक विभाग की नीतियों के अन्तर्गत नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य

*19-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उन पर राशन दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड बनाये जाने में अत्यधिक अड़चनें आ रही हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नये राशनकार्डों के बनाने का काम जनपद में चल रहा है । सम्बन्धित राशनकार्डों पर राशन दिया जा रहा है । नये राशनकार्डों को बनाये जाने के संबंध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को कोई कठिनाई नहीं आ रही है ।

लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में शासनादेश के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का समयबद्ध कार्यक्रम

*20-श्री राम औतार मिश्रा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलाजी विभाग में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (1992) के शासनादेश 4666 चिकि०-4 के अन्तर्गत इस समय कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ? क्या ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का सभी विशिष्ट इकाइयों (स्पेशल कम्पोनेन्ट) में प्रशिक्षण पूर्ण कराने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ? यदि हां, तो वर्तमान में प्रशिक्षणार्थियों का किस-किस विशिष्ट इकाई में प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है ? शेष इकाइयों की निर्धारित अवधियां कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

श्री बलराम यादव-

शासनादेश संख्या-4666/चिकि०-4-1124/90, दिनांक 10-7-92 के अन्तर्गत डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, त्रिलोकपुर, बाराबंकी इस समय संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्डियोलाजी विभाग में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । चूंकि ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का अन्य विशिष्ट इकाइयों में प्रशिक्षण दिये जाने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित नहीं है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण अंचलों में नियुक्त अंशकालीन चिकित्साधिकारियों को शासकीय सुविधायें मुहैय्या कराने की मांग

1–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं० प० स० 5223/चि० 4-92-ग-16/85, दिनांक 10 अगस्त, 1992 द्वारा प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण अंचलों में 17 जुलाई, 1991 तक नियुक्त अंश० चिकित्साधिकारियों को 17 मई, 1990 तक के अंश० चिकित्सा अधिकारियों की भांति सेवा संबंधी सुविधायें प्रदत्त हैं ? यदि हां, तो कब से ? उक्त शासनादेश की सीमा में आने वाले अंकालिक चिकित्सा अधिकारियों को वांछित शासकीय सुविधायें शासन द्वारा मुहैया करा दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री लाल बहादुर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद रायबरेली के सतांव विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में नहरों के अन्तिम छोर तक पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग

3–श्री हृदय नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है ? क्या सरकार अवगत है कि उन्नाव जिले से होकर रायबरेली जिले के सतांव विधान सभा क्षेत्र में जाने वाली नहरों में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा उन्नाव में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं होता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि सतांव विधान सभा क्षेत्र (रायबरेली) के पुरवा ब्रांच इकौनी, अजीतपुर व लालगंज ब्लाक के अनेक गांव तथा मौरावां ब्रांच पर स्थित गुरुबख्शगंज क्षेत्र के किसी भी इलाके में कभी भी पानी नहीं पहुंचता ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में पानी न पहुंचाने के दोषी अधिकारियों पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निर्धारित रोस्टर के अनुसार नहरों को चलाकर एवं अवैधानिक कट व बन्धे आदि हटवाकर यथा सम्भव सीमित संसाधनों में नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

सतांव विधान सभा क्षेत्र रायबरेली शारदा नहर प्रणाली के छोर की नहरों के अन्तिम छोर पर है । नहरों के ऊपर के भागों में अवैधानिक सींच प्रक्रियाओं के कारण छोर के भागों में पानी की कमी रहती है ।

सतांव विधान सभा क्षेत्र रायबरेली के पुरवा ब्रांच के ग्राम इकौनी, ग्राम अजीतपुर व लालगंज ब्लाक के अनेक गांव व गुरुबख्शगंज क्षेत्र के बहुत से गांवों में पानी पहुंचता है, परन्तु कम मात्रा में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति के आदेश

4–श्री महराज सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-1-94 को अनुसूचित जाति/जनजाति इंजीनियर्स कल्याण परिषद् उ०प्र०, लखनऊ का प्रत्यावेदन उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या डी० पी० सी० द्वारा दिनांक 30-10-93 एवं 17-12-93 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 17-12-93 को हुई डी०पी०सी० की बैठक में अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अवर अभियन्ताओं (सिविल) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ प्रोन्नति के आदेश दिनांक 17-3-94 को जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरणोपरान्त कार्यमुक्त किया जाना

5–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के ई–3 ग अनुभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको स्थानान्तरण आदेश के 6 माह बीत जाने के बाद भी कार्यमुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा और क्या ऐसे कर्मचारियों को कार्यमुक्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसे कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के प्रेमपुर राजवाहा करमैनी माइनर तथा कसया के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग

6–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी नहरों, राजवाहों एवं माइनरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रेमपुर राजवाहा, करमैनी माइनर, कसया जनपद देवरिया के अंतिम छोर तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त राजवाहा व माइनर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रेमपुर राजवाहा के टेल तक पानी जा रहा है ।

जनपद देवरिया की तहसील देवरिया, ग्राम नौलानहथियागढ़ के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की मांग

7–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेतिमपुर परासखण्ड बांध में ग्राम नौलानहथियागढ़, तहसील देवरिया, जनपद देवरिया के किसानों की अधिगृहीत जमीन का मुआवजा अब तक भुगतान न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार किसानों को मुआवजा का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत भूमि के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत धारा–6(1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 11-12-93 को हुआ है जो जिलाधिकारी, देवरिया के कार्यालय में दिनांक 3-3-94 को प्राप्त हुआ है । सम्बन्धित कृषकों को उनके प्रतिकर का भुगतान शेष आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गड़ौरा, जनपद महराजगंज द्वारा ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव

8–श्री शारदा प्र. जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति गड़ौरा (निचलौल), जनपद महराजगंज ने वर्ष 1991-92, 92-93 में कृषि मण्डी समिति कोष से ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये किन-किन सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये प्रस्ताव किया था ? प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों में किन-किन सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है तथा किन-किन प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों में कार्य अवशेष है ? क्या मंत्री जी अवशेष सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 91-92 में नहीं, अपितु वर्ष 92-93 में दिनांक 28-7-92 को समिति द्वारा सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया :–

क्र० सं०	मार्ग का नाम
1	कटहरी बाजार से बड़हरा चरगाह 4.00 कि०मी०
2	सिरौली से कुआरी सती डोकर करमहिया 4.00 कि०मी०

3 ठुठीवारी बाजार से नारायनपुर 2.00 कि०मी०

4 सिसवा विकास खण्ड से सिवरही भारटोला 2.50 कि०मी०

5 बेलवा से सोफड़ा होते हुये गौरा तक 3.00 कि०मी०

किसी भी सम्पर्क मार्ग पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर जिला चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा भगवानपुर वि० ख० निचलौल, जनपद महराजगंज को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित एवं किये गये कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि

9–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भगवानपुर विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से लेकर 31 दिसम्बर, 93 तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? आवंटित धनराशि से मजदूर योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों पर मिट्टी कार्य किया गया है और किन-किन सड़कों पर खड़ंजा, नाली आदि का निर्माण ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है ? क्या मजदूर योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत मानदेय पर खर्च करने का आदेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा भगवानपुर को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 से 31 दिसम्बर, 1993 तक कुल रुपया 118667.94 पैसे की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

मजदूर योजना नाम की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है अपितु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मु० 113994.20 रुपये का कार्य कराया गया है विवरण निम्नवत है :–

वर्ष	कार्य का नाम
1990-91	बड़े टोले से जमुई वाली सड़क तक मिट्टी कार्य
	बड़े टोले से पूरब बाजार तक मिट्टी कार्य ।
	छोटे टोले से मुस्तफा के घर तक खड़न्जा कार्य ।
	हाथ नल 5 अदद तथा आवास 1 अदद बड़े टोले के चौराहे से खलिहान तक खड़ंजा कार्य ।

1991-92	मास्टर यासीन के घर से सुखराज के घर तक कच्चा कार्य ।
	मुसराम के घर से नहर तक व गांव के पूरब जाने वाली सड़क तक कच्चा कार्य ।
	हाथ नल 2 अदद व आवास 1 अदद ।
1992-93	मुसरीम के घर से नहर पुल तक कच्चा कार्य ।
	अवतार की मशीन से लालचन्द के खेत तक कच्चा कार्य ।
	मुसरीम के घर से खलिहान तक खड़ंजा कार्य ।
	हैण्ड पम्प 1 अदद ।
1993-94	छोटे टोले से बड़े टोले जाने वाली सड़क में मिट्टी कार्य ।
	छोटे टोले के पश्चिम चकरोड निर्माण कूप मरम्मत 2 अदद मजदूर योजना नाम की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है ।

अतएव मानदेय देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा में एलोपैथिक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी अस्पतालों तथा तहसील कर्वी के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पदों का ब्योरा

10–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में कितने सरकारी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी अस्पताल हैं तथा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? इसमें कितने डाक्टरों की जगह रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को भरने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? कर्वी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टरों की जगहें कितनी रिक्त हैं तथा कितने ऐसे डाक्टर हैं जो अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं ? यदि हां, तो शासन इसमें क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री बलराम यादव–

जनपद बांदा में एलोपैथिक के 105, आयुर्वेदिक के 27, होम्योपैथिक 34 व यूनानी के 4 चिकित्सालय हैं 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ।

इसमें 66 साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी (पुरुष) महिला के 10, दन्त चिकित्सक के 3 तथा चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के 11 और होम्योपैथिक के 21 जगहें रिक्त हैं । इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

कर्वी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में 8 चिकित्साधिकारी (साधारण ग्रेड) 3 चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) एवं 3 चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) के पद रिक्त हैं । ऐसा कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है जो अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर न जाता हो ।

पी० एच० सी० नानौता, जनपद सहारनपुर में महिला चिकित्सक की नियुक्त हेतु विचार विमर्श

11–श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० एच० सी० नानौता जनपद सहारनपुर में कोई महिला चिकित्सक है ? यदि नहीं, तो कब से नियुक्त नहीं है ? यदि नियुक्त किया जायेगा, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

वर्तमान में पी० एच० सी० नानौता जनपद सहारनपुर में कोई महिला चिकित्सक नियुक्त नहीं है ।

दिनांक 4-1-92 को एक महिला चिकित्सक की तैनाती की गई परन्तु वह दिनांक 19-1-92 से अनाधिकृत अनुपस्थित हो गई । पुनः दिनांक 30-10-93 को नव नियुक्त महिला चिकित्सक की तैनाती की गई है । उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

स्थानान्तरण सत्र में तैनाती पर विचार किया जायेगा ।

12–श्री परशुराम यादव–

[दि० 16-3-94 को अता० प्र० सं० 107 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई खण्ड द्वितीय देवरिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं पद दुरुपयोग संबंधी प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच रिपोर्ट

13–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड द्वितीय देवरिया के विरुद्ध 46 लाख रुपये के घोटाले/वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र, दिनांक 17-5-92 का प्राप्त हुआ है ? जिसकी जांच मुख्य अभियन्ता गण्डक को दी गई ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट शासन के परीक्षणाधीन है ।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सहारनपुर में ढमोला नदी के कटान की रोकथाम के लिए तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति धनराशि का उपयोग

14–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ढमोला नदी के नगर सहारनपुर के कटान की रोकथाम के निमित्त पिचिंग और लाइनिंग हेतु रु० 48.5 लाख की योजना वर्ष 1989-90 में तकनीकी सलाहकार

समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो इस योजना हेतु वर्ष 90-91, 91-92, 92-93 तथा 93-94 में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी ? वर्ष 94-95 में इस योजना हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ? उक्त योजना कब तक पूरी होनी संभावित है ? उक्त योजना के पूरी होने में हुई देरी के फलस्वरूप होने वाली लागत वृद्धि के कारण योजना राशि में संशोधन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस योजना हेतु वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं हुई । वर्ष 1992-93 एवं वर्ष 1993-94 में क्रमशः 5-5 लाख रुपये धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ था वर्ष 94-95 का आय व्ययक पारित होने के पश्चात धनराशि के आवंटन में सूचना उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा ।

योजना की लागत का पुनरीक्षण किया जा रहा है । योजना का पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महमूदाबाद जनपद सीतापुर के कतिपय ग्रामों को सरकार द्वारा फलपट्टी घोषित करने की मांग

15–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद (सीतापुर) को फलपट्टी घोषित करने की शासन की योजना हैं ? यदि हां, तो फलपट्टी घोषित करने की उक्त योजना क्या है तथा उसका क्षेत्रफल कितना है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का सम्वर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत वृक्षों का सम्वर्द्धन करने और उनके समीपस्थ ईंट के भट्ठों व अन्य हानिप्रद अधिष्ठानों के कारण होने वाले पादप रोगों से उनके संरक्षण हेतु फल पट्टी घोषित किये जाने का प्राविधान है । घोषित क्षेत्रों में इस प्रकार के वृक्षों के विकास हेतु सहायता दी जाती है । इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में महमूदाबाद जनपद सीतापुर के 8 ग्रामों को फल पट्टी घोषित करने का प्रस्ताव है जिसका क्षेत्रफल लगभग 303 हेक्टेयर है ।

जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर, ब्लाक भीटी, ग्राम पमौली में श्री राम खिलाड़ी अनु० जाति के घर पर लगाये गये नल को उखाड़कर बेच देने का प्रधान पर कथित आरोप

16–श्री जग[illegible]का पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर, ब्लाक भीटी ग्राम सभा पमौली में वर्ष 1985-86 की ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत पूर्व प्रधान, श्री रामदत्त सिंह द्वारा श्री राम खिलाड़ी अनुसूचित जाति के दरवाजे पर लगाये गये नल को, प्रधान श्री चन्द्र [illegible] सिंह द्वारा

उखाड़ कर श्री रामचरित्र को फरवरी, 92 में बिक्री कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त प्रधान को दण्डित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील अकबरपुर, विकास खण्ड भीटी, ग्राम सभा पमौली में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि का ब्योरा

17–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर, ब्लाक भीटी, ग्राम सभा पमौली में जवाहर रोजगार योजना में 1989-90, 1990-91 व 1991-92 में कितना अनुदान दिया गया है ? कितना धन, किस मद में वहां पर ग्राम प्रधान द्वारा व्यय हुआ ? निर्बल वर्ग आवास योजना में कितने भवनों का निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया गया है ? क्या जवाहर रोजगार योजना में व्यय किये गये धन की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत ग्राम सभा पमौली विकास खण्ड भीटी को वर्षवार निम्नलिखित धनराशि दी गयी है :–

1989-90	41,000
1990-91	19,076
1991-92	10,588

ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 89-90 से 91-92 तक मिट्टी पटान कार्य पर रु० 35,208, खड़ंजा पर रु० 13,750, 3 हैण्ड पम्प पर रु० 3780, ह्यूम पाइप पर रु० 5,596, लेखन सामग्री पर रु० 478.30 पैसे तथा निर्बल वर्ग आवास पर रु० 4100 कुल रुपया 62,912.30 पैसा की धनराशि व्यय की गई है ।

कोई नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विपणन विभाग में आरक्षण कोटा पूर्ण न होने की दशा में प्रत्यावेदक श्री रामबाबू शर्मा को समायोजित किये जाने की मांग

18–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शासन के पत्र संख्या–616/12-5-92, दिनांक 20-1-1992 के संदर्भ में संबंधित कर्मचारी के प्रत्यावेदन दिनांक 12-4-1993 व 3-11-1993 में क्या निर्णय/कार्यवाही हुई

है ? क्या कर्मचारी के प्रत्यावेदन दिनांक 3-11-93 के पैरा–3 के तालिका क्रमांक–1 से 9 वर्णित स्थिति में कोई विभिन्नता है ? यदि भिन्नता नहीं है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के रिट संख्या–609/1987(1988एम०सी०सी०) एल एण्ड एस (पेज–853) में उल्लिखित सिक्यूरिंग सीमलर रिलीफ के आधार पर श्री बलराम द्विवेदी की भांति प्रत्यावेदक कर्मचारी को भी कृषि विपणन निदेशालय में समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत कर्मचारी किस तिथि से किस तिथि तक कृषि विपणन निदेशालय में वेतन/निलम्बन वेतन प्राप्त करता रहा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उसे फरवरी, 1993 से वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ? उसकी कितनी शेष सेवा के समायोजन का प्रकरण विचाराधीन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन का पत्र दि० 20-1-92 न होकर दि० 28-1-92 है, जिसमें संदर्भित कर्मचारी श्री रामबाबू शर्मा के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उन्हें कृषि विभाग में समायोजित किये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

श्री बलराम द्विवेदी को माह जुलाई 1988 में कृषि विपणन विभाग में समायोजित किया गया था । श्री राम बाबू शर्मा को कृषि विपणन निदेशक, उ०प्र० के आदेश दि० 5-1-87 के क्रम में शासन के आदेश दिनांक 27-1-94 द्वारा कृषि विभाग में रखे जाने का निर्णय लिया गया । जहां तक श्री शर्मा को कृषि विपणन विभाग में समायोजित न किए जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि कृषि विपणन विभाग में आरक्षण कोटा पूर्ण न होने के कारण वर्ग–2 के निरीक्षकों के 16 रिक्त पदों को शतप्रतिशत अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के अभ्यर्थियों से भरा जाना है, अतः श्री शर्मा को कृषि विपणन विभाग में समायोजित नहीं किया जा सका ।

दिनांक 6-2-80 से 31-12-92 तक निलम्बित रहने के कारण जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान कृषि विपणन विभाग के अधीनस्थ मण्डलीय कार्यालय बरेली द्वारा किया गया है । निलम्बन अवधि समाप्त होने के पश्चात् से वेतन भुगतान की कार्यवाही कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा किए जाने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं ।

कृषि निदेशक, उ०प्र० के आदेश द्वारा श्रीराम बाबू शर्मा को सेवा से बहाल कर पदोन्नति करने एवं वेतन आदि के भुगतान की कार्यवाही

19–श्री किशन लाल दिलेर –

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शासन के पत्र संख्या –616/12-5-92, दिनांक 20-1-1992 के संदर्भ में विधायक, श्री राम पाल वर्मा के पत्र दिनांक 15-5-1992 में क्या निर्णय/कार्यवाही हुई है ? उक्त पत्र में नामांकित कर्मचारी को सेवा में बहाल किया गया है ? यदि हां, तो उसे बहाल करके किस जनपद में किस पद पर तैनात किया गया है ? क्या कर्मचारी को निलम्बित अवधि का अवशेष वेतन एरियर व नगदीकरण का एरियर व बोनस का एरियर तथा शासनादेश संख्या जी–2133/दस –302-78, दिनांक 3-7-78 के अनुसार, कनिष्ठ कर्मचारी के समकक्षीय स्तर के प्रोमोशन देकर अवशेष वेतन एरियर

का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उल्लिखित अवशेष एरियरों का भुगतान कब तक और किस विभाग के द्वारा किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासन का पत्र दि० 20-1-92 का न होकर दिनांक 28-1-92 का है, जिसमें संदर्भित श्री राम बाबू शर्मा को कृषि निदेशक, उ०प्र० के आदेश पत्र सं०-ए०वी०(2)/6612-20 दिनांक 4-1-93 द्वारा बहाल कर दिया गया है ।

जी हां ।

नामांकित कर्मचारी को वर्ग-1 में पदोन्नति कर संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), आगरा के अधीन तैनात किया जा चुका है । अवशेष वेतन आदि के भुगतान की कार्यवाही, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

उल्लिखित अवशेष के भुगतान के आदेश कृषि निदेशक को प्रसारित कर दिये गये हैं ।

निदेशक, कृषि विभाग को श्री राम बाबू वर्मा को पदस्थापित करने हेतु आदेश

20-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-34 व 181 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रश्न में उल्लिखित उत्तरों की पूर्ति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विधिक परीक्षण के मध्य न्याय विभाग ने क्या परामर्श दिया है ? उक्त प्रश्नों में उल्लिखित प्रत्येक देयकों का भुगतान कब तक और किस-किस विभाग के द्वारा किया जायेगा ? सम्बन्धित कर्मचारी को क्या-क्या देयक, भुगतान करने के लिये लम्बित है ? कृषि विभाग के पत्र संख्या ए० बी (i)-1636/1976, दिनांक 16-6-81 के क्रमांक 1123 से 1130 पर नामांकित ग्रुप-2 के कर्मचारीगण कृषि निदेशालय (विभाग) में किस-किस पदों पर तैनात/कार्यरत अथवा किन-किन पदों पर से सेवा निवृत्त हुए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम्य विकास विभाग के लिपिकों को नियमानुसार पदोन्नति एवं प्रोन्नति वेतनमान दिया जाना

21-श्री मित्रसेन यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग के हजारों लिपिकों को 20 से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर भी आज तक पदोन्नति अथवा प्रोन्नति वेतनमान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्ष 86 में स्टाफिंग पैटर्न पदोन्नति नहीं था ? यदि हां, तो क्या आरक्षण भी लागू नहीं किया गया था ? यदि हां, तो प्रोन्नति वेतनमान देने में अब पदोन्नति स्टाफिंग पैटर्न को क्यों माना जा रहा है ? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं क्या सरकार कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए स्टाफिंग पैटर्न को पदोन्नति न मानते हुए हजारों कर्मचारियों को प्रोन्नति वेतनमान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव-

जी नहीं । नियमानुसार पात्रता की परिधि में आने वाले कार्मिकों को रिक्ति की उपलब्धता तथा पात्र कार्मिकों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति तथा प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाता रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां ।

इस पूरे प्रकरण पर विभागाध्यक्ष से तथ्यात्मक आख्या प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सिंचाई विभाग संवर्ग में आई० टी० आई ट्रेड प्रमाण-पत्र धारकों, मैकेनिकल प्रारूपकारों को डिप्लोमा धारक अर्ह प्रारूपकारों के समान दिये जाने की जानकारी

22–श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग ड्राइंग संवर्ग में याचिका सं०–479/85 में आई० टी० आई ट्रेड प्रमाण-पत्र धारकों को डिप्लोमा धारक अर्ह प्रारूपकारों के बराबर वेतनमान दिनांक 1-4-85 से देने, डिप्लोमा धारक अर्ह प्रारूपकारों की याचिका सं०–4761/83 पर उनके रिप्रेजेन्टेशन को स्पीकिंग आर्डर में डिसाइड कर डिप्लोमा का वेतनमान देने तथा याचिका सं०–2919/80 में डिप्लोमा धारक, मैकेनिकल प्रारूपकारों को डिप्लोमा स्तरीय वेतनमान दिये जाने के संबंध में विगत में क्या माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आये थे ? यदि हां, तो किन-किन याचिकाओं पर आये निर्णयों को लागू कर मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा चुका है ? जिसका पालन किया गया है वह क्या है ? शेष निर्णयों का पालन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

याचिका संख्या–479/85 में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28-1-92 के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी थी जो दिनांक 19-10-92 को खारिज कर दी गयी थी । फलस्वरूप मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28-1-92 के अनुपालन में शासनादेश दि० 7-12-93 निर्गत कर दिये गये । याचिका सं०–4761/83 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संघ के प्रत्यावेदन का निस्तारण विभाग द्वारा दिनांक 31-5-93 को कर दिया गया । इसके विरुद्ध संघ के मा० उच्च न्यायालय में पुनः रिट याचिका सं० 11931/93 दाखिल की है जिसके प्रतिवाद के संबंध में विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । याचिका सं० 2919/80 में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी है जिसके निर्णय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

आई० टी० आई० के ट्रेड प्रमाण-पत्र "ड्राफ्टमैन सिविल" को ग्रेड–II के वेतनमान में मान्यता एवं सेवा नियमावली में अर्ह प्रारूपकार की पात्रता में सम्मिलित किया जाना

23–श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० टी० आई० के ट्रेड प्रमाण-पत्र "डाफ्टमैन सिविल" को शासनादेश सं०–1427(ई)/30–बी०–554 (ई) दिनांक 16 मई, 1961 द्वारा अनर्ह प्रारूपकार ग्रेड–II वेतनमान रु० 85–200 में नियुक्ति द्वारा मान्यता प्रदान की गयी थी ? क्या वर्ष 1985 में उक्त योग्यता को ड्राइंग स्टाफ सेवा नियमावली में "अर्ह प्रारूपकार" ग्रेड–I की नियुक्ति हेतु पात्रता में सम्मिलित किया है ? यदि हां, तो मान्यता से संबंधित वर्ष 1961 के उक्त शासनादेश का अतिक्रमण करते हुए नया शासनादेश आई० टी० आई० को अर्ह प्रारूपकार ग्रेड–I पर नियुक्ति पद को पात्रता में सम्मिलित करने हेतु कब निर्गत किया गया था तथा वह क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासनादेश सं०–1627(ई)/30–बी–554(ई), दिनांक 16-5-61 द्वारा आई० टी० आई० के ट्रेड प्रमाण-पत्र "ड्राफ्टमैन सिविल" को ग्रेड–II के वेतनमान रु० 85–200 में नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान की गयी थी ।

जी हां ।

वर्ष 1972 में द्वितीय वेतन आयोग ने आई० टी० आई० ट्रेड प्रमाण-पत्र धारी प्रारूपकारों को अर्ह प्रारूपकार मानते हुए अर्ह प्रारूपकार के बराबर वेतनमान दिया था । तद्नुसार ही शासन ने विचारोपरान्त आई० टी० आई० ट्रेड प्रमाण-पत्र को प्रारूपकार हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण मानते हुए ड्राइंग अधिष्ठान सेवा नियमावली, 1985 जो शासनादेश सं०–202/85–23–सि०–7–13 ओ०एस०डा० आर०/50, दिनांक 25-1-85 द्वारा निर्गत की गयी है, में आई० टी० आई० ट्रेड प्रमाण-पत्र को अर्ह प्रारूपकार की पात्रता सम्मिलित किया गया ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली नदियों से होने वाले कटाव को रोकने की मांग

24–श्री विश्राम सिंह यादव–

विधान सभा के 1994 के प्रथम सत्र के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 56 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री प्रश्नगत स्थल निरीक्षण पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी के साथ दिनांक 25-3-1994 को कर लिया गया है ।

मण्डी समिति बीसलपुर जनपद पीलीभीत द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव

25–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1992 के अन्तर्गत मण्डी समिति बीसलपुर जनपद पीलीपीत ने 11 (ग्यारह) मार्ग प्रस्तावित किये जिनकी अन्तिम स्वीकृति होना शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उन्हें अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर कब तक मार्ग निर्मित कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

मण्डी समिति बीसलपुर के क्षेत्रान्तर्गत 10 नग सम्पर्क मार्गों का प्रस्ताव मण्डी परिषद् को दिनांक 3-1-94 को जिलाधिकारी, पीलीभीत से प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव को मार्गों के निर्माण हेतु मण्डी परिषद् की गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है । पूर्ण औचित्य पाये जाने पर मार्ग निर्माण की स्वीकृति सम्भव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में निर्मित नलकूपों की सम्पूर्ण सिंचन क्षमता का उपयोग नालियों के अभाव में न हो पाना

26–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत ट्यूबवेल संख्या–18 (मानपुर बीसलपुर) तथा संख्या–27 ((टेहरी) पर सिविल कार्य (नाली निर्माण) हेतु अस्सी हजार रुपया एवं ट्यूबवेल संख्या–6 (दौलतपुर हीरा) संख्या–9 (आजमपुर बरखेड़ा), संख्या–10 (बहादुरपुर हुक्मी) संख्या–13 (टिकरी) एवं संख्या–16 (महदिया खास) पर सिविल कार्य (नाली निर्माण) हेतु एक लाख बीस हजार रुपया अगस्त, 1993 से फरवरी,1994 तक आहरित किया गया है परन्तु नालियां नहीं बनी हैं ? क्या यह भी सही है कि तहसील बीसलपुर (पीलीभीत) के समस्त नलकूपों की सम्पूर्ण सिंचन क्षमता का उपयोग नालियों के अभाव में नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत नलकूपों पर नाली निर्माण हेतु कोई धन आहरित नहीं किया गया है ।

जी नहीं । तहसील बीसलपुर में चालित 29 राजकीय नलकूपों में से 17 नलकूपों की सिंचन क्षमता का पूर्ण उपयोग गूलों के कारण नहीं हो पा रहा है । इनमें से 4 नलकूपों पर जल वितरण प्रणाली पूर्ण नहीं है । तथा 13 नलकूपों की गूलों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है ।

इस कार्य हेतु धनराशि जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है । जनपद योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद महराजगंज, तहसील नौतनवां, ग्राम महुआरी में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत एक हैण्ड पम्प विकलांग के आंगन में तथा शेष हैण्ड पम्प कुओं के समीप लगाये जाने की शिकायत

27–श्री राकेश सचान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुआरी, पोस्ट नई कोट, तहसील नौतनवां, जिला महराजगंज में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में कितने हैण्ड पम्प तथा कितनी धनराशि उक्त मद में स्वीकृत की गयी ? क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम सभा में कुछ लोगों के घर के अन्दर आंगन में तथा घर के बाहर पुस्तैनी कुआं होते हुए एक-एक सरकारी हैण्ड पम्प लगाया गया है । यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

ग्राम सभा महुआरी की जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत पिछले पांच वर्षों में 18 हैण्ड पम्पों के लिए रु० 20,046.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

जी हां । जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत एक हैण्ड पम्प श्री चिरंजीव लाल पुत्र श्री महात्तम (विकलांग) के आंगन में लगवाया गया है । इसके अतिरिक्त 4 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा लगाये गये हैं, जो पुस्तैनी कुओं के समीप हैं ।

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्थापित एक हैण्ड पम्प विकलांग होने के कारण घर के अन्दर स्थापित किया गया तथा 4 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प जो कुओं के पास स्थापित किये गये हैं, पुस्तैनी कुयें का पानी पेय सुविधा हेतु हानिकारक एवं अनुपयुक्त होने के कारण लगाये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नहीं होती ।

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर, ब्लाक हैदरगंज के ग्राम सभा सराय मनोधर हेतु जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा

28–श्री गजराज सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर, ब्लाक-हैदरगंज, ग्राम सराय मनोधर में जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1988 से 1993 तक कितनी-कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष में दी गयी ? उक्त धनराशि ग्राम सभा प्रधान द्वारा कितना-कितना धन किस-किस मद में खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधान प्राप्त धनराशि का अनिमियत ढंग से गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मनोधर को वर्षवार निम्नलिखित धनराशि दी गयी है :–

1988–89	—
1989-90	73,060
1990-91	44,321
1991-92	24,594
1992-93	42,170
	1,84,145

उक्त धनराशि निम्न प्रकार से ग्राम प्रधान द्वारा व्यय की गयी :–

मिट्टी पटान	80246.00
पुलिया निर्माण	25264.00
हैण्ड पम्प	44792.31
खड़न्जा	7350.00
निर्बल वर्ग आवास	14376.00
प्रशासनिक मद	1402.45
	1,73,430.76

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तराई भावर व नगर क्षेत्र में नलकूप फेल हो जाने के कारण पेयजल संकट से बचने के लिए नयी योजना लागू करने की मांग

29–श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री अब्दुल रईस–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तराई भावर व नगर क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट के कारण जिससे क्षेत्र में अधिकांशतया नलकूप फेल हो चुके हैं ? क्या इस संबंध में कोई विभागीय सूचना शासन के पास है ? यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता के इस सूचना के आधार पर उक्त क्षेत्र को इस संकट से बचाने के लिए तुरन्त सर्वे कराकर किसी नयी योजना को तुरन्त लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद् लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी को मण्डी परिषद्, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर रखने की अवधि की जानकारी

30–श्री अक्षवर भारती, डा० सियाराम सागर तथा श्री जी० सी० दिनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद्, लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी श्री कालीदास त्रिवेदी, जो राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् व ग्रामीण आवास परिषद् में गत 10-11 वर्षों से क्या लगातार प्रतिनियुक्ति अवधि 5 वर्ष से इतनी अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर रखने का औचित्य क्या है ?

श्री श्री राम यादव–

प्रश्नगत अधिकारी ने मण्डी परिषद् में दिनांक 10-10-83 को प्रतिनियुक्ति पर योगदान किया था जिन्होंने मण्डी निदेशक के आदेश दिनांक 5-6-1992 के अनुपालन में दिनांक 6-6-92 की पूर्वाह्न में आयुक्त, ग्राम्य विकास, जो इनके मूल विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, के कार्यालय में वापसी के पश्चात् योगदान किया । इस प्रकार ये दिनांक 10-10-83 से दिनांक 5-6-92 तक मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर रहे थे । शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि के उपरान्त भी इन्हें मण्डी परिषद् के निवर्तमान पर बनाये रखने के बारे में पूछतांछ की गयी है ।

दिनांक 6 जून, 1992 से दिनांक 28 जून, 1992 तक प्रश्नगत अधिकारी प्रतिनियुक्ति से वापसी के पश्चात् अपने पैतृक विभाग में थे । कालान्तर में जनहित में उन्हें शासनादेश संख्या–4702/38–1–92-3टी०आर०/92, दिनांक 29 जून, 1992 द्वारा उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया । अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत अधिकारी 10-11 वर्षों से निरन्तर प्रतिनियुक्ति पर हैं अपितु मण्डी परिषद् से ग्राम्य विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति से वापसी के पश्चात् इन्हें पुनः दिनांक 29-6-92 को प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण आवास परिषद् में जनहित में तैनात किया गया है ।

ग्रामीण आवास परिषद् में प्रतिनियुक्ति की अवधि अभी एक वर्ष से भी कम की है ।

31–श्री अक्षयवर भारती, डा० सियाराम सागर तथा श्री गया चरन दिनकर–

[6ठे मंगल में अता० प्र० सं०–117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने स्वीकृत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में विधान मण्डल के सदस्यों एवं संसद सदस्यों का अधिकार

32–श्री तीरथ राज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिल ग्राम्य विकास/प्राधिकरण की बैठक में जनपद के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति में विधान मण्डल के सदस्यों एवं सांसदों के अधिकार क्या-क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण में अन्य सदस्यों के अधिकार क्या हैं ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम्य विकास की प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय के सदस्य हैं। इस शासी निकाय को योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने, उन्हें विचारित करते हुए स्वीकृति प्रदान करने, स्वीकृत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का अधिकार है।

उप निदेशक एवं सहायक लेखाधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण पर्वतीय क्षेत्र, उ० प्र० रानीखेत अल्मोड़ा के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही

33–श्री मुक्तिनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्वतीय क्षेत्र, उ० प्र० रानीखेत (अल्मोड़ा) के संबंध में उप निदेशक, उद्यान, चौबटिया, रानीखेत के पत्रांक–769/दिनांक 24-1-94 को पंजीकृत डाक से सचिव, उद्यान विभाग को भेजा गया है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त पत्र के माध्यम से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण पर्वतीय क्षेत्र, रानीखेत, अल्मोड़ा की जांच शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए उन्हें दण्डित करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उप निदेशक चौबटिया रानीखेत का पत्रांक तथा दिनांक रहित एक पंजीकृत पत्र डाक से दिनांक 28-1-94 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में उप निदेशक उद्यान पौड़ी एवं सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध शिकायतें हैं। इसकी प्रारम्भिक जांच संयुक्त निदेशक पर्वतीय क्षेत्र द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमित कार्यवाही की जायेगी।

जिला उद्यान कार्यालय, उत्तरकाशी में कार्यरत श्री मोहन लाल टम्टा, लेखाकार को निदेशालय उद्यान चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा में अस्थायी रूप से सम्बद्ध किया जाना

34–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन लाल टम्टा, लेखाकार, जिला उद्यान कार्यालय, उत्तरकाशी का स्थानान्तरण निदेशालय, उद्यान चौबटिया, रानीखेत में करने का आदेश संयुक्त सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग के पत्र संख्या–9043/58-1-93, टी० सी० 15 दिसम्बर, 93 को निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (पर्वतीय क्षेत्र) उ० प्र० रानीखेत, अल्मोड़ा को इस आशय के साथ भेजा गया था कि श्री टम्टा की पत्नी कमला टम्टा, रानीखेत में ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और यह भी शासनादेश है कि पति-पत्नी सरकारी सेवा में हैं तो एक ही जिले में रह सकते हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन निदेशक द्वारा अब तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि श्री टम्टा अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो क्या निदेशक द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच शासन द्वारा कराते हुए उक्त निदेशक को दण्डित किया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

शासन के उक्त पत्र दिनांक 15-12-93 के सन्दर्भ में निदेशक से सूचना प्राप्त हुई है कि निदेशालय में इस समय लेखाकार का कोई स्थान स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं है । परन्तु श्री टम्टा की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें जुलाई, 1993 में ही अस्थायी रूप से रानीखेत में सम्बद्ध कर लिया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[दिनांक 16-3-94 को अता० प्र० सं०–86 द्वारा उत्तरित]

36–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

37–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[दिनांक 16-3-94 को ता० प्र० सं०–122 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा में खारी नदी पर जल संचय हेतु वर्ष 1992 में बनाये जा रहे बांध को रोक कर नगला बीच तहसील किरावली में बनाये जाने की मांग

38–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में खारी नदी पर चैंकोरा मोरी पर बनाये जाने वाले जल संचय बांध को अनुपयुक्त व सिंचाई विभाग की संस्तुति के विरुद्ध उक्त स्थान पर बनाये जाने के कारण वर्ष 1992 में ही उसको अधबना रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस अधबने बांध को सिंचाई विभाग की संस्तुति के अनुसार मील सं०–49.80 पर नगला बीच तहसील किरावली पर बनवाने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं । शासनादेश संख्या–375सी०एम/38–9–92–31एम/92, दिनांक 9-9-1992 द्वारा इस बांध का निर्माण कार्य रोक दिया गया था । इस जल संचयी बांध के परिकल्प के संबंध में सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों की तकनीकी रिपोर्ट मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होने पर यथा समय इसके निर्माण कार्य के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

महात्मा गांधी डिग्री कालेज, फतेहपुर के परिसर में स्टेडियम बनाने का मामला

39–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने महात्मा गांधी डिग्री कालेज, फतेहपुर के परिसर में बिना वैधानिक अनुमति के स्टेडियम बनाना प्रारम्भ कर दिया तथा न्यायालय के आदेश से उसका निर्माण रुक गया है ? यदि हां तो यह स्टेडियम महात्मा गांधी डिग्री कालेज की कितनी भूमि में बन रहा है तथा इसका मूल्य क्या है ? क्या सरकार इस भूमि का मूल्य देकर स्टेडियम बनाने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस विषय में कोई भी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है ।

जनपद चमोली तथा जनपद पौड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्र खोलने की मांग

40–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली तथा जनपद पौड़ी में वर्ष 1992-93 के जिला प्लान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तावित जिन प्राथमिक चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी थी, वे आज तक नहीं खुल पाये हैं ? इसके लिए विलम्ब के क्या कारण हैं ? कब तक इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की वहां स्थापना की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत अवधि में कोई उप केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पैठाणी-नोड़ी मोटर मार्ग पर पड़ने वाली नदी पर पुल बनाने की मांग

41–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पैठाणी-नोड़ी मोटर मार्ग जो मात्र पांच किलोमीटर स्वीकृत था और जिसे पांच किलोमीटर में नौड़ी पहुंचना था, उसे ऐसे स्थान से शुरू किया गया है जहां से न तो उसकी विधायी स्वीकृति थी और जहां से नौड़ी पांच कि०मी० की जगह सोलह कि०मी० पर पड़ेगा ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस मोटर मार्ग (एल० बी० आर०) के प्रथम कि०मी० में ही नदी पर एक विशाल पुल बनना है जिस पर पैंतालिस लाख रुपये के लगभग व्यय होंगे किन्तु उस पुल को बनने की पूर्व में कोई भी विधायी स्वीकृति नहीं है ? यदि हां, तो इस मोटर मार्ग (एल० बी० आर०) को बनाये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार धन के दुरुपयोग हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या इस मोटर मार्ग के कि०मी० एक में ही पड़ने वाले विशाल पुल की सरकार तत्काल स्वीकृति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । निर्माण कार्य पैठाणी-चाकीसैण मोटर मार्ग के कि०मी० 2 में स्थान विस्सूखाल से शुरू किया गया है जहां से नौड़ी की दूरी 18 कि०मी० है और उक्त स्थान के लिए विधायी स्वीकृति प्राप्त है ।

जी हां ।

क्योंकि मार्ग 5 कि०मी० तक स्वीकृत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

उत्तराखण्ड विकास योजना के कुल आवंटित परिव्यय में कमी के कारण पौड़ी गढ़वाल की जिला प्लान की स्वीकृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव

42–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल को वर्ष 92-93 में जिला प्लान के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया था ? वर्ष 92-93 के अन्त में स्वीकृत धनराशि के विपरीत कुल कितनी राशि अवमुक्त की गयी ? पूरी धनराशि अवमुक्त न होने के क्या कारण हैं ? इसके लिए क्या किसी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल को वर्ष 1992-93 में जिला प्लान के अन्तर्गत कुल 3117.89 लाख रु० का परिव्यय आवंटित किया गया था । वर्ष 92-93 के अन्त में उपरोक्त परिव्यय के विपरीत कुल लगभग 2,648.68 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की गयी ।

पूरी धनराशि अवमुक्त न होने का मुख्य कारण यह है कि उत्तराखण्ड विकास योजना के कुल आवंटित परिव्यय रु० 387.01 करोड़ में वर्ष के दौरान प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण परिव्यय में कमी की गयी और उत्तराखण्ड विकास योजना वर्ष 1992-93 का कुल परिव्यय रु० 332.00 करोड़ तक ही सीमित किया गया । वित्तीय संसाधनों में कमी के फलस्वरूप पौड़ी गढ़वाल की जिला प्लान की स्वीकृतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । अतः किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[दिनांक 16-3-94 को अता० प्र० सं०–124 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड सोहावल क्षेत्र में सिंचाई अनु० जाति कूप निर्माण, ठेकेदारी पद्धति से कराये जाने में अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा कतिपय खण्ड विकास अधिकारियों को दोषी पाया जाना

44–श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड-सोहावल में सोहावल क्षेत्र में ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध मुख्य विकास अधिकारी, जनपद फैजाबाद को 31-4-94 को, सिंचाई० अनु० जाति कूप के संबंध में अनियमिततायें करने का शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री शिव मंगल तिवारी द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक पत्र में क्या कार्यवाही की गयी है ? कौन-कौन से अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार दोषी पाये गये हैं ? क्या अनु० जाति सिंचाई कूप निर्माण ठेकेदारी पद्धति से कराने का आदेश था ? उक्त आदेश के विरुद्ध ठेकेदार पद्धति से अनु० जाति सिंचाई कूप बनवाने का कारण क्या है ? अनु० जाति सिंचाई कूप निर्माण कराने संबंधी शासनादेश क्या हैं ? क्या अनु० जाति सिंचाई 10 लाख कूप योजना से कब्रिस्तान/नवीन परती भूमि आदि में भी कूप के निर्माण विधियों गहराई, चौड़ाई पानी सामान, लोहा, इंगिल सीमेन्ट, मौरंग, गिट्टी लगने के शासनादेश के विरुद्ध बना पाया गया है ? यदि हां, तो क्या स्टीमेट के अनुसार कूप न बनने का तकनीकी परीक्षण कराया गया है ? क्या संबंधित सभी दोषीगण के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्री राम यादव–

जी हां ।

जांच करायी गयी है ।

प्रथम दृष्टया में अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फैजाबाद तथा तीन खण्ड विकास अधिकारी को दोषी पाया गया है ।

जी नहीं ।

ठेकेदारी पद्धति से कार्य कराने के आदेश नहीं थे किन्तु जांच में अप्रत्यक्ष से ठेकेदारी से कार्य कराया जाना पाया गया है ।

शासनादेश संलग्न है । †

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

45-46– श्री राम कुमार शुक्ल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

---

† छापा नहीं गया ।

सिंचाई निर्माण खण्ड रानीखेत में चौखुटिया उप खण्ड के मांसी अनुभाग में जांच के घेरे में तैनात अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश को वापस लेने की मांग

47–श्रीमती शशि बाला पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई निर्माण खण्ड रानीखेत में चौखुटिया उपखण्ड के मांसी अनुभाग में जुलाई, 87 से अक्टूबर, 92 तक उसी अनुभाग में कार्य करने के बाद पुनः माह दिसम्बर, 1993 में एक ऐसे अवर अभियन्ता की तैनाती की गयी है, जिसके विरुद्ध सन् 1992 में उसी अनुभाग के कार्यों में गम्भीर अनियमितता के आरोप के कारण उसे निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त अवर अभियन्ता को किन परिस्थितियों में पुनः उसी अनुभाग में पदस्थापित किया गया है ? क्या इसके कारण उसके विरुद्ध चल रही जांच प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानान्तरण आदेश को वापस ले लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई शाहजहांपुर के अधीन नलकूप संख्या–19 चालक को निलम्बित किये जाने का आदेश

48–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) शाहजहांपुर को प्रश्नकर्ता का एक पत्र जो कि नलकूप संख्या–19 के आपरेटर के द्वारा अनियमितता बरतने विषयक है, जनवरी, 1994 में लिखा गया प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांचोपरान्त उक्त नलकूप चालक के निलम्बन के आदेश दे दिये गये हैं ।

उत्तराखण्ड क्षेत्र के छोटे किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी का उचित मूल्य दिलाये जाने की योजना

49–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के छोटे किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली नकदी फसलों जैसे मिर्च, गोभी, शिमला मिर्च आदि का खरीद मूल्य निर्धारित करके इन किसानों को शोषण से शासन द्वारा बचाया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड क्षेत्र के छोटे किसानों द्वारा जो सब्जी उत्पादित की जाती है वह मैदानी क्षेत्र के लिए बेमौसमी होने के कारण उसकी अत्यधिक मांग है और इन किसानों को उसका उचित मूल्य स्वतः मिल जाता है। अतः इसके शोषण का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय इण्टर कालेज, लोधियाखान, जिला अल्मोड़ा के भवन निर्माण की मांग

50–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा राजकीय इण्टर कालेज लौधियाखान, जिला-अल्मोड़ा में पूर्व स्वीकृति विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में, उन्हें पत्र दिनांक 29-1-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्डों में निर्मित मोटर मार्गों के कच्चे भाग को पक्कीकरण/डामरीकरण कराने की मांग

51–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत, द्वाराहाट, सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैन तथा चौखटिया में निर्मित मोटर मार्गों का अधिकांश भाग अभी भी वर्षों से कच्चा है, जिससे कि आम जनता अत्यधिक पीड़ित है ? क्या सरकार उन कच्चे मोटर मार्गों का पक्कीकरण व डामरीकरण कराने का कार्य प्राथमिकता से सम्पन्न करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

किन्तु कच्चा मार्ग जनता के लिए यातायात हेतु उपलब्ध है।

वित्तीय संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्त कारणों से प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के गौर विकास खण्ड के देवगढ़ कमासिन एवं कनेखरा ग्राम सभाओं में निर्मित सामुदायिक विकास केन्द्र में ग्राम विकास अधिकारी का मुख्यालय

52–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद प्रतापगढ़ के गौर विकास खण्ड के देवगढ़ कमासिन एवं कनेखरा ग्राम सभाओं में लगभग 5 वर्ष से निर्मित सामुदायिक विकास केन्द्र खाली पड़ा है, क्या वहां पर कोई योजना चल रही है ? यदि हां, तो वहां कौन सी योजना चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं।

ग्राम विकास अधिकारी का मुख्यालय है, जहां पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों की चर्चा एवं अनुश्रवण किया जाता है तथा कृषि प्रसार नियमों की जानकारी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं, विकास क्षेत्र उसावां के कतिपय ग्रामों की सुरक्षा हेतु नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए ठोकरे बनाने की मांग

53–श्री बनवारी लाल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बदायूं के विकास क्षेत्र उसांवा के अन्तर्गत ग्राम पथरामई खजुरा नगला, कटरा सादातगंज गंगा नदी ने दो वर्षों से लगातार कटान किया है और काफी भूमि काट दी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अगली वर्षा से पहले वहां कटाव रोकने के लिये पत्थर की ठोकरें बनवाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बदायूं के विकास क्षेत्र उसावां में ग्राम पथरामई में वर्ष 1992 में वर्षा ऋतु में कटान हुई थी । परन्तु तकनीकी दृष्टि से उक्त ग्राम में बाढ़ से सुरक्षा एवं निरोधक कार्य कराना सम्भव नहीं पाया गया । वर्तमान में नदी की धारा भी इस ओर से हटकर दूसरे किनारे पर चली गई है ।

ग्राम खजुरानाला में भी वर्ष 1992 की वर्षा ऋतु में कुछ कटाव हुआ था जिसके लिये परियोजना बनाकर कार्य कराया जा रहा है तथा कार्य समाप्ति की ओर है । कटरा सादातगंज में पिछले दो वर्षों में कोई कटान नहीं हुआ है ।

54–श्री सतीश भाटिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

थोक तथा फुटकर दवा विक्रय लाइसेन्सों की अनुपात सीमा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश

55–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थोक तथा फुटकर दवा विक्रय लाइसेंस पर कोई प्रतिबन्ध शासन द्वारा लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या और कब से ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । अपितु शासन के परिपत्र दिनांक 26-2-91 द्वारा केवल फुटकर एवं थोक, विक्रय लाइसेंसों की अनुपात सीमा 10:1 को सुनिश्चित कराये जाने के लिये दिशा निर्देश जनहित में दिए गए हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के गांव सभा जलालपुर सेहरा के ग्राम प्रधान द्वारा धन का दुरुपयोग

56–श्री लल्लू सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत गांव सभा जलालपुर सेहरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जरोयो में 48–00 गबन जून, 1993 में प्रकाश में आया है और उसकी वसूली की कार्यवाही हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रधान द्वारा

फरवरी, 1993 से अक्टूबर, 1993 तक योजना के अन्तर्गत धन निकाल कर फर्जी रूप से खर्च करके हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

गांव सभा जलालपुर सेहरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांचोपरान्त रु० 7048 का दुरुपयोग पाये जाने पर वसूली के आदेश दिनांक 10-6-93 को जारी किये गये थे किन्तु प्रधान के प्रत्यावेदन पर पुनः तकनीकी सत्यापन कराये जाने पर प्रधान के विरुद्ध कोई धन देय नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड विकास से सम्बन्धित बैठक में उत्तराखण्ड से सम्बन्धी सभी राजनैतिक दलों के मा० वि० सभा/वि० परिषद् के सदस्यों को आमंत्रित तथा कतिपय बिन्दुओं पर घोषणा

57–श्री हरवंश कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 3-1-94 को उत्तराखण्ड विकास से संबंधित कोई बैठक बुलाई गई थी ? यदि हां, तो इस बैठक में मंत्रीगणों एवं अधिकारियों के अतिरिक्त किस-किस राजनैतिक दल के विधायकों को आमंत्रित किया गया था ? उक्त बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त बैठक में उत्तराखण्ड से सम्बन्धित सभी राजनैतिक दलों के माननीय विधान सभा/परिषद सदस्यों को आमंत्रित किया गया था ।

उक्त बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निम्नलिखित तीन घोषणायें की गई थीं:–

1–हिल कैडर 30 दिन में लागू कर दिया जायेगा ।

2–"उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" शब्द प्रयुक्त किया जायेगा ।

3–पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए एक समिति गठित की जायेगी एवं पृथक राज्य सम्बन्धी प्रस्ताव अगले विधान सभा सत्र में पारित किया जायेगा ।

58–श्रीमती रानी देवलता–

[5वें सोम० में अता० प्र० सं०–159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सहारनपुर व हरिद्वार में विकास खण्डों के पुर्नगठन के प्रस्ताव पर विचार

59–श्रीमती रानी देवलता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि घाड़ क्षेत्र में जनपद सहारनपुर व हरिद्वार के लगभग 200 गांव हैं तथा वे गांव तीन विकास खण्डों में बटे हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इन गांवों तथा इन तीन

विकास खण्डों को पुनर्गठित करके पांच विकास खण्ड बना दिये जायेंगे ताकि उस पिछड़े क्षेत्र का वास्तव में विकास हो सके ? क्या घाड़ क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना भिन्न प्रकार की है ? क्या इसे अलग प्रशासकीय और विकासकीय इकाई बनाया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

विकास खण्डों के सृजन/पुर्नगठन के सम्बन्ध में संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात ही विकास खण्डों के सृजन/पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा । सम्प्रति कोई नया विकास खण्ड सृजित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में रिक्त फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों को भरने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण को दिया गया निर्देश

60–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने और कब तक के प्रशिक्षण प्राप्त फार्मेसिस्टों की नियुक्ति अब तक नहीं हो पायी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में जगहें रिक्त होते हुए भी, नियुक्तियां न करने का कारण क्या है ? उक्त फार्मेसिस्टों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

वर्ष 1990 से अब तक लगभग 2000 डिप्लोमा फार्मेसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अभी नहीं हो पाई हैं ।

नई नियुक्तियों पर पूर्व में प्रतिबन्ध लगे होने के कारण फार्मेसिस्ट की रिक्तियों को भरा जाना सम्भव नहीं हो सका था । फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों को नियमानुसार भरने हेतु आवश्यक निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दे दिये गये हैं और उनके द्वारा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है ?

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

61–विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

[5वें मंगल के अता० प्र० सं०–101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उपमुख्य चिकित्साधिकारियों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों पर कार्यालय आवास बनाने की मांग

62–श्री हृदय नारायण–

विधान सभा 1994 के प्रथम सत्र, के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न सं०–10 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव, रायबरेली, कानपुर व लखनऊ के उप मुख्य चिकित्साधिकारीगण तहसील केन्द्रों पर रहते हैं ? क्या सरकार अवगत है कि उन्नाव जिले का एक भी

डिप्टी सी० एम० ओ० उक्त सरकारी आदेश के अनुपालन में तहसील केन्द्रों पर नहीं रहता है ? शासनादेश के अनुपालन न करने के दोषी डिप्टी सी० एम० ओ० व अनुपालन न कराने के लिए दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? उन्नाव जिले की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में उन्हें कितने प्रश्न प्रश्नकर्ता ने दिए हैं और उन पर कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा में बन्द चालू एवं मरम्मत की गयी पेयजल योजनाओं के पूर्ण जानकारी की मांग

63–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में कुल कितनी पेयजल योजनाएं बन्द पड़ी हुई हैं ? कितनी योजनाओं की मरम्मत की गई और उन्हें चालू किया गया ? बन्द पड़ी योजनाओं के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी जिन योजनाओं में पानी नहीं चल रहा है उसके लिए कौन उत्तरदायी है ? दोषी व्यक्तियों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अनुरक्षित 90 पेयजल योजनाओं में से 10 पेयजल योजनायें पूर्ण रूप से तथा 18 पेयजल योजनायें आंशिक रूप से बन्द है तथा जल संस्थान द्वारा अनुरक्षित 1333 में से 316 पेयजल योजनायें पूर्ण रूप से तथा 316 आंशिक रूप से बन्द है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 48 योजनाओं की मरम्मत करके चालू किया गया तथा जल संस्थान द्वारा वर्ष 1993-94 में जिला/राज्य योजना में 188 पेयजल योजनाओं की मरम्मत करके तथा अतिवृष्टि के अन्तर्गत 82 पेयजल योजनाओं की मरम्मत करके चालू किया गया ।

जो योजनायें बन्द पड़ी हुई है उनके अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष धन उपलब्ध कराया जाता है तथा जल संस्थान को 1993-94 में 248.68 लाख तथा जल निगम को 20.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है । इस वर्ष भी योजनओं को पूर्णतः चालू करने के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में नहरों की सफाई तथा मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 1993-94 में आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का ब्योरा

64–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की कर्वी तहसील में नहरों की सफाई के लिये तथा नहरों की मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग की सभी शाखाओं को चालू वर्ष में कितना-कितना धन दिया गया ? उसमें से कितना कार्य कहां-कहां कराया गया ? इस पर कितना धन व्यय किया गया तथा अगले बाकी चालू वर्ष के अन्दर कौन सा कार्य कराया जाना है और वह कितने धन पर कराया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बांदा जिले की कर्वी तहसील में वित्तीय वर्ष 1993-94 में नहरों की सफाई हेतु रु० 8.30 लाख एवं नहरों की मरम्मत हेतु रु० 6.68 लाख रुपये धन आवंटित किया गया है ।

नहरों की सफाई का कार्य 64.30 कि० मी० में एवं नहरों की मरम्मत का कार्य 42.75 कि० मी० में कराया गया है ।

नहरों की सफाई पर रु० 8.30 लाख एवं नहरों की मरम्मत पर रु० 6.68 लाख रु० व्यय किया गया ।

चालू वर्ष का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा और कार्य नहीं कराया जाना है ।

अल्मोड़ा शहर में पिण्डर नदी से पेयजल देने हेतु प्रस्तावित योजना

65–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा शहर के पेयजल के संकट को दूर करने हेतु कोई नई पेयजल योजना प्रस्तावित है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा शहर को पेयजल देने हेतु पिंडर नदी से कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं,

अल्मोड़ा शहर को पेयजल देने हेतु पिण्डर नदी से योजना बनाने से पूर्व जियोलोजिकल इन्वेस्टिगेशन कराया जाना प्रस्तावित है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में पपसरी ग्राम के निकट नाले पर पुर्ननिर्माण पुल बनाने की मांग

66–श्री तुलाराम सैनी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में पपसरी ग्राम के निकट नाले पर जून, 1993 में डी० आर० डी० ए० से स्वीकृत पुल बनाया गया था ? क्या उक्त पुल निर्माण

के 2 माह बाद ही नाले में पानी के बहाव के कारण टूट गया है ? यदि हां, तो क्या पुल का पुनर्निर्माण होगा ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त पुल के घटिया निर्माण में किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है ? शासन द्वारा दोषीजनों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं समितियों में आरक्षण कोटा पूर्ण करने एवं महिला अधिकारी द्वारा सामान्य जाति के व्यक्ति से विवाह करने पर आरक्षण का लाभ देने की मांग

67–श्री चन्द्र किशोर, श्री राजबली जैसल तथा श्री जी० सी० दिनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्/कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का सभी श्रेणी के पदों में प्रतिनिधि कितने प्रतिशत है ? क्या आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? इस विभाग में कितनी महिला कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? इनमें से कितनी महिला कर्मचारी/अधिकारी ने सामान्य जाति के पुरुष कर्मचारी/अधिकारी से विवाह किया है ? क्या इनको आरक्षण का लाभ मिला है ? यदि हां, तो आधार/नियम क्या हैं ? क्या किसी महिला अधिकारी को सामान्य जाति के पुरुष अधिकारी से विवाह करने के बाद आरक्षण कोटा का लाभ मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या उनको आरक्षण लाभ से वंचित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुर्वेदिक निदेशालय में कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति से हुये रिक्त स्थान पर दैनिक वेतन लिपिक की नियुक्ति की मांग

68–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक निदेशालय में वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक के कितने पद प्रोन्नति या सेवानिवृत्त के उपरान्त रिक्त हुये हैं जिन पर नियुक्ति निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन लिपिक/टंकक के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर होने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ज्येष्ठता निर्धारण में अभ्यर्थियों की दैनिक वेतन में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अथवा निदेशालय में की गयी सेवाओं का लाभ देते हुये तय किया जायेगा ? जैसा कि पूर्व में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, टूडियागंज के कई दैनिक वेतन लिपिकों को वर्ष 1988 व उसके बाद भी उनकी दैनिक वेतन की राजकीय आयुर्वेदिक कालेज की सेवाओं का लाभ देते हुये किया गया है ? यदि हां, तो वे अभ्यर्थी कौन-कौन हैं और उन्हें कब-कब और कहां-कहां तैनात किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पूर्व की भांति निदेशालय में कार्यरत राजकीय कालेज, टूडियागंज के ज्येष्ठ दैनिक वेतन लिपिक को भी लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

आयुर्वेदिक निदेशालय में कनिष्ठ लिपिक का एक पद दिनांक 11-2-94 को पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त है, जिस पर दैनिक वेतन लिपिक/टंकक के माध्यम से कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप कोई पद नहीं रिक्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक निदेशालय में पदोन्नति मृत्यु एवं सेवानिवृत्त के कारण रिक्त पदों पर दैनिक वेतन के कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

69–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 से अब तक आयुर्वेदिक निदेशालय में लिपिक/टंकक के कितने पद रिक्त थे जिन पर निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन लिपिक अथवा निदेशालय के अधीन राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में कार्यरत दैनिक वेतन टंकक/लिपिक को उनकी दैनिक वेतन की सेवाओं का लाभ देते हुये निदेशालय में या राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक/टंकक के पदों पर तदर्थ/नियमित रूप से नियुक्त किया गया तथा कितने अभ्यर्थियों को निदेशक द्वारा निदेशालय/राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों व अधीनस्थ कार्यालयों में नियमों के विपरीत सीधे नियुक्त किया है ? क्या अनियमित रूप से की गयी नियुक्तियों को निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

आयुर्वेदिक निदेशालय में शनैः-शनैः पर कनिष्ठ लिपिक के 17 पद वर्ष 1986 से अब तक सेवानिवृत्त/मृत्यु एवं पदोन्नति के कारण रिक्त हुये।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेदिक निदेशालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी तदर्थ नियुक्त कर्मचारी को नगरपालिका की सेवाओं का लाभ

70–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक निदेशक द्वारा दि० 22-5-90 को पत्रांक कैम्प/90/अधि०/108 द्वारा किसी लिपिक की सीधी नियुक्ति उसकी नगरपालिका की सेवाओं का लाभ देते हुए अधिक आयु सीमा होने के बावजूद भी नियमों के विपरीत आयु सीमा में छूट देते हुये की गयी, जबकि वह नगरपालिका में किन्हीं अनियमितताओं के कारण सेवामुक्त अभ्यर्थी हैं ? यदि हां, तो क्या आयु सीमा में छूट देने का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी को है ? यदि नहीं, तो क्या नियमानुसार छूट हेतु उच्चादेश प्राप्त किये गये थे ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त नियुक्ति निरस्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

दिनांक 22-5-90 को कनिष्ठ लिपिक पद पर की गई तदर्थ नियुक्त कर्मचारी को नगरपालिका की सेवाओं का लाभ प्रदान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक श्री राम नाथ मिश्र, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जनपद बाराबंकी के आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

71–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1994 जो श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र की नियुक्ति इनके पिता स्व० श्री राम नाथ मिश्र जो सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग बाराबंकी में कार्यरत थे, के मृतक आश्रित होने के नाते की जानी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र के पिता स्व० श्री रामनाथ मिश्र कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई बाराबंकी में चौकीदार के पद पर कार्य करते हुये दिनांक 3-12-69 को दिवंगत हुये । सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली जो शासनादेश सं० 8/12/73, दिनांक 7-10-74 को प्रकाशित की गई है और यह दिनांक 21-12-73 से प्रभावी है । अतः स्व० राम नाथ मिश्र के आश्रित श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र की नियुक्ति का मामला उक्त नियमावली के तहत अच्छादित न होने के फलस्वरूप उन्हें नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

कुमांऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सी० पी० एम० टी० परीक्षा के उत्तीर्ण छात्रों द्वारा मेडिकल कालेज में प्रवेश की मांग

72–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में कुमांऊ विश्वाविद्यालय द्वारा आयोजित सी०पी०एम०टी० परीक्षा के परिणाम से उत्पन्न विवाद के कारण छात्रों ने रिट याचिका दायर की थी, उस रिट याचिका का मा० उच्च न्यायालय ने जुलाई, 93 में निर्णय भी दे दिया है ? क्या सरकार उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में छात्रों का पुनरीक्षित परीक्षाफल घोषित होने के बाद अभी तक छात्रों को किसी भी मेडिकल कालेज में प्रवेश नहीं प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो सरकार छात्रों के प्रवेश हेतु आदेश जारी करने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रवेश के लिए अतिरिक्त सीटें सृजित करनी होंगी जिसके लिए इण्डियन मेडिकल काउन्सिल (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1993 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कालेज में सीटें सृजित नहीं की जा सकती हैं। सीटों के सृजन की अनुमति देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त होने पर ही प्रवेश की कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में तपोवन नामक स्थान पर जनता हेतु पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

73–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ के तपोवन नामक स्थान में विगत पांच वर्ष पूर्व एक पेयजल योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस योजना से वहां के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इससे सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को सरकार दण्डित करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ का तपोवन नामक स्थान ग्राम गुनाकिटार का तोक है जो कि गुनाकिटार पेयजल योजना अनुमानित लागत रु० 6.21 लाख से लाभान्वित है।

वर्तमान में तपोवन नामक स्थान पर जनता को निरन्तर पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में महिला चिकित्सालय में एनेस्थेटिस्ट के पद की सृजन की मांग

74–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, जिला महिला चिकित्सालय में एनेस्थेटिस्ट का पद सृजन करने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक यह पद सृजित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय (पुरुष) पिथौरागढ़ में एनेस्थेटिस्ट का पद सृजित है तथा आवश्यकता पड़ने पर एनेस्थेटिस्ट की सेवायें महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराई जाती हैं।

जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास

75–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में 8 स्टाफ नर्स, 1 सहायक मैट्रन, 4 सिस्टर तथा 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो यह पद कब तक भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में एक मैट्रन, एक सहायक मैट्रन तथा एक सिस्टर का पद कई वर्षों से तथा 4 सिस्टर व 8 स्टाफ नर्स के पद अगस्त, 1993 से रिक्त हैं।

इन पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के लोगों द्वारा आवासों में अनाधिकृत कब्जा

76–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के कुल कितने आवास हैं तथा उनमें कितने लोग अधिकृत रूप से रह रहे हैं और कितने अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं ? अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोगों को निकालने के लिये अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

महिला अस्पताल, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के 6 आवास निर्मित हैं। उक्त आवासों में से 5 आवास में अधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं तथा एक आवास अनाधिकृत कब्जे में है।

अनाधिकृत कब्जे वाले आवास को खाली कराये जाने का मामला न्यायालय मे लम्बित है।

प्रदेश के चिकित्सालय में कार्यरत सामान्य श्रेणी–2 के सभी चिकित्सक एवं फार्मेसिस्ट के लिए इमरजेन्सी ड्यूटी निःशुल्क आवास

77–श्री चैन सुख भारती–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के चिकित्सालय में कार्यरत सामान्य श्रेणी–2 के सभी चिकित्सक एवं फार्मेसिस्ट अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं ? यदि हां, तो महिला चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत फार्मेसिस्ट एवं चिकित्सक सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त इमरजेंसी ड्यूटी क्यों नहीं करते जबकि उनको निःशुल्क विद्युत शुल्क सहित सरकारी आवास भी उपलब्ध कराया गया है ? क्या उसका प्रमुख कारण उनका पुरुष होना है तो क्या सरकार वहां से पुरुषों को हटाकर उनके स्थान पर महिलाओं की नियुक्ति कर सेवाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत फार्मेसिस्ट एवं चिकित्सक भी अपनी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं। जिन फार्मेसिस्टों एवं चिकित्सकों को निःशुल्क सरकारी आवास आवंटित है उन्हें निःशुल्क विद्युत की सुविधा नहीं अपितु उनके वेतन से क्रमशः रु० 120 एवं 264 रु० प्रतिमाह की दर से विद्युत शुल्क काटा जाता है।

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, उ० प्र० में प्राचार्य को आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों से नियुक्त करने की मांग

78–श्री राम करन आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, उ० प्र० के लिए दो प्राचार्य के पद आरक्षित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि आयोग के चयन तक भारी विलम्ब को देखते हुए तदर्थ चयन तत्काल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा अधिसूचित उ० प्र० राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 में विहित प्राविधानों के अनुरूप प्राचार्य पद पर चयन लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है तथा उक्त सेवा नियमावली में तदर्थ चयन कराये जाने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में तड़ीगांव–कानड़ी नहर के निर्माण की मांग

79–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में तड़ीगांव-कानड़ी नहर का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? उक्त नहर का अभी तक पूर्ण निर्मित न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त नहर की प्रस्तावित सिंचन क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में तड़ीगांव-कानड़ी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ किया गया ।

तड़ीगांव नहर के समरेखन में लगभग 300 मीटर खड़ी कठोर चट्टान के कारण कार्य अवरुद्ध है। उक्त कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में निविदायें आमन्त्रित की गई थीं, परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई । पुनः वर्ष 92-93 में निविदायें आमंत्रित की गई जो विभागीय दरों से अधिक दरों पर प्राप्त हुईं ।

कानड़ी नहर के स्रोत से लघु जल विद्युत निगम द्वारा तालेश्वर विद्युत योजना बनाई जा रही है। दिनांक 5-2-90 को सिंचाई तथा लघु जल विद्युत के उच्च अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि कानड़ी नहर विद्युत परियोजना के पूर्ण होने तक स्थगित कर दी जाय ।

तड़ीगांव नहर को वर्ष 1994-95 तक पूर्ण करके प्रस्तावित सिंचन क्षमता के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

कानड़ी नहर का निर्माण लघु जल विद्युत निगम की प्रस्तावित योजना की एप्रोच चैनल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही संभव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल में पैठाणी–चाकीसैंण मोटर मार्ग पर अस्वीकृत पुल बनाये जाने की शिकायत

80–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पहले बुधवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 100 के उत्तर के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री द्वारा उस उत्तर जिसमें कि० मी० 1 में पड़ने वाले पुल को न बनाये जाने के बारे में लिखा है, क्या यह सही है कि विस्सूखाल से शुरू होने वाले इस मोटर मार्ग के कि० मी० 1 में विशाल पुल पड़ रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शासन द्वारा उक्त पुल जो स्वीकृत नहीं है का आगणन विभाग द्वारा मांगा गया और तब तक उस पर काम करने के लिखित आदेश जारी किये गये हैं ? ऐसी स्थिति में सदन में गलत सूचना देने के क्या कारण हैं ? क्या इस मोटर मार्ग को विभाग की आपत्ति के बाद भी वहां से शुरू किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा वहां पर पुल न बनाने का क्या कारण है ? क्या इस मामले की शासन विस्तृत जांच करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । मार्ग पर काम करने के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्यक विचारोपरान्त ही विस्सूखाल से मार्ग निर्माण का कार्य शुरू किया गया है ।

वित्तीय संसाधनों की कमी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र की बाढ़ में कोसी से हुई अत्यधिक क्षति के संबंध में तटबन्ध व सुरक्षा दीवारें बनाने की योजना

81–श्री बची सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के राम नगर क्षेत्र में विगत सितम्बर, 1993 की बाढ़ में कोसी नदी से अत्यधिक क्षति हुई है ? क्या यहां दुर्गापुरी, पम्पापुरी सहित अनेक आवासीय कालोनियों के मकानों को भीषण क्षति हुई है तथा जल संस्थान संयंत्र व राजकीय महाविद्यालय रामनगर

की भूमि भी क्षतिग्रस्त हुई है जिससे रामनगर के पूरे क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है ? क्या सरकार कोसी नदी पर आवश्यक तटबन्ध व सुरक्षा दीवारें बनाकर जनधन हानि को रोकने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

योजना विचाराधीन है ।

82–श्री चरन सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हमीरपुर स्टेडियम का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं० परमानन्द के नाम पर करने की मांग

83–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर स्टेडियम का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं० परमानन्द के नाम पर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमीरपुर स्टेडियम का नामकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण की शासन की सामान्य नीति नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में बेलघाट ब्लाक के अन्तर्गत स्थित ढखना बाजार की अनु० जाति बस्ती में अप्रस्तावित एन्टी इरीजन वर्क्स

84–श्री मोलई प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि विगत 14-11-83 को जिला गवर्निंग बाडी, गोरखपुर की बैठक में बेलघाट ब्लाक अन्तर्गत स्थित ढरवा बाजार की अनुसूचित जाति बस्ती में कुआनो नदी के बायें तरफ एन्टी इरीजन वर्क्स मु०/9.01 लाख, प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के प्राचार्य

85–श्री मोलई प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में किसी में भी प्राचार्य पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई व्यक्ति नियुक्त है ? क्या यह सही है कि आरक्षण व्यवस्था के अनुसार दो पद प्राचार्य के अनुसूचित जाति के कोटे में आरक्षित भी हैं ? क्या प्राचार्य के 4 पद रिक्त अभी भी हैं ? यदि एक भी अनुसूचित जाति का प्राचार्य नियुक्त नहीं है, तो क्यों? क्या अन्य होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के पद सीधी भर्ती के हैं ? यदि नहीं, तो इनमें अनुसूचित जाति के लोगों को स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या शीघ्रातिशीघ्र प्राचार्य पद की नियुक्तियों में प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति से भरने का प्रयास सरकार करेगी ?

श्री बलराम यादव–

राज्य के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जन जाति का कोई भी व्यक्ति प्राचार्य पद पर नियुक्त नहीं है ।

जी हां ।

क्योंकि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों मे प्राचार्यों की नियुक्तियां प्रान्तीयकरण की तिथि 11-12-81 के पूर्व निजी प्रबन्धक द्वारा की गई थीं । प्रान्तीयकरण शासनादेश 11-12-81 से सभी 9 कालेजों में पूर्व से कार्यरत प्राचार्यों को यथावत् ही राजकीय सेवा में ले लिया गया था । शेष एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज (नेशनल कालेज लखनऊ) का प्रान्तीय करण 1968 में शासन द्वारा किया गया था । इस कालेज में पूर्व से कार्यरत प्राचार्य को भी यथावत् राजकीय सेवा में ले लिया गया । तदुपरान्त दिनांक 11-12-81 को प्राचार्य का कोई भी पद किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में रिक्त नहीं था, तथा उस समय प्राचार्य पद पर अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति कार्यरत नहीं था । ऐसी स्थिति में प्राचार्य पद पर किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों मे प्रान्तीयकरण के समय नियुक्त किया जाना संभव नहीं था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

गढ़वाल मण्डल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु शासनादेश

86–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कुल कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक एवं राजकीय विद्यालय भवन रहित हैं ? क्या भवन रहित विद्यालयों में भवन बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गढ़वाल मण्डल में 35 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज भवन रहित है ।

कक्षा-कक्ष निर्माण की योजना है ।

उक्त 35 विद्यालयों में से 31 विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु रु० 1.25 लाख प्रति विद्यालय की दर से शासनादेश संख्या–268/28–2-94-4 (47)/92, दिनांक 31 मार्च, 1994 द्वारा स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० के तत्कालीन प्रबन्धक निदेशक एवं वर्तमान जिला प्रबन्धक, लखनऊ के विरुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार के संबंध में उच्च स्तरीय जांच की मांग

87–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक एवं वर्तमान जिला प्रबन्धक, लखनऊ के विरुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत विभागीय कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25-05-1993 को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, लखनऊ के जिला प्रबन्धक पर लाखों रुपये का घोटाला करने का आरोप

88–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, लखनऊ वर्ष 1982-83 एवं इसके पूर्व आयातित खाद्य तेल गोदाम चौलक्खी के पद पर कार्यरत थे ? उन्होंने खाद्य तेल गोदाम हानि/परिवहन हानि के रूप में लाखों रुपये का छीजन हानि दर्शाकर घोटाला किया था ? क्या इसकी विभागीय जांच हुई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० के अधीनस्थ उन्नाव जनपदीय गोदाम के इन्चार्ज को धन गबन करने के संबंध में सेवामुक्त किया जाना

89–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान जिला प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, लखनऊ द्वारा 1989-90 में गोदाम प्रभारी उन्नाव से मिलीभगत करके लगभग साढ़े चार लाख रुपये का गबन किया गया है जिसकी विभागीय जांच हुई ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उन्नाव जनपदीय गोदाम में नियुक्त श्री अमर सिंह चौहान, गोदाम इन्चार्ज द्वारा वर्ष 1989-90 में रुपये पांच लाख इक्तीस हजार नौ सौ चौदह तथा छत्तीस पैसे का गबन किया गया था । उक्त मामले की विभागीय जांच करायी गयी । जांच के परीक्षणोपरान्त अन्तिम रूप से वर्तमान जिला प्रबन्धक, लखनऊ को दोषी नहीं पाया गया ।

इस मामले में दोषी पाये गये श्री अमर सिंह चौहान को दिनांक 17-11-89 को निगम की सेवा से मुक्त कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त श्री मिथलेश प्रसाद तत्कालीन सहायक प्रबन्धक (लेखा) (प्रतिनियुक्ति पर) को उनके पैतृक विभाग वापस कर दिया गया था, तथा उन्हें निलम्बित किये जाने की संस्तुति सहित आरोप पत्र उनके पैतृक विभाग को प्रेषित कर दिये गये थे ।

निगम के एक अन्य कर्मचारी श्री अनिल कुमार शुक्ला, सीजनल सहायक लेखाकार को निलम्बित करते हुये आरोप पत्र देकर जांच करायी गयी थी ।

जांचोपरान्त श्री शुक्ला दोषमुक्त पाये गये थे ।

जनपद आगरा में स्थित वैस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन पर झाड़-झंकारों एवं अवरोधों को हटाने के लिए व्यय किया गया धन

90–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में स्थित वैस्टर्न डिप्रैशन ड्रेन की वर्ष 1992-93 में खुदाई व सफाई करने के लिये ग्यारह लाख रुपये खर्च किया गया था ? यदि हां, तो वह नाला कितने कि० मी० तक साफ हो गया है ? क्या कार्यों का सत्यापन किसी गैर विभाग के अधिकारी से कराया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

वर्ष 1992-93 में वैस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन पर केवल रु० 8000.00 जंगल सफाई झांड़-झंकारों एवं अवरोधों को हटाने में व्यय किये गये । खुदाई व सफाई का कार्य नहीं कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में स्थित आगरा टर्मिनल नहर की पटरी पर सड़क बनाने की मांग

91–श्री बदन सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में स्थित आगरा टर्मिनल नहर की पटरी पर सड़क बनाने के लिये खड़वाई पुल से 5 कि० मी० बिचपुरी ग्राम तक का उद्घाटन वर्ष 1991-92 में तत्कालीन कृषि मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उस सड़क को अभी तक न बनाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संबंधित मंडी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ।

ग्राम खाझापुर, तहसील व जिला सुल्तानपुर के अनुसूचित जाति के निवासियों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी

92–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खाझापुर, तहसील व जिला सुल्तानपुर के निवासी अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के लोगों को कौन-कौन सी जन सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ? क्या कोई अन्य जनकल्याण सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोई योजना भी बनाई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्राम खाझापुर तहसील व जिला सुल्तानपुर के निवासी अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जल निगम द्वारा दो इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा प्रारम्भ से अब तक 3 सम्पर्क मार्ग व एक नाली का निर्माण तथा एक कूप व एक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराई गई है । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 8 परिवारों को लाभान्वित कराया गया है ।

जी नहीं । परन्तु ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत एकीकृत ग्राम्य विकास योजना जवाहर रोजगार योजना, निःशुल्क बोरिंग, अनुसूचित जाति पेयजल योजना, निधूम्र चूल्हा, बायोगैस संयंत्र योजना आदि उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

93–श्री मोहर सिंह–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–98 द्वारा उत्तरित ।

श्री आशाराम ग्राम भारसी, विकास खण्ड कांधला, जनपद मुजफ्फरनगर पर गेहूं के बीज एवं कीटनाशक औषधियों में मिलावट करने का आरोप

94–श्री रतन पाल पंवार–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुभाष पवांर पुत्र श्री आशा राम ग्राम भारसी, विकास खण्ड कांधला, जनपद मुजफ्फरनगर के द्वारा गेहूं के बीज एवं कीटनाशक औषधियों में मिलावट के आरोपों सहित शिकायती-पत्र खण्ड विकास अधिकारी, कांधला, जिला मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र संख्या 1397/कृषि/93-94, दिनांक 5-2-1994 द्वारा जिला कृषि अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा जांच करने हेतु कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हुई ।

उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय में रिक्त रीडर के पदों पर नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी स्तर से कार्यवाही

95–श्री मित्रसेन यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय द्वारा रीडर/लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पर नियुक्तियां कर ली गईं ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेंगी ? क्या उक्त रिक्तियां निरस्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र अभ्यर्थियों का कब तक वापस कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदन-पत्रों से कोई नियुक्तियां नहीं की गईं ।

विज्ञापित रिक्तियों में 50 पद रीडरों के थे तथा एक पद निदेशालय में पूर्व से कार्यरत लिपिक के त्यागपत्र से रिक्त था । जिस पर नियुक्त किये जाने हेतु महानिदेशक उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकारी थे । परन्तु दिनांक 18-12-91 को उक्त पद के लिये नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी बना दिये गये । परिणामस्वरूप विज्ञापित रिक्तियों के आवेदन पत्र निक्षेप कर दिये गये और चूंकि लिपिक का पद निदेशालय के लिये था अतः लिपिक के एक पद पर सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगा कर, चयन समिति के माध्यम से, नियुक्ति कर ली गयी । रीडर के पद पर जिलाधिकारियों के स्तर से कार्यवाही की जा रही है । 10 जिलों में रीडर नियुक्त किये जा चुके हैं ।

जी नहीं ।

निक्षेपित आवेदन पत्रों को वापस किये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज त्यूनी में छात्रों के अध्ययन तथा कक्षों के संबंध में जानकारी

96–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय इंटर कालेज, त्यूनी में कक्षा–6 से कक्षा–12 तक के छात्रों के अध्ययन हेतु कितने कक्षों की व्यवस्था है ? क्या उपलब्ध कक्षों में छात्रों की पढ़ाई सुचारु रूप से चल रही है ? यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कक्षा–6 से कक्षा–12 के छात्रों के अध्ययन हेतु 4 कक्षा–कक्ष एवं 2 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है ।

उपलब्ध कक्षा-कक्षों में ही छात्रों की पढ़ाई चल रही है ।

अपर्याप्त भवनों वाले विद्यालयों में दो-दो कक्षा-कक्ष निर्माण की योजना के अन्तर्गत भविष्य में कक्षों का निर्माण कराया जावेगा ।

जनपद बदायूं, विकास खण्ड उसांवा के कतिपय ग्रामों के ग्राम प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों के धन का दुरुपयोग किया जाना

97–श्री बनवारी सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं अन्तर्गत विकास खण्ड उसांवा के ग्राम सभा रेजोला, लिलवां, खजुरानगला, कमलैयापुर बारीखेड़ा व ब्लाक कादरचौक के ग्राम सभा लभारी व भोजपुर, मुहम्मदगंज के ग्राम प्रधानों को वर्ष 1989-90 से वर्ष 1993 के दिसम्बर तक जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों में कितना पैसा ग्राम प्रधानों को मिला है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधानों द्वारा उक्त पैसों का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी पाये गये प्रधानों को दण्डित करेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य स्रोतों से वर्ष 1989 से दिसम्बर, 1993 तक ग्राम सभाओं को प्राप्त धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्रामसभा रेजोला	रु० 10,17,766
ग्रामसभा लिलवा	रु० 1,90,613
ग्राम सभा खजुरानगला	रु० 70,101
ग्रामसभा कमलैयापुर खेड़ा (जलालपुर खाम)	रु० 1,24,245
ग्रामसभा बारीखेड़ा	रु० 1,31,516
ग्रामसभा लभारी	रु० 3,83,978
ग्रामसभा भोजपुर	रु० 1,05,425
ग्रामसभा मुहम्मदगंज	रु० 1,85,558

जी हां । प्रथम दृष्टया धन के दुरुपयोग का मामला पाया गया है ।

जी हां ।

जनपद देवरिया के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी कथित जांच

98–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड दुदही में सन् 1991-92 में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी कोई जांच कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया द्वारा की जा रही है ? यदि जांच चल रही है, तो कब से ? क्या जांच कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? यदि जांच पूरी नहीं हुयी है, तो कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

वर्ष 1991-92 में कार्यरत श्री शीतमनि यादव, खण्ड विकास अधिकारी, दुदही, देवरिया के विरुद्ध मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी कोई जांच नहीं की जा रही है ।

मण्डी समिति, कानपुर के भवन का निर्माण एवं दुकानों के आवंटन की कार्यवाही

99–श्री जगराम सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, कानपुर का भवन निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें दुकानें आवंटित हैं ? यदि हां, तो क्या मण्डी समिति अपने भवन में कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं, किन्तु वर्तमान में दुकानें व्यापारियों को आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

मण्डी समिति कार्यालय अपने भवन में कार्यरत है । मण्डी प्रांगण में अभी व्यापार कार्यरत/स्थानान्तरित नहीं है ।

समिति स्तर से व्यापारियों को नवीन मण्डी स्थल में स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के कृषकों द्वारा सामान लाने हेतु सड़कों के निर्माण का कथित प्रस्ताव

100–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में मण्डी परिषद् की मण्डियों खासकर विधान सभा क्षेत्र हड़हा जो भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा है, के कृषकों को सामान लाने के लिये कितनी सड़कें दी गयी हैं ? यदि नहीं दी गयी हैं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई नहीं ।

मण्डी समिति/जिला चयन समिति से सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड नारायणपुर, ग्राम बघेड़ी के पास नदी पर, रपटा का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मिर्जापुर द्वारा कराया जाना

101–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बघेड़ी, विकास खण्ड नारायणपुर, जिला मिर्जापुर के पास नदी पर एक रपटा का निर्माण डी० आर० डी० ए० आदि मदों के पैसे से पिछले वर्षों में हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निर्माण प्रस्तावित व स्वीकृत माप, मानक एवं मूल्य के अनुसार हुआ है ? क्या प्रस्तावित एवं अनुबन्धित ऊंचाई व डिजाइन से कम ऊंचाई व त्रुटिपूर्ण आकार का कमजोर बनाया गया है ? क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे ? इस रपटा का निर्माण किस एजेन्सी से कराया गया तथा इस पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

संबंधित रपटा के निर्माण की जांच ग्राम्य विकास विभाग के टेक्नीकल आडिट सेल से कराई गई है ।

इस रपटा का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड मिर्जापुर द्वारा कराया गया है तथा इस पर कुल मु० 5.75 लाख रुपये का व्यय हुआ है ।

श्रीमती गोविन्दा उर्फ जगरानी पत्नी स्व० रामनाथ वर्मा को स्वीकृत परिवारिक पेंशन

102–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा अग्रसारित श्रीमती गोविन्दा उर्फ जगरानी पत्नी स्व० रामनाथ वर्मा, अवर अभियन्ता, सिंचाई बाढ़ प्रखण्ड, गोण्डा का दिनांक 25-1-94 का कोई पत्र मृत्योपरान्त शासनादेश के तहत पारिवारिक पेंशन आदि भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें शीघ्र पेंशन आदि का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० सदस्य, विधान सभा श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा का पत्र प्राप्त हुआ, परन्तु उसके साथ श्रीमती गोविन्दा उर्फ जगरानी पत्नी स्व० राम नाथ वर्मा, अवर अभियन्ता का कोई पत्र सिंचाई विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उसे श्रीमती गोविन्दा उर्फ जगरानी से दिनांक 18-3-94 को व्यक्तिगत सम्पर्क करके प्राप्त किया गया है ।

व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किये गये प्रार्थना-पत्र पर पारिवारिक पेंशन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी में चौरा से गैसापुर, विकास खण्ड ईसानगर तहसील धौरहरा में, जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क के शेष कार्य को पूरा किये जाने की मांग

103–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में जिला योजना के तहत चौरा से गैसापुर, विकास खण्ड ईसानगर, तहसील धौरहरा में 3,000 मीटर सड़क बनानी स्वीकृत हुयी थी। क्या इसके लिये एक लाख बीस हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत हुयी थी ? जबकि केवल 1900 मीटर सड़क का ही निर्माण हुआ ? क्या पूरा धन निकाल लिया गया जबकि अवर अभियन्ता (आर० ई० एस०) द्वारा की गयी एम० बी० से केवल 74,000 रुपये की ही लागत आंकी गयी है ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? क्या ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष 1100 मीटर सड़क कब तक पूरी करा ली जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां।

संदर्भित सड़क (सम्पर्क मार्ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी, न कि जिला योजना के अन्तर्गत।

जी हां। इसके लिये एक लाख बीस हजार दो सौ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी और 1900 मीटर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

पूरी धनराशि नहीं निकाली गई है। बल्कि रु० 99,000 की धनराशि चार किश्तों मे प्राप्त करायी गयी, जिसमें से बी० के अनुसार रु० 74,000 का भुगतान 1900 मी० सड़क के कार्य के सापेक्ष किया गया है।

1900 मीटर सड़क पूर्ण होने के बाद ग्राम के हरद्वारी आदि द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिये जाने के कारण निर्माण कार्य रोक देना पड़ा। कोई अधिकारी व कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार नहीं है। अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

वाद का निर्णय हो जाने पर।

जनपद फैजाबाद के वि० क्षेत्र हरिग्टनगंज, ग्राम सराय मजरा में स्थित नलकूप पर कार्यरत कर्मचारी एवं वर्ष 1991-92, 1992-93 में सिंचाई प्रतिशत की जानकारी की मांग

104–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप सं० 218 बी० जी० स्थित ग्राम सराय मजरा, वि० क्षेत्र हरिग्टनगंज, फैजाबाद में अगस्त, 1992 से अब तक अंशकालिक नलकूप चालक के पद पर कौन कार्य कर रहा है और विभागीय अभिलेखों, विकास तालिका, पाक्षिक सिंचाई प्रगति रिपोर्ट, साप्ताहिक रिपोर्ट, जमाबन्दी, खातेवार गोसवारा पर किसके हस्ताक्षर हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त नलकूप वि० खण्ड के अन्तर्गत इस नलकूप की सिंचन क्षमता अन्य नलकूपों से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 में सिंचाई का प्रतिशत क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नलकूप सं० 218 वी० जी० स्थित ग्राम सराय मजरा, वि० क्षेत्र हरिग्टनगंज, फैजाबाद में अंशकालिक नलकूप चालक के पद पर कोई विभागीय कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

इन अभिलेखों पर श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री साहबदीन यादव के हस्ताक्षर हैं।

जी नहीं।

वर्ष 1991-92 में शून्य तथा वर्ष 1992-93 में सिंचाई का प्रतिशत खरीफ व रबी मिलाकर कमांड का 86 प्रतिशत रहा।

105–श्री राजकुमार शिवहरे–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उपमुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच

106–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में वर्ष 1991 में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रथम के विरुद्ध व्यवसायिक पार्टियों को भुगतान न किये जाने एवं एक लाख चौहत्तर हजार पांच सौ बासठ रुपया पच्चीस पैसा का भुगतान करने के पश्चात् भी प्राप्त रसीद अभिलेखों में संलग्न न कराने की शिकायत तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शासन को की गयी थी ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

शिकायती पत्र पर जांच आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये डा० जे० के० सिंह तत्कालीन उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) बांदा को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है। उक्त अधिकारी की बांदा में तैनाती की अवधि के लेखों की विशेष सम्परीक्षा कराने के भी निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये जा चुके हैं तथा पुलिस में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराया जाना

107–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में पिछली बरसात में आई बाढ़ से कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुयी है ? वहां पर बाढ़ की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पिछली बरसात वर्ष 1993-94 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से कुल 110.107 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है।

इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिये रुपया 10,00,000 में से रुपया 5.25 लाख चकराता निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालसी/देहरादून को उपलब्ध कराया गया है ।

उपरोक्त को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में निर्मित कराये गये चेकडैमों में से कतिपय चेकडैमों को दोषपूर्ण ढंग से बनवाने के लिए सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही

108–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कितने चेकडैमों का निर्माण कराया गया है ? क्या उनके निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता सही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त चेकडैमों में जल संचय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

134 चेकडैमों का निर्माण कराया गया हैं ।

जी हां, 105 चेकडैमों की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सही है । 29 चेकडैमों को दोषपूर्ण ढंग से बनवाने के लिए तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105 चेकडैमों में जल संचय है तथा 29 चेकडैम मरम्मत योग्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालय में 10,15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत ड्रग लिपिकों/वरिष्ठ लिपिकों का स्थानान्तरण

109–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों में कितने ऐसे ड्रग लिपिक हैं, जिनको एक ही पद पर 10 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गये हैं ? क्या मंत्री जी इनके स्थानान्तरण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारियों के अधीन कितने ऐसे वरिष्ठ लिपिक हैं, जिनको एक ही जनपद में कार्य करते हुये 15 वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश के छः जनपदों (बस्ती, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर) को छोड़कर अन्य सभी जनपदों से एकत्र की गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल सात (7) ड्रग लिपिक 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं । स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

उक्त छः (6) जनपदों को छोड़कर जहां से सूचना प्रतीक्षित है,

प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में कुल 275 वरिष्ठ लिपिक ऐसे हैं जिन्हें एक ही जनपद में कार्य करते हुए 15 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है। स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनके स्थानान्तरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु मण्डी परिषद् को निर्देश

110–श्री नजमउद्दीन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 27-3-91 को स्वीकृत मार्गों पर कार्य आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त दिनांक को कौन-कौन से मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे ? क्या यह सही है कि दिनांक 27-3-91 के बाद स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त मार्गों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

धनाभाव के कारण स्वीकृत 6 नग मार्गों में से 5 नग मार्गों का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका।

1–हथगहा से शंकरदहा वाया जुड़ापुर दहियांवा काशीपुर मार्ग।

2–नवाबगंज से दहियांवा जूड़ापुर बीहर मार्ग।

3–हथगहा से कोडहाट वाया गंगागंज फतेहपुर टेकारी मार्ग।

4–आनापुर से दहियांवा नसीरपुर दरगाही मार्ग।

5–गदिवानी से नवादा वाया पुरखापुर, खरगापुर, जीतपुर, रायपुर,रजवाहा की पटरी।

6–हथगहा से सरायं फत्ते।

विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में दि० 27-3-91 के पश्चात् कोई मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषद् को निर्णय लेने हेतु निदेशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के मण्डी समिति तमकुही रोड के अन्तर्गत सलेमगढ़ में अप्रस्तावित जांच चौकी

111–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के मण्डी समिति तमकुही रोड के अन्तर्गत नेशनल हाई–वे 28 पर सलेमगढ़ में कोई जांच चौकी स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि वहां लगे बैरियर जिस पर जांच चौकी का बोर्ड लगा है विभाग का कर्मचारी रहता है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड सेवरही के मठिया श्रीराम न्याय पंचायत में सामुदायिक विकास केन्द्र निर्माण हेतु स्वीकृत धन

112–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड सेवरही के मठिया श्रीराम न्याय पंचायत में कोई सामुदायिक विकास केन्द्र स्वीकृत है? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय होना है तथा कब तक निर्माण पूर्ण हो जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

एक लाख रुपये ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज ग्राम जैतीपुर के उपकेन्द्र के कर्मचारियों के संबंध में जांच आख्या पर की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग

113–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतीपुर, ब्लाक नवाबगंज में अस्पताल कर्मचारियों का वेतन निकाला जा रहा है परन्तु जनता की सुविधा के लिये न तो उक्त अस्पताल खुलते हैं न ही कर्मचारी ड्यूटी पर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर शासन द्वारा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम जैतीपुर में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है अपितु वहां एक उपकेन्द्र स्थापित है जिसमें बी० एच० डब्लू० (महिला) कार्यरत है । उपकेन्द्र के नियमित रूप से खुलने व कर्मचारियों के ड्यूटी पर जाने के संबंध में जांच कराई जा रही है जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये स्थानान्तरण स्था० आदेशों को संशोधित, निरस्त एवं स्थगित करने संबंधी पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग

114–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1993 में मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा अपने स्तर से कुल कितने स्थानान्तरण किये गये हैं ? उनमें से कितने स्थानान्तरण संशोधित अथवा निरस्त किये गये हैं ? स्था० आदेश संशोधित करने अथवा निरस्त करने के क्या कारण थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1993 में शासन की स्थानान्तरण नीति क्या थी ? क्या सभी स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुरूप ही किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध

कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

वर्ष 1993 में मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद ने अपने स्तर से कुल 92 स्थानान्तरण किये ।

किये गये स्थानान्तरण में से 14 संशोधित, 10 निरस्त तथा 2 स्थगित किये गये ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश, श्री राज्यपाल के सलाहकार के आदेश एवं जनहित में उक्त स्थानान्तरण आदेश संशोधित अथवा निरस्त किये गये । वर्ष 1993 में शासन की मुख्य नीति यह थी कि कर्मचारियों/अधिकारियों के कम से कम स्थानान्तरण किये जायें, अच्छी ख्याति न रखने वाले एवं गंभीर शिकायतों वाले कर्मियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर असंवेदनशील पदों पर कर दिये जायें, स्थानान्तरण के समय रिक्त पदों को भर दिया जाय तथा प्रतिकूल तथ्य न रहने पर निजी अनुरोध वालों के भी प्रार्थना पत्रों पर विचार कर लिये जायें आदि ।

जी नहीं ।

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्रथम दृष्टया स्थानान्तरण नीति/निर्देशों का उल्लंघन किया गया । इसके लिये डा० बी० बी० सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी फैजाबाद का स्थानान्तरण कर उन्हें संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पद पर तैनात कर दिया गया है । उनके द्वारा किये गये स्थानान्तरणों के संबंध में जांच कराई गई । जांच आख्या शासन को दिनांक 11-4-94 को प्राप्त हुई है । इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध की गई जांच और जांच आख्या की जानकारी की मांग

115–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग–12, उ० प्र० शासन के अर्धशासकीय पत्र सं०–62/5-12-94/एम–75/93, दिनांक 7-1-94 द्वारा डा० के० बी० वार्ष्णेय, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ० प्र० से चिकित्साधिकारी, फैजाबाद की भूमिका के संबंध में कोई आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उसमें मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद को दोषी पाया गया है ? क्या उसकी प्रति सदन के पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अपर निदेशक, चि० स्वा० एवं प० क०, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने अपने पत्र सं०–ए०डी०/शिका०/फै०/93/4069, दिनांक 9 सितम्बर, 93 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के संबंध में शासन द्वारा मांगी गयी आख्या संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग–12, उ० प्र० शासन, लखनऊ को भेजी है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सदन के पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस आख्या के आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियमों के अनुसार जांच आख्या की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है ।

जी हां ।

जी नहीं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियमों के अनुसार जांच आख्या की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है ।

प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये आरोपों के आधार पर डा० बी० बी० सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद का स्थानान्तरण कर उन्हें संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशालय के पद पर तैनात कर दिया गया है । जांच आख्या पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की संस्तुति मांगी गई थी । संस्तुति दिनांक 11-4-94 को शासन को प्राप्त हुई है । इसके आधार पर कार्यवाही परीक्षणोपरान्त की जायेगी ।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के ग्राम हरदोई राजा के तालाब की, भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा खुदाई एवं श्रमिकों से कराये गये कार्य की जानकारी की मांग

116–श्री अकबर अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरदोई राजा में वर्ष 1992-93 में तालाब की खुदाई का काम किस एजेन्सी से कराया गया है ? यदि यह कार्य दैनिक मजदूरी पर मानव दिवस के क्रम में पूरा किया जाना दर्शाया गया है, तो क्या सरकार उन श्रमिकों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी, जिनसे यह काम कराया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह कार्य ट्रैक्टरों से कराया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीराम यादव–

उरई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरदोई राजा में तालाब की खुदायी का काम वर्ष 1992-93 में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी, दस्युग्रस्त योजना, उरई से कराया गया है ।

जी हां ।

सूची संलग्न है । †

जी नहीं ।

तालाब का कार्य श्रमिकों से कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हंड़िया, ग्राम सभा मनीपुर के ग्राम प्रधान को पायलेट एवं जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत दी गयी धनराशि से किये गये कार्यों की जानकारी की मांग

117–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मनीपुर, तहसील हंड़िया, जनपद इलाहाबाद के ग्राम प्रधान को किन-किन स्रोतों से कब-कब, कितना-कितना धन प्राप्त हुआ ? उक्त धन को किन-

---

† छापी नहीं गयी ।

किन कार्यों में कब-कब और कितना-कितना खर्च किया गया है ? क्या उपरोक्त धनराशि भिन्न-भिन्न कार्यों में निर्धारित मानक के अनुसार खर्च की गई है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम प्रधान व विकास खण्ड अधिकारी की सांठ-गांठ से धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा मनीपुर को पायलेट योजना के अन्तर्गत वर्ष 89-90 व 90-91 में कुल तीन किश्तों में मु० 98284.65 एवं जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत 89-90 में कुल तीन किश्तों में मु० 46430.00 एवं वर्ष 1990-91 में कुल तीन किश्तों में मु०. 30167.00 तथा वर्ष 1991-92 में प्रथम किश्त के रूप में मु० 11910.00 धन प्राप्त हुआ ।

पायलेट योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 में प्राप्त धन से 977×2.5 मी० खड़न्जा तथा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 89-90 में कच्ची सड़क निर्माण 25.35 मी० रु० 18,108.00, खड़न्जा 60×2 मी० रुपये 6,352.00, हैण्ड पम्प 6 नग रु० 21,668.00, स्टेशनरी रु० 170.00 कुल रुपया 46,298.00, व्यय किया गया ।

वर्ष 1990-91 में प्रशासनिक व्यय रुपये 1,705.15, कूप मरम्मत 2 नग, रुपये 4,215.00, हैण्ड पम्प 2 नग रुपये 4,332.00 कुल रुपया 10,252.15 व्यय किया गया ।

वर्ष 1991-92 में हैण्ड पम्प 5 नग रुपये 10960.00, देवी चौरा चबूतरा रुपये 2,900.00 कुल रु० 13860.00 व्यय किया गया ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चमोली गढ़वाल के आदि बदरी में विकास खण्ड स्थापित करने की मांग

118–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला चमोली गढ़वाल में गैरसैंण विकास खण्ड का विघटन कर आदिबदरी में अलग से विकास खण्ड स्थापित किये जाने हेतु जनता वर्षों से आन्दोलित है ? यदि हां तो उस दिशा में क्या सार्थक प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

नये विकास खण्डों के सृजन/पुनर्गठन के सम्बन्ध में संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात ही विकास खण्डों के सृजन/पुनर्गठन के मांग पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा । सम्प्रति कोई नया विकास खण्ड सृजित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वा० तथा प्रा० स्वा० केन्द्रों पर मरीजों से पंजीकरण शुल्क लेने का आरोप

119–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० सरकार ने उ० प्र० के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण शुल्क फ्री के आदेश हैं, यदि हां, तो क्या यह सही है

कि स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० सरकार के आदेशों के विपरीत जनपद शाहजहांपुर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्रा० स्वा० केन्द्रों पर मरीजों से अभी भी पंजीकरण शुल्क एक रुपया वसूला जा रहा है ? क्या सरकार इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, पोस्ट भरौली कलां, विश्वम्भरपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत किये गये कार्यों की जानकारी की मांग

120–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विश्वम्भरपुर, पोस्ट भरौली कलां, जिला गाजीपुर के ग्राम प्रधान, श्री अनिल कुमार राय द्वारा गांव के विकास हेतु क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? ग्राम विश्वम्भरपुर के अन्तर्गत ऐसे कितने तालाब हैं एवं उन तालाबों से कितनी आमदनी ग्राम सभा विश्वम्भरपुर को होती है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री अनिल कुमार राय, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा विश्वम्भरपुर द्वारा गांव के विकास हेतु अब तक कितना पैसा व्यय किया गया है ? ग्राम प्रधान द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम विश्वम्भरपुर के ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार राय द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं:–

सम्पर्क मार्ग	1242 मी०
हैण्ड पम्प	3 अदद
पोखरी खुदायी	2 अदद
नाली	37 मीटर
कूप मरम्मत	2 अदद
खड़न्जा	829 मी०

ग्राम सभा विश्वम्भरपुर के अन्तर्गत कुल तालाबों (पोखरियों) की संख्या 4 है जिससे अब तक 12,000 रुपये की कुल आमदनी हुई है ।

ग्राम प्रधान ग्राम सभा विश्वम्भरपुर द्वारा गांव के विकास हेतु अब तक कुल रु० 1,27,272 व्यय किया गया है ।

विवरण उपरोक्त उत्तर के प्रथम भाग में अवलोकनीय है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जालौन के कोंच तथा नदीगांव ब्लाक के गांवों के ग्राम प्रधानों द्वारा जे० आर० वाई० के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सम्बन्ध में बोर्ड लगाया जाना

121–श्री चैन सुख भारती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कोंच ब्लाक तथा नदीगांव ब्लाक के गांवों में पिछले पांच वर्षों से गांव सभा के प्रधानों द्वारा जे० आर० वाई० के अन्तर्गत किये गये कार्य के क्या बोर्ड लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्य विवरण बोर्डों के लिये सरकार से धन उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उस धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या धन दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये धन एवं कार्यों का ब्योरा

122–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों (90-91, 91-92, 92-93) में जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना, पूर्वांचल निधि एवं अन्य विकास योजनाओं के तहत जो परियोजना निदेशक के माध्यम से खर्च किये गये हैं, उसका वर्षवार ब्यौरा किन-किन कार्यों पर खर्च करने का है ? कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं और कितने अधूरे हैं तथा कितने कार्यों पर धन डी० आर० डी० ए० के माध्यम से दिया गया है और वह धन खर्च न होने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना तथा पूर्वांचल विकास निधि योजना अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में गत तीन वर्षों (90-91, 91-92, 92-93) में डी० आर० डी० ए० अंग से परियोजना निदेशक के माध्यम से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से खर्च किये गये धन एवं कार्यों का विवरण संलग्न है ।

कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ–184 पर)

प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त स्थायी किये जाने की मांग

123–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण किये हुये कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ? क्या अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है ? क्या शासनादेशानुसार उनका स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां,

तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्थायीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश की अवहेलना किये जाने की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश के चार जनपदों (बहराइच, मऊ, आजमगढ़ एवं लखीमपुर खीरी) को छोड़कर अन्य सभी जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण किये हुये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 22325 है, जिनमें से 14815 कर्मियों को स्थायी किया जा चुका है । शेष कर्मियों के स्थायीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है । शेष की प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त चार जनपदों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

124–श्री हरक सिंह रावत–

[दि० 9-3-94 को अता० प्र० सं०–163 द्वारा उत्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में जू० हा० स्कूल जाख व केमधार वाडा, को उच्चीकरण करने की मांग

125–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू० हा० स्कूल जाख व केमधार वाडा, पौड़ी गढ़वाल के उच्चीकरण की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित मानकों की पूर्ति न करने के कारण ।

126–श्री हरक सिंह रावत–

[दि० 30-3-94 को अता० प्र० सं०–105 द्वारा उत्तरित]

उत्तरांचल क्षेत्र में निर्माण लागत, मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक होने के कारण निर्धारित मानक को बदलने का प्रकरण

127–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल क्षेत्र में स्कूल, नहर, भवन आदि को निर्मित करने में, यातायात, पैदल ढुलाई के कारण निर्माण की लागत मैदानी क्षेत्र की तुलना में लगभग दो गुनी आ जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तरांचल क्षेत्र की प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल व तत्संबंधी अन्य निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित मानकों को बदलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तरांचल क्षेत्र में निर्माण लागत मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक आती है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के चारधार हाईस्कूल को उच्चीकरण करने का कथित प्रस्ताव

128–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चारधार (पौड़ी गढ़वाल) हाईस्कूल का उच्चीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज, मटियाली को जीव विज्ञान विषय की मान्यता देने की मांग

129–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का०, मास्याली, पौड़ी गढ़वाल में जीव विज्ञान की मान्यता देने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

विद्यालय का नाम राजकीय इण्टर कालेज मास्याली नहीं बल्कि राजकीय इण्टर कालेज, मटियाली है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न होने के कारण ।

जनपद टिहरी गढ़वाल डागर पट्टी धमानस्यूं में स्थित भूस्खलन से क्षतिग्रस्त बेसिक पाठशाला को पुनः संचालित किए जाने की मांग

130–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक पाठशाला डागर पट्टी धमानस्यूं, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कब हुआ था ? क्या इस भवन को शिक्षा विभाग ने अपने हाथों में ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान समय में यह भवन किसके सुपुर्द है ? यदि यह वीरान पड़ा है, तो क्यों ? इस भवन की दुर्दशा किन कारणों से हो रही है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त भवन का निर्माण वर्ष 1986-87 में हुआ था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में यह भवन शिक्षा विभाग के पास है।

वर्ष 1988 में भूस्खलन के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गया था जिस कारण उक्त भवन में विद्यालय संचालित करना सम्भव न हो सका।

उपरोक्तानुसार।

भूस्खलन के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गया था।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी गढ़वाल के त्यूखर लस्या में खाली पड़े जू० हा० स्कूल के सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति को दण्डित करने की मांग

131–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू० हा० स्कूल, त्यूखर लस्या, टि० ग० का भवन कब बना था ? यह स्कूल भवन इस समय किस संस्था के पास है ? यदि यह भवन खाली पड़ा है तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद टिहरी गढ़वाल, वि० खं० देवप्रयाग, गवांणा पट्टी हिन्सारियाखाल में स्थित बेसिक पाठशाला भवन के निर्माण की मांग

132–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक पाठशाला गवांणा पट्टी हिन्सारियाखाल विकास खण्ड देवप्रयाग का भवन कब बनना शुरू हुआ था ? क्या इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि विगत 10 वर्षों से यह विद्यालय भवन अधूरा है ? क्या इस भवन का निर्माण पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बरेली ग्राम पिपरा नानकार में स्थित सिंचाई विभाग की कृषि भूमि के पट्टे

133–श्री मंजूर अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहेड़ी जनपद बरेली के ग्राम पिपरा नानकार में सिंचाई विभाग की पड़ी कृषि भूमि के पट्टे, कृषि करने के लिए कुछ व्यक्तियों को मार्च, 1995 तक के लिए किये गये थे, जिन पर आज भी उक्त लोग कृषि कर रहे हैं ? यदि हां, तो अब किस कारण उक्त पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले ही उक्त आवंटियों के पट्टे समाप्त करके अन्य व्यक्तियों को पट्टे कर दिये गये हैं ? किस नियम के तहत पट्टे पुनः किये गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता का इस सम्बन्ध में एक पत्र अधिशासी अधिकारी, नहर खण्ड, रूहेलखण्ड बरेली को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद बरेली में ग्राम पिपरा नानकार में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि का कोई भी पट्टा किसी भी कृषक को मार्च, 1995 तक के लिए नहीं दिया गया । इस ग्राम के कुछ कृषकों को प्रश्नगत भूमि का पट्टा 31 मार्च, 1992 तक के लिए दिया गया था जिसकी समाप्ति के बाद सिंचाई विभाग में कार्यरत जिलेदार श्री ओम प्रकाश शर्मा ने अनधिकृत रूप से प्रश्नगत भूमि को पट्टे के लिये अग्रिम धनराशि कुछ ऐसे व्यक्तियों से जो शासनादेश सं०–3187 एस० के०/71×23-आई बी०–51डब्लू/54, दिनांक 27-8-71 एवं शासनादेश सं०–2889 सका/88-23-सि०–3–51डब्लू/54, दिनांक 7-9-1988 के अन्तर्गत पट्टे के लिए पात्र नहीं हैं, से प्राप्त कर ली । जिसकी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने अनधिकृत रूप से जमा धनराशि संबंधित कृषकों को वापस करने के आदेश दिये तथा संबंधित जिलेदार के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है ।

इसी क्रम में प्रश्नगत भूमि का पट्टा अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को दिये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर पात्र व्यक्तियों को वर्ष 1-4-94 से 31-3-99 तक के लिए पट्टे के आदेश अधिशासी अभियन्ता जो सक्षम अधिकारी हैं द्वारा दिये गये । अनधिकृत रूप से पट्टे के लिये धनराशि जमा करने वाले उक्त वर्णित कृषकों में से कुछ ने मा० मुंसिफ न्यायालय बरेली से धनराशि वापस करने तथा पात्र व्यक्तियों को पट्टा देने संबंधी उक्त आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर अनधिकृत रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं ।

जैसा कि उपर उल्लेख किया जा चुका है पट्टे की अवधि 31-3-92 को समाप्त हो जाने के बाद ही अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को भूमि का पट्टा देने के आदेश किये गये हैं । शासनादेश संख्या–3187 एस० के०/71/तेइस–आई० बी० डब्लू/54 दिनांक 27-8-1971 एवं शासनादेश संख्या–2828सख/88-23-सिं०-3-51डब्लू/54 दिनांक 7-9-1988 तथा शासनादेश संख्या–2909 सख/92-27-सिं-3-57 एल/92 दिनांक 3-9-1992 के अन्तर्गत पुनः पट्टे किये गये ।

जी हां ।

प्रश्नकर्ता मा० विधायक के पत्र के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता रूहेलखण्ड नहर खण्ड बरेली के पंजीकृत पत्र दिनांक 28-2-94 के माध्यम से उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के ग्रामों की भूमि तथा आबादी को यमुना नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु कतिपय ग्रामों को छोड़ अन्य सभी ग्रामों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना

134–श्री जगवीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यमुना नदी ग्राम घरबड़ा समसपुर, लालपुर रेयदपुर, गिरधरपुर, शेरपुर, मालव, ऊंटासामी, परगना टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ की कृषि योग्य भूमि को काट रही है ? क्या सरकार उक्त कटान को रोकने हेतु ठोकरों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परगना टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, के बायें तट पर स्थित ग्राम समसपुर व धरवारा की ओर यमुना नदी का बहाव अधिक हो गया है, जिसके कारण इन ग्रामों की भूमि तथा आबादी को यमुना नदी के कटान से क्षति सम्भावित है ।

ग्राम धरवारा, महाबलीपुर आदि ग्रामों की सुरक्षा हेतु 27 डैम्पनर्स बनाये गये हैं । इसके अतिरिक्त ग्राम समसपुर हेतु 5 डैम्पनर्स, ग्राम मालव, रायगढ़ी, हेतु 13 डैम्पनर्स ग्राम शेरपुर हेतु 5 डैम्पनर्स तथा 2 बैंडवार, ग्राम किशनपुर हेतु 5 डैम्पनर्स, ग्राम ऊंटाशानी आदि हेतु 7 डैम्पनर्स बनाये गये । वर्ष 1992-93 में ग्राम महाबली, धरवारा आदि की सुरक्षा हेतु 2 डैम्पनर्स की मरम्मत की गयी । ग्राम समसपुर हेतु एक डैम्पनर्स की पुर्नस्थापना की गयी, जिसके फलस्वरूप उक्त ग्रामों का कटान रुक गया ।

ग्राम किशनपुर, महाराजगढ़, लालपुर आदि के 3 डैम्पनर्स की मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु रु० 27.27 लाख की परियोजना प्राक्कलन जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, अलीगढ़ को भेजा जा चुका है । योजना की स्वीकृति एवं धन आवंटन के पश्चात कार्य कराना सम्भव होगा ।

जनपद गाजियाबाद सहित प्रदेश के समस्त निवासियों को नये राशन कार्ड बनाने हेतु निर्देश

135–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने कुल आबादी के 70 प्रतिशत को ही राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जनपदों को जारी किये हैं ? यदि हां, तो उसमें गाजियाबाद नगर में, कुल आबादी के कितने प्रतिशत को राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ? क्या शासन गाजियाबाद के शेष नागरिकों को भी राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नये राशन कार्ड बनाने का निर्देश जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फर्जी यूनिटों के उन्मूलन के लिए चलाए गए अभियान में यह अनुभव रहा था कि जनसंख्या के सापेक्ष वास्तव में यूनिट्स लगभग 70% ही होती है, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आधा यूनिट ही माना जाता है ।

उपरोक्त कारणों से यह निर्देश दिए गए थे कि फर्जी यूनिटों की जांच कराकर उन्हें निरस्त किया जाए जिससे यूनिटों की संख्या जनसंख्या के 70% के आस-पास पहुंच सके । इन 70% यूनिटों में सारी आबादी आच्छादित है । अतः यह कहना सही नहीं है कि कुल आबादी पर 70% को ही राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं ।

गाजियाबाद में राशन कार्ड धारकों को राशन की सुविधा उपलब्ध है ।

गाजियाबाद सहित प्रदेश के समस्त निवासियों को नये राशन कार्ड बनाये जाने के निर्देश पहले ही निर्गत किये जा चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के सदस्यों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु विभिन्न योजनाओं को संचालित किये जाने की मांग

136–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे आने वालों का मानक क्या है ? प्रदेश में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे निवास करते हैं ? इनका जीवन स्तर उठाने के लिये सरकार के पास क्या योजना है ? क्या अभी तक सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री श्रीराम यादव–

रु० 11,000 (गयारह हजार रु०) वार्षिक आय से कम पाने वाले समस्त परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार माने जाते हैं ।

वर्ष 1987-88 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत 34.6 था । चालू योजना काल में सर्वेक्षण कराया जा रहा है । राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन द्वारा ऐसा सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात किया जाता है ।

ग्राम्य विकास विभाग की ट्राइसेम, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, विशेष रोजगार योजना तथा ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम के द्वारा ऐसे परिवारों के सदस्यों को चयनित कर उनके जीवन स्तर को गरीबी की रेखा से नीचे उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल, भले गांव (बागवान) के किसानों की भूमि पर निर्मित जल निगम कालोनी

137–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जल निगम मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल द्वारा लगभग सन् 1979 में किसानों से ली गयी खेतिहर भूमि पर जल निगम द्वारा कालोनी बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उन किसानों के नाम क्या हैं तथा कितनी-कितनी भूमि ली गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या जल निगम द्वारा उनमें से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जल निगम विभाग में नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो कितने परिवारों के सदस्यों को सेवा में लिया गया ? कितने परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के एक सदस्य को सेवा का अवसर अब तक नहीं दिया गया ? उनको सेवा में कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, वर्ष 1980 में भूमि निगम कालोनी हेतु भलेगांव (बागवानी) टिहरी गढ़वाल में ली गई थीं । जल निगम द्वारा भूमि पर योजना से सम्बन्धित कार्य तथा आवासीय कालोनी बनाई गई थी ।

किसानों के नाम तथा ली गई भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

1–श्री बचन सिंह पुत्र श्री तेगा सिंह 11–नाली (भलेगांव ग्राम)	
2–श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह	35 नाली
3–श्री कमल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह	

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में डान्डी पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग

138-श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में डान्डी पेयजल योजना का निर्माण कब पूर्ण हुआ ? क्या इस योजना से ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध हो रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिह यादव–

योजना के निर्माण कार्य दिसम्बर, 1992 में पूर्ण कर योजना रख रखाव हेतु ग्राम प्रधान, ग्राम सभा किस्तूर को जनवरी, 1993 में हस्तान्तरित कर दी गई थी ।

जी हां ।

योजना की हस्तान्तरण तिथि से उपलब्ध हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में बमरौली ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण जल निगम द्वारा कराये जाने की मांग

139-श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में बमरौली ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण किस माध्यम से कराया जा रहा है ? क्या योजना के निर्मित भाग में कई जगह से पानी जमीन की सतह पर आ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त योजना का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जल निगम के माध्यम से कराया जा रहा है ।

योजना में जो पाइप लाइन बिछाई गई है उसका टेस्टिंग कार्य चल रहा है । टेस्टिंग के समय यदि किसी जगह कोई लीकेज होता है तो वह पानी जमीन की सतह पर आ जाता है जिसे तुरन्त ठीक करा दिया जाता है ।

उपरोक्तानुसार,

उक्त योजना के संबंध में वर्तमान तक श्रोत कार्य पूर्ण करके कुल 90 प्रतिशत पाइप लाइन का कार्य करके योजना में सम्मिलित समस्त आठ ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है । शेष पाइप लाइन का कार्य 10 प्रतिशत तथा जलाशय निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

जनपद देहरादून, निर्वाचन क्षेत्र चकराता में उभरेऊ पेयजल योजना का कार्य

104–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में उभरेऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? क्या उक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उभरेऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1987 में प्रारम्भ हुआ था ।

योजना में पाइप लाइन तथा श्रोत के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, केवल दो जलाशयों का कार्य प्रगति पर है ।

कार्य प्रगति पर है ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में विभिन्न पेयजल योजनाओं की आमंत्रित निविदाओं का विवरण

141–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में, किन-किन पेयजल योजनाओं की निविदायें आमंत्रित की गयी हैं ? क्या उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1994-95 जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में निम्नांकित योजनाओं की निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं :–

1–खतार खेड़ा पेयजल योजना ।

2–खमरौली पेयजल योजना के अन्तर्गत जलाशयों का निर्माण ।

3–कलाछानी पेयजल योजना ।

4–मयार तोक पेयजल योजना ।

5–डुंगथात पेयजल योजना ।

6–पाटिका खेड़ा ।

7–त्यूनी पेयजल योजना के जलाशय का निर्माण ।

8–रिसानू पेयजल योजना ।

9–हनुवा खेड़ा पेयजल योजना ।

10–डांडा खेड़ा पेयजल योजना ।

11–बैराठा पेयजल योजना ।

12–सैन्सू खेड़ा पेयजल योजना ।

13–देसाड पेयजल योजना ।

14–गोई पेयजल योजना ।

15–सकेरनी पेयजल योजना ।

16–खतासा पेयजल योजना ।

उक्त में चार योजनाओं के कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिन पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । शेष योजनाओं की निविदाओं पर निर्णय लेने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद चमोली गढ़वाल में गोचर पेयजल योजनान्तर्गत स्वीकृति धनराशि में से किये गये विभिन्न कार्यों में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

142–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली/गढ़वाल में गोचर पेयजल योजना कब शुरू हुई और कितनी धनराशि की स्वीकृति हुई थी ? उक्त पेयजल योजना द्वारा कौन-कौन से क्षेत्र में, कितनी आबादी को किस सन् तक, किस मात्रा में पानी की आपूर्ति किस मानक के हिसाब से की जाती थी ? क्या यह योजना पेयजल की आपूर्ति कर पायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पेयजल योजना का कब पुनगर्ठन किया गया ? क्या पुनगर्ठन में किसी अन्य स्रोत से भी पानी उपलब्ध किया गया ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? पुनगर्ठन में कुल कितनी लाइन बिछाकर कितना उस पर धन व्यय किया गया ? क्या उक्त योजना पानी उपलब्ध करा पायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोचर पेयजल योजना सर्वप्रथम वर्तमान नगर क्षेत्र समिति गोचर के अन्तर्गत तत्कालीन बनाई मल्ली नामक ग्राम के नाम से वर्ष 1969 में निर्मित की गई थी । जिसमें निर्माण हेतु रु० 2.65 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था ।

इस योजना से ग्राम सिरकोट, पनाई मल्ली, पनाई तल्ली, पनाई हरिजन, रावल नगर, भट्ट नगर की 945 अभिकल्पित जनसंख्या को 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से लाभान्वित करना प्रस्तावित था ।

जी हां, इस योजना से वर्ष 1988 तक पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 1988 में इसके पुर्नगठन की आवश्यकता हो गई ।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

योजना का पुनगठन वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ किया गया ।

जी हां, अन्य स्रोत दुगड्डा गधेरा से पानी टैप कर बढ़ाया गया है ।

रु० 10.60 लाख ।

पुर्नगठन में 17.863 कि० मी० पाइप लाइन बिछाई गई तथा पुर्नगठन योजना पर अभी तक कुल रु० 37.729 लाख व्यय हुआ है ।

योजना से गोचर एवं अन्य क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराया गया है । दुगड्डा स्रोत की मरम्मत किया जाना शेष है ।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।

जनपद गढ़वाल की गोचर पेयजल योजनान्तर्गत दुगड्डा से गागरा तक बिना पानी के बिछी पाइप लाइन में अनियमतता के संबंध में कार्यवाही

143–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि गोचर पेयजल योजना गढ़वाल की दुगड्डा से गागरा तक बिछी हुई साढ़े सात किलोमीटर की लाइन पर एक बूंद भी पानी नहीं आया है ? क्या इस योजना पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चमोली जनपद की पनाई गोचर पेयजल योजना के अन्तर्गत दुगड्डा से गागरा तक 7.0 कि० मी० पाइप लाईन 1990-91 में बिछाई गयी थी । वर्तमान में केवल गागरा स्रोत से पानी गोचर को दिया जा रहा है । दुगड्डा गधेरा वर्तमान में क्षतिग्रस्त है । दुगड्डा स्रोत की मरम्मत किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रारम्भिक जांच में कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं । अनुशासनिक जांच कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार जांच हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।

144–श्री राम आसरे वर्मा–

[4थे सोमवार में अता० प्र० सं०–126 पर स्थानान्तरित]

साकेत डेयरी अयोध्या, फैजाबाद में कार्यरत अवर अभि० श्री शिव शंकर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश

145–श्री परशुराम यादव–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साकेत डेयरी अयोध्या, जनपद फैजाबाद में कार्यरत अवर अभियन्ता, श्री शिव शंकर सिंह द्वारा कर्मचारियों को मारने-पीटने, स्थानीय असामाजिक तत्वों की मदद से अधिकारियों/कर्मचारियों पर वर्चस्व बनाये रखने के लिये हड़ताल कराने, डेयरी में हुड़दंग कराने आदि सहित इनके विरुद्ध थाना रामजन्म अयोध्या में दर्ज प्राथमिकी सहित समस्त मामलों की जांच निदेशक, पी० सी० डी० एफ०, उत्तर प्रदेश द्वारा कराकर उक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 जनवरी, 94 माननीय मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत मामले में सारे आरोपों की जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करा दी गयी है ? यदि हां, तो की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आरोपों की प्रारम्भिक जांच के प्रकाश में श्री शिव शंकर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश हो चुके हैं तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति भी की जा चुकी है । प्रशासनिक आधार पर श्री सिंह को फैजाबाद से हटा भी दिया गया है ।

146–श्री अजय कुमार पोइया–

[आठवें बुद्धवार के लिए स्थगित]

आजाद कृषि एवं प्रायोगिकी, विश्वविद्यालय, कानपुर का एक प्रांगण उ० प्र० पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा होने के उपरान्त लिपिक कर्मचारियों को समान वेतनमान मिलने पर समान प्रोन्नति की मांग

147–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा, जो वर्ष 1975 से चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का ही एक प्रांगण है, के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कानपुर के लिपिक कर्मचारियों से सेवा अवधि में वरिष्ठतम होते हुए समान प्रोन्नति के अवसर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक तथा कितने क्रम में ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोनों के अनुपात निर्धारित हैं यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मथुरा के वरिष्ठ लिपिकीय कर्मचारियों को लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोनों लिपिकीय कर्मचारियों की संयुक्त वरीयता सूची बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मथुरा प्रांगण के लिये भी कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज शाम तक निर्णय दे दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, डंकल प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार दस्तखत करने जा रही है । (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं मैं शाम तक इस पर निर्णय दे दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर हस्ताक्षर होने के बाद निर्णय आयेगा तो उससे केन्द्र की सरकार अवगत नहीं हो पायेगी, हमारी भावनाओं से ।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और एक साथ अपनी-अपनी बातें कहते हुए नारे लगाने लगे ।)

("किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनाएं स्वीकार की गयी । जिन 7 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी उनके नाम निम्न प्रकार हैं–श्री गया चरन दिनकर, श्री रंगनाथ, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री अमरनाथ यादव, श्री महावीर सिंह, श्री ऊदल और श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (गुरू जी)

जो माननीय सदस्य उपस्थित होंगे, उनकी सूचनाएं सुनी हुई और पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

उ० प्र० लघु सिंचाई विभाग में आरक्षित अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर सामान्य श्रेणी के अभियंताओं को पदोन्नति किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गयाचरन दिनकर–

[मान्यवर, सानुरोध अवगत कराना है कि लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित अधिशासी अभियन्ताओं की रिक्त पदों पर सामान्य श्रेणी के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति करके तदर्थ अधिशासी अभियन्ता बनाया गया है । शासनादेश संख्या–65-2/69–रा० ए० की० दिनांक– 8 मार्च, 73 व शासनादेश संख्या–15-5-73–रा० ए० की० दिनांक 20 मार्च, 1974 एवं 27 दिसम्बर, 74 आदि का उल्लंघन एवं संबंधित वर्ग की मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है । सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता सूची के क्रमांक–101, 102, 103, 104, 107, 109 पर संबंधित सामान्य सहायक अभियंता की पदोन्नति करके आरक्षित पदों पर तदर्थ व्यवस्था की गयी है, जबकि सन्दर्भित सूची के क्रमांक–74, 89, 81 एवं 90 एवं 91 पर उपलब्ध अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ता को नजरन्दाज किया गया है । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ता की पदोन्नति नहीं की गई है, जबकि उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण सामान्य श्रेणी के सहायक अभियन्ता को पदोन्नति का लाभ दिया गया है । संज्ञान में यह भी लाना आवश्यक है कि सामान्य श्रेणी के अधिकारियों को अनुभव में रियायत देकर श्री गोपाल श्री आर० वाई कुशवाहा, श्री एन० के० जैन, श्री बी० एन० शुक्ल को पदोन्नति का अवसर दिया गया है किन्तु अनुसूचित जाति के वरिष्ठ एवं सुयोग्य अधिकारियों को अनुभव में रियायत का लाभ देना गंभीर अपराध समझा गया है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं को हटाकर विधि अनुरूप ज्येष्ठता के आधार पर अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति करके रिक्त पदों को भरने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश पारित करने की कृपा करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वाराणसी के औराई क्षेत्रान्तर्गत विधवत व हड़ौरा नाले पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रंगनाथ –

[मान्यवर, वाराणसी जनपद औराई विकास खण्ड में औरतें छाती भर पानी में विधवत व हडौरा नाले को पार करने में मौत की आशंका के संबंध में निवेदन है कि उक्त स्थान में ग्राम की महिलायें अपने खेत में चारा काटने हेतु नाले को पार करती है क्योंकि उस नाले पर पुल नहीं है नाला बरसात में काफी गहरा होने के कारण भर जाता है महिलायें नाले में घुसकर पानी में होकर पार करती हैं जिससे उनके बदन के कपड़े गीले हो जाते हैं और साथ में उनके डूबकर मरने की आशंका बनी रहती है आज, के दस साल पूर्व एक महिला की मौत भी हो गयी थी ।

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त नालों परपुल बनवाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें ।]

जनपद उन्नाव के पुरवा रोड से रायपुर बुजुर्ग एवं अन्य कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी–

[महोदय, उन्नाव जनपद राजधानी के अति निकट है, उन्नाव से पुरवा जाने वाले राजमार्ग से ग्राम ओराहर से होकर रायपुर बुजुर्ग तक दशक पूर्व खडन्जा का निर्माण हुआ था, परन्तु वह खड़न्जा बिल्कुल चलने लायक नहीं रह गया है, कोई भी सवारी यहां तक लोग साइकिल तक से नहीं चल सकते । इस व्याधि से हजारों व्यक्ति प्रभावित हैं । ग्रामीण बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, किसान अपनी उपज को मुख्य मार्ग तक किसी भी दशा में नहीं ला पाते हैं ।

यह भी अवगत कराया जाना उचित होगा कि इस रोड पर लगभग 15 हजार ग्रामवासियों को आवागमन रहता है तथा पूर्व में ही निर्माण हो जाना चाहिए था, कतिपय कारणों के कारण अभी तक न हो सका । शासन की नीति के अन्तर्गत एक हजार आबादी के ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा ।

अतः इस जनहित और लोक महत्व की सूचना आप तक पहुंचाकर, आशा करते हैं कि सरकार दलितों व पिछड़ों को भला करने की है, इन ग्रामों में मात्र दलित व पिछड़े ही रहते हैं, कृपया उपरोक्त मार्ग बनाने का निर्देश शासन को देने का कष्ट करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वाराणसी में कमनगढ्ढा व जैनपुरा स्थित बूचड़खाना अन्यत्र स्थानान्तरित करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव–

[महोदय, वाराणसी शहर के 243 वाराणसी उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कमनगढ्ढा व जैनपुरा क्षेत्र में अवस्थित बूचड़खाना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उक्त विषय अविलम्बनीय है, लोक-महत्व का है। जनहित में आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उक्त बूचड़खाने से आम-जनता को अत्यधिक कष्ट है। आबादी के बीचोबीच है, चील-कौवे द्वारा मांस के लोथड़े व हड्डी घरों और पूजा स्थलों पर बराबर गिरता रहता है, बरसात के दिनों में विशेष कर पशुओं के अनुपयोगी सामग्री चारों तरफ फेंके जाने से दुर्गन्ध एवं सड़ांध का साम्राज्य छाया रहता है, पास में जी०टी० रोड होने से यात्रियों एवं पर्यटकों को उसके दुर्गन्ध एवं सड़ांध की अनुभूति होती है, जो वाराणसी के लिये शर्म की बात है। नवरात्रि के प्रथम दिन वर्ष में दो बार शैलपुत्री देवी के दर्शनार्थ जाने वाले हजारों नागरिकों को उक्त दुर्गन्ध एवं सड़ांध का मुकाबला करना पड़ता है। उक्त क्षेत्र में बराबर हैजा आदि संक्रामक रोग से नागरिक परेशान होते हैं। इन कारणों से उक्त बूचड़खाना को हटाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय को जनहित में आदरणीय सदन के समक्ष उपस्थित कर आग्रह करता हूं कि जनहित में उक्त बूचड़खाने को आबादी के बीच से हटाकर कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण कर जनमानस को राहत पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद बिजनौर के ग्राम ताजपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महावीर सिंह–

[महोदय, जनपद बिजनौर के उक्त ग्राम ताजपुर में समाज की भूमि खसरा नं० 314 व 319 पर नन्दी (सांड) की समाधि है और इस प्रकार वह हिन्दुओं का महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त भू-खण्डों पर ही प्रत्येक वर्ष नौमी तथा दोपज के मेले भी लगते हैं जिसमें दूर-दूर से लोग आते हैं। ग्राम सभा के प्रस्ताव से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।

जनपद के एक भू-माफिया ने इन भू-खण्डों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है तथा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस गांव सभा के प्रधान की मृत्यु हो चुकी है और उप प्रधान निलम्बित चल रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर भू-माफिया ने, जो क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव डालकर भूमि पर अवैध निर्माण करा रहे है जिससे क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है और इससे कभी भी क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था बिगड़ सकती है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

वाराणसी विद्युत परिषद् द्वारा समुचित विद्युत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ऊदल–

[मान्यवर, विद्युत विभाग वाराणसी में ट्रांसफारमरों, खम्भों, क्लैम्प, तार पिछले कई वर्षों से बहुत कम प्राप्त हुये हैं जिससे नये कनेक्शन एग्रीमेंट करने के बाद भी पम्पिंग सेटों तथा बत्ती पंखा के लिये नहीं मिल पा रहा है। जले हुये ट्रांसफारमरों 25,63,100,200,250 हार्स पावर के जल्दी नहीं बदले जा रहे है इसलिये महीनों-महीनों विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती है। जनता व कृषक काफी परेशान हैं।

इसलिये इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार से उपरोक्त सामानों की सप्लाई मांग के अनुसार वाराणसी विद्युत परिषद् को करने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मृतक आश्रितों को जो इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण है, को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं रखा जा रहा है जबकि इस ओर शासन की स्पष्ट नीति है कि तत्काल समयोजित कर लिया जायेगा। इन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर बाद में शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा करने से मृतक आश्रितों को उसका सीधा लाभ भी मिल सकेगा। योग्यता अनुसार इन्हें अन्य पदों पर भी रखा जाना चाहिए।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा/वक्तव्य हेतु मैं नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

औचित्य के प्रश्न पर जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, सारी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*

उ० प्र० में दिल्ली सीमा से लगे कई सौ एकड़ क्षेत्रफल में बसी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को समुचित सुविधाओं से सम्पन्न ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में विकसित कराये जाने विषयक श्री सविन्दर सिंह बजवा आदि की याचिका †

श्री अध्यक्ष–

माननीय बालेश्वर त्यागी जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें। त्यागी जी आप याचिका प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं याचिका प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश में दिल्ली सीमा से लगे कई सौ एकड़ क्षेत्रफल में बसी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को समुचित सुविधाओं से सम्पन्न ट्रांसपोर्ट नगर के विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सविन्दर सिंह बजवा तथा श्री राजेन्द्र कुमार श्याल, निवासीगण गाजियाबाद यू०पी० द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली के अन्तर्गत ग्राम बरावां में स्थित हौदी तालाब जल निकासी हेतु पक्की ड्रेन बनवाने के सम्बन्ध में श्री रामधीरज मौर्य आदि की याचिका

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली के अन्तर्गत ग्राम बरावां में स्थित में हौदा तालाब के जल निकासी हेतु पक्की ड्रेन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम धीरज मौर्य तथा श्री सूरज पाल निवासीगण ग्राम बरावां बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" अपनी याचिका प्रस्तुत करें। वे अपनी याचिका प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमनगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था करने विषयक श्री राम लोटन तिवारी आदि की याचिका

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमनगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था करने के संबंध में श्री राम लोटन तिवारी तथा श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र निवासीगण प्रेम नगर आलमबाग, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप मेरी बांत को सुन तो लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष:

मैंने इन याचिकाओं को ले लिया है । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य बराबर अपनी बात को कहने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस पर सरकार की नीति स्पष्ट करा दें कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है । इसके अलावा पंचायती राज विधेयक पर आज चर्चा जारी करायी जाय ।

प्रदेश के चौदह विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

(घोर व्यवधान)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित चौदह विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय, मेरठ, कुमायूं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय-जौनपुर एवं आगरा विश्वविद्यालय) की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग–7 की मद (1) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित चौदह विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, कुमायूं विश्वविद्यालय, हेमवंती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय पूर्वान्चल विश्वविद्यालय–जौनपुर एवं

आगरा विश्वविद्यालय) की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग–7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 अप्रैल, 1994 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं :–

पहली सूचना श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की जनपद बाराबंकी के थाना सफदरगंज ग्राम दादरा में पुलिस द्वारा लूट और डकैती के संबंध में है ।

दूसरी सूचना डा० रामबाबू हरित, श्री छोटे लाल वर्मा की आगरा महानगर के सदर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम स्टेडियम किये जाने के संबंध में है ।

तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया, डा० मामचन्द्र लाम्बा, श्री रणधीर सिह की उपनिदेशक सूचना निदेशालय श्री शमशाद अहमद द्वारा अपनाई जा रही अनियमितताओं के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री बदन सिंह की आगरा जल निगम द्वारा वाटर टेक्नोलोजिकल मिशन आगरा को खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का घपला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

पांचवी सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरनपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री राकेश सचान, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री समरपाल सिंह, श्री जगवीर सिह की जनपद हमीरपुर की तहसील सदर के ग्राम छारी तथा जनपद कानपुर देहात की घाटमपुर तहसील के ग्राम मेड़ेपुर में आग लगने से हुई क्षति के संबंध में है ।

छठी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश सरकार द्वारा डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्रीकर बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं, गुप्त जी, तैयार हूं, कोई सुनने नहीं दे रहा है ।

सातवीं सूचना श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" की प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में वन अधिनियम एवं वन जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण जनजीवन में व्याप्त असुरक्षा एवं विकास कार्यों में उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की महमूदाबाद जिला सीतापुर में शत्रु सम्पत्ति की करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर धार्मिक स्थल निर्माण करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

नवीं सूचना श्री शिवदानी की जनपद इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र स्थित मनोरी विद्युत सब-स्टेशन से विद्युत कटौती रोकने एवं 20 एम०बी०ए० का टांसफारमर लगाये जाने के संबंध में।

दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री रंगनाथ, श्री अमरनाथ यादव, डा० सरजीत सिंह डंग की लेवी की चीनी के कोटे में की गई भारी कटौती से प्रदेश की जनता को हो रही घोर कठिनाई के संबंध में है।

इन सब पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

डंकल प्रस्ताव विषयक सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी को व्यवस्था पर सुन रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने माननीय प्रमोद जी का नाम लिया।

श्री अध्यक्ष–

आपको सुन लेंगे माननीय पाल जी, माननीय गुप्त जी का व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, विगत दिवस गैर सरकारी दिवस के मौके पर शलाका में एक संकल्प यह था कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह डंकल प्रस्ताव, जिसके माध्यम से किसानों की बर्बादी होने वाली है, उसको अमान्य कर दे। आपने इस सदन में बहस की थी ग्राह्यता पर उस पर कृपापूर्वक आपने कहा था कि अगले दिन के लिये तय करते हैं और व्यवस्था रिजर्व रखी थी, उस दिन आपके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्लेक्षण नहीं किया।

श्रीमुख से भी निकला था, अग्राह्य करने के बारे में, कि यह केन्द्रीय सरकार का सब्जेक्ट है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से संबंधित कुछ मामले गैरसरकारी दिवस पर, सिफारिश के रूप में इस आदरणीय सदन में चर्चा का विषय बने हैं। मैं इस बात पर इसलिये बल दे रहा हूं कि इससे आपको अपनी व्यवस्था देने में सहायता मिलेगी, इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एक मामले में माननीय सरदार सिंह ने एक संकल्प प्रस्तुत किया जो दिनांक 12-2-86 को प्रस्तुत हुआ और 5 सितम्बर, 1986 को मतदान में अस्वीकार हुआ.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आपकी बात तो अब आ गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप दृष्टान्त सुन लें। उस संकल्प का विषय था "यह सदन प्रदेश में लोकसभा/विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु केन्द्र सरकार से सबल संस्तुति करता है कि निर्वाचन अधिकारियों के पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर न्यायपालिका के न्यायाधीशों व न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया जाय।" यह इलेक्शन का मामला है, यह हमारे राज्य सूची में नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष ने इसलिये सुना क्योंकि यह लोक हित का व्यापक मामला था।

इसी तरह से विगत 29-10-92 को माननीय भारत सिंह रावत जी का एक संकल्प आया कि "यह केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम को सीमा तक संशोधित कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्य हो सके। उसी दिन एक दूसरा संकल्प माननीय श्री सुरेश प्रताप गांधी जी का आया कि यह केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि रसायनिक उर्वरकों के मूल्यों में हुयी असामान्य वृद्धि से कृषि उत्पादन में होने वाले ह्रास को रोकने के लिये फासफेटिक एवं उर्वरकों पर पूर्ववत राज्य सहायता जारी कर नियंत्रित मूल्य पर उर्वरक कृषकों को उपलब्ध कराया जाय।" इन तीन उदाहरणों के माध्यम से मैंने यह दर्शाने की चेष्टा की कि इस सदन में केन्द्र संघ सूची से संबंधित विषयों पर भी चर्चा होती रही है।

मान्यवर, एक पूर्व दृष्टान्त है, आप देख लें, उसमें दिया हुआ है, जब माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, उस समय उन्होंने भी अपनी भावना व्यक्त की थी। मान्यवर, हमारा निर्णय केन्द्र सरकार पर बाध्यकारक हो, इसलिये इस पर यहां चर्चा हो, विधान सभा का मत केन्द्रीय सरकार के पास जाये। मान्यवर, हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री प्रणव मुकर्जी मोरक्को पहुंच चुके हैं, कल वह अपना भाषण देंगें और परसों दस्तखत होंगे, इसलिये यह आवश्यक है कि इस सदन की भावना आज ही वहां पहुंचाई जाये, इसलिये मैंने अपनी बात पर बल दिया है कि आज के अलावा कोई दिन शेष नहीं है। मान्यवर, मैं तो कोशिश यही करता हूं कि नियमों के तहत काम किया जाय, लेकिन कभी-कभी बगावत भी फर्ज बन जाता है और डंकल जैसे घिनौने मसले पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी हिम्मत के साथ बढ़ेंगे क्योंकि कल देश के करोड़ों-करोड़ों किसानों की जिन्दगी बरबाद होने वाली है। मान्यवर, जनता दल के लोग भी इस पर अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं, सभी दल के लोग इस पर अपना मत व्यक्त करें और अन्त में जो सदन की राय हो, उसे वहां पहुंचा दिया जाय। आज हम भी देखना चाहते हैं कि

मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव डंकल के विरोध में है या नहीं। आज यह पता लग जायेगा कि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांतों में फर्क है कि नहीं।

डंकेल के मामले में समाजवादी पार्टी और बसपा की नीति क्या है, इसका भी आज पता लग जायेगा और दलों की नीति क्या है, यह भी स्पष्ट हो जायेगा। इसलिये मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है, आपने उस दिन अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। मेरे दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुये आज इस पर चर्चा करा दें, मैं आपको वचन देता हूं कि आप दल से एक-एक वक्ता को बुलवा दें, सभी की राय स्पष्ट हो जायेगी। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि पंचायत राज संशोधन विधेयक बहुत जरूरी है, जो सदन में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी की सांठगांठ व्यवस्था को ध्वस्त करने का यह भी काला संशोधन होगा, क्योंकि इसमें प्रधानों को बेहैसियत कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि पंचायत राज विधेयक पर भी चर्चा करें। पहले आप डंकल के मामले पर चर्चा करा लें, उसके बाद देर रात हम लोग इसके लिये बैठ लेंगे यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, डंकल जैसे घिनौने प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार 15 अप्रैल को हस्ताक्षर करने जा रही है, कल अवकाश का दिन है। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के परिणाम क्या होंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तमाम माननीय सदस्यों ने अपने मत भी रखे हैं और पहले जब यह मामला उठा था तो लगभग यह सदन इस मत का था कि अगर डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो गये तो यह देश गिरवी रख जायेगा और किसानों के गले में गुलामी का फन्दा पड़ जायेगा। इस मामले को हमारे दल ने नियम 311 और संकल्प के माध्यम से उठाया था और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी इसको उठाया था। आपने इस विषय पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा, यदि मान्यवर, आपका निर्णय सुरक्षित ही रहता है और हस्ताक्षर हो जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार जो घिनौना कार्य करने जा रही है, वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की भावना से अवगत नहीं हो पायेगी। मेरा निवेदन है कि जो निर्णय आपने सुरक्षित रख रखा है, उस निर्णय को दें और इस सदन की भावना से केन्द्रीय सरकार को अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपना निर्णय अभी दे दूंगा।

*श्री ऊदल–

मान्यवर, उदाहरण तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने रख दिये कि ऐसे भी यहां प्रस्ताव आये हैं जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित थे लेकिन उस पर यहां चर्चा हुई है और यहां से सिफारिशें भी भेजी गयी हैं। यदि कोई मामला जो विधान सभा के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है उस पर हम केन्द्रीय सरकार से सिफारिश कर सकते हैं हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, उसके साथ ही कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर हम यहां विचार नहीं कर सकते। लेकिन डंकल का जो प्रस्ताव है, जिस पर पूरे देश में जीवन के हर क्षेत्र में एक तहलका मचा हुआ है और उस पर इसी पन्द्रह अप्रैल को हस्ताक्षर भी होंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी साहब वहां हस्ताक्षर करने पहुंच भी गये हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह जो डंकल प्रस्ताव है, वह हमारे बौद्धिक सम्पदा को भी छूता है, उसका भी पेटेण्ट होगा, हमारे कृषि व्यवस्था और उसके उत्पादन के लिये जो बीज है, उसको भी छूता है, उसका बी पेटेण्ट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमारे किसानों को जो सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा मिलती थी उस पर कटौती शुरू हो जायेगी। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, वह भी उसके हवाले हो जायेंगे। शोध कार्य भी हमारे देश में नहीं हो पायेगा। वन सम्पदा जिससे जड़ी-बूटियां, दवायें पैदा करते हैं, उसके भी पेटेण्ट की जरूरत पड़ेगी। मान्यवर, यह पूरे देश और देश जनता के जीवन से सम्बन्धित है, हमारे देश की सार्वभौमिकता से सम्बन्धित है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। मान्यवर, इसके ऊपर चर्चा करायी जाय और इस सदन की भावना से भारत सरकार को अवगत कराया जाये ताकि हस्ताक्षर होने से पहले हमारी भावना वहां पहुंच सके। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

एक सदस्य–

क्या आप इस पर चर्चा करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं, व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, अभी जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा लेकिन इस बारे में दो राय नहीं है कि इस विषय पर यहां चर्चा की जा सकती है और केन्द्र सरकार को, इस सदन की मंशा क्या है, एक सिफारिश के रूप में अवगत कराया जा सकता है। मान्यवर, यह प्रश्न हमारे दल के द्वारा नियम 311 और संकल्प के जरिये भी उठाया गया जिस पर आपकी रूलिंग रिजर्व है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही थी और अपनी चिन्ता भी व्यक्त की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था, आप निश्चिन्त रहें, आप आराम से सदन में बैठे रहें, मेरी प्रधान मंत्री जी से बातें हो गयी हैं, उन्हें लिखकर भी दिया है कि इस डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले सारे देश के मुख्य मंत्रियों की एक मीटिंग बुलायी जाय और उस मीटिंग में इस पर विस्तार से चर्चा करायें यह डंकल प्रस्ताव किसानों का विरोधी है, गरीब जनता का विरोधी प्रस्ताव होगा उसको हम निकलवाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इससे नाराज हैं, जरूर मायूस होंगे क्योंकि उनकी बात को भी प्रधान मंत्री जी ने नहीं माना और न ही रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी चौदह करोड़ जनता की समस्या और उसकी चिन्ता की बात इस सदन में कहते हैं, प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है। क्या यह देश के हित में है, किसानों के हित में है ? कहते हैं कि हस्ताक्षर नहीं होंगे। मान्यवर, परसों हस्ताक्षर होने वाले हैं। किसानों के लिये आज जो चिन्ता है, सारा प्रयास विफल हो रहा है, यह वायरस की तरह फैलेगा। डंकल के बारे में हम समझते हैं यह भी समझते हैं किसान और गरीब जनता समझती है, आज का किसान यह सब समझ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल जी, आपका विचार आ गया।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, खेत हमारे हैं, देश हमारा है, पैदावार हमारी है, लेकिन क्या इसका मुनाफा विदेश को मिले। आज यह जरूरी है कि गरीब मुल्क में गरीब आदमी न हों, वह अपना इलाज कहां से करवायेगा, दवाइयां महंगी हो जायेंगी, जो कि बाहर से आयेंगी। मान्यवर, अमेरिका और हिन्दुस्तान में श्रम सस्ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं होगी।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपत्तिजनक बात नहीं कह रहा हूं। श्रम और पर्यावरण के बारे में भी देखें। इनको पेटेंट करना चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की राय को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के लिये व्यवस्था करें। अपनी रूलिंग दें, सुनकर आप अपनी व्यवस्था दें और इस सदन की राय से केन्द्र सरकार को अवगत करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सबको नहीं सुनूंगा। मैं सदन को नहीं सुनूंगा, तिवारी जी की पहले बात सुनूंगा, तिवारी जी की बात आ जाने दीजिये, मैंने तिवारी जी को बुलवा लिया है, आप लोग बैठ जायं।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर शोर/व्यवधान)

यहां पर जनता की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया जा रहा है, आप पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार प्रकट कर लीजियेगा, आप यह अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आप पंचायत राज विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप किसानों के हमदर्द हैं ? आप किसानों के हमदर्द नहीं हैं। मैं सबको नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

आप लोक किसान विरोधी काम कर रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप श्री तिवारी जी को बोलने दीजिये। नहीं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाकर फिर अपना निर्णय दे दूंगा। माननीय गुप्त जी आप एक माननीय सदस्य का नाम बता दें, मैं उसे सुन लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जितने माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उन्हें आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं सबको नहीं सुनूंगा। आप बोलें तो शान्ति और दूसरा बोले तो अशान्ति। आपका नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा, देहात की जनता का नुकसान होगा। आप नुकसान करना चाहते हैं। ग्रामीण जनता के दुःख-दर्द की आपको चिन्ता नहीं है।

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायती राज विधेयक पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। ये सदन में हंगामा खड़ा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यदि आप लोग नहीं बैठेंगे और श्री तिवारी जी को नहीं सुनूंगा तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवा रहा हूं। उसके बाद अपना निर्णय दे दूंगा।

(शोर जारी रहा)

माननीय लोक निर्माण संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कुछ कहना है ? मैं इस पर निर्णय कर दूं।

(संसदीय कार्य मंत्री का खड़े होने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप है कि हंगामा खड़ा करके पंचायती राज विधेयक पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। बिना चर्चा के उसे पारित कराना चाहते हैं। इसलिए यह ऐसा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के चलते रहते पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं अब आगे चल रहा हूं, आप लोग शान्त रहिये। ऐसा मत करिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी.....

(घोर व्यवधान)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यह जो गुप्त जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस संबंध में हमको इतना जरूर कहना है कि आज गुप्त जी नेता प्रतिप्रक्ष के पदका भी निर्वहन कर रहे हैं। अगर वह अपने व्यवस्था के प्रश्न पर गम्भीर हैं तो उन्हें अपने दल के सदस्यों को नियन्त्रित भी करना चाहिए, जो शोर मचा रहे हैं और किसी को सुन नहीं रहे हैं। अगर यह उनमें क्षमता नहीं है तो इस कुर्सी पर बैठने का उन्हें अधिकार नहीं है। आप भले ही अपने दल को नियन्त्रित दल कह रहे हों, लेकिन आज आपसे ज्यादा अनियन्त्रित और अनुशासनहीन कोई दल नजर नहीं आ रहा है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप सुन नहीं रहे हैं, मैं अभी खड़ा हूं।

(घोर व्यवधान)

(भाजपा, कांग्रेस, जनता दल और सत्ता पक्ष के काफी सदस्य खड़े रहे और बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगवाये कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं कांग्रेस पार्टी के इस रवैये का घोर प्रतिवाद करता हूं।

(कांग्रेस पार्टी के उपरोक्त नारे जवाब में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाये कि "खूब चलेगी" तथा सत्ता के दलालों की तानाशाही "नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।")

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों के साथ नया नारा लगवाया कि भारतीय जनता पार्टी की गुण्डागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सब लोग शान्त रहें, अनुशासित रहें। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह शान्त रहें। नेता लोग अपने सदस्यों को शान्त करें, आप शान्ति स्थापित करें।

(घोर व्यवधान)

यह जो संकल्प लाया गया है, ग्राह्य करने योग्य किसी तरह नहीं है, यह अग्राह्य किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायती विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या–14–पंचायती राज मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय–विचार जारी।

(व्यवधान के मध्य)

---

† दिनांक 12 अप्रैल, 1994 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य पंचायती राज विधेयक पर विचार रखना चाहेगा ?

पंचायती राज मंत्री अपना प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात नहीं सुनी गयी है । ऐसे सदन कैसे चल रहा है ? मैं इसका विरोध करता हूं और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचाय विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–124 तक अनुसूची 1 तथा अनुसूची–2, खण्ड–1 के प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधयक, 1994

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पारिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

चूंकि संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पारिषद् अधिनियम, 1961 का संशोधन संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 में सम्मिलित उद्देश्यों और दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए समीचीन है ;

अतएव भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

अध्याय–दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–26 सन् 1947 का सामान्य संशोधन

2–इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शीर्षकों, उप शीर्षकों और पार्श्वांकित शीर्षकों को सम्मिलित करते हुए, शब्द "गांव सभा", "गांव सभाओं, गांव सभायें", "गांव पंचायत", "गांव पंचायतों", "गांव पंचायतें", "क्षेत्र समिति", "क्षेत्र समितिया", "जिला परिषद्", "जिला परिषदों", "परिषद्" और "परिषदों" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम सभा", "गांव सभाओं, गांव सभायें", "ग्राम पंचायत", "ग्राम पंचायतों", "ग्राम पंचायतें", "क्षेत्र पंचायत", "क्षेत्र पंचायतों", "जिला पंचायत", "जिला पंचायतों" "जिला पंचायत," और "जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा–2 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,–

"(खख) 'पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है";

(ख) खण्ड (च), (छ) और (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख जायेंगे, अर्थात्,–

"(च) 'जिला पंचायत' का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (11) के अधीन इसके लिए दिया गया है ;

(छ) 'ग्राम सभा' का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समादिष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है ;

(ज) 'ग्राम पंचायत' का तात्पर्य धारा 12 के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत से है;"

(ग) इस प्रकार रखे गये खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्,–

"(जज) 'वित्त आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 348-झ के अधीन संघटित वित्त आयोग से है ;

(जजज) 'क्षेत्र पंचायत' का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधियिम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (6) के अधीन इसके लिए दिया गया है ;";

(घ) खण्ड (टट) और (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(ट ट) 'राज्य निर्वाचन आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है ;

(ठ) 'जनसंख्या' का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हैं ;

(ठ ठ) 'पंचायत क्षेत्र' का तात्पर्य धारा–11-च की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है ;

(ङ) खण्ड (थ) में, उपखण्ड (1) में, शब्द "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात्,–

ग्राम सभा

"3–राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थापित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाय वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

धारा 4 और 5 निकाला जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 4 और 5 निकाल दी जायेगी ।

नये अध्याय 2–क का बढ़ाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 5–क के पूर्व, निम्नलिखित अध्याय और शीर्षक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

अध्याय-2-क

ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली इत्यादि

धारा 5-क का प्रतिस्थापन

7–मूल अधिनियम की धारा 5–क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–

ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता

"5-क–कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि–

(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;

(ख) वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो;

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न, किसी स्थानीय प्राधिकारी, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो ;

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत करदिया गया हो ;

(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो ;

(च) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो ;

(छ) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ज) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(झ) उसे एसेंशियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 या यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो ;

(ञ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(ट) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ठ) उसे निर्वाचन संबंधी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ड) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो; या

(ढ) उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) या (4) के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गयी हो, या न्यूनतर अवधि जैसी कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) या (ड) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से, जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड) के अधीन अनर्हता न रह जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटायी जा सकती है ।''

8–मूल अधिनियम की धारा 5-ख निकाल दी जायेगी । धारा 5-ख का निकाला जाना

9–मूल अधिनियम की धारा 6 में,– धारा 6 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द ''गांव सभा का कोई सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''ग्राम पंचायत का कोई सदस्य'' रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "गांव सभा की निर्वाचक नामावली" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 8 में, पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए शब्द "गांव सभा" जहां कहीं भी आये हो, के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 9 और 9-क का प्रतिस्थापन

11–मूल अधिनियम की धारा 9 और 9-क के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

"9–(1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन, तैयार की जायगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जायगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी ।

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण–

(एक) किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायगाकि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा ।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर सें निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायगा ।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाय, विचार किया जायगा ।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारंण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा ।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक न हो; या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो ; या

(ग) निर्वाचनों संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो ।

(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायगा जिसमें वह दर्ज है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है ।

(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा ।

(7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी या छावनी से संबंधित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है ।

(8) जहां राज्य निर्वाचन आयोग का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पचात् यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविशिष्ट सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि या यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व, नहीं किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा ।

(9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाय ।

(10) राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से संबंधित निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबन्ध बना सकता है, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने का दिनांक और उसके प्रवर्तन की अवधि ;

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि ;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों की शुद्धि ;

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना–

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में गलती से सम्मिलित किया गया हो, या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो ;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण ;

(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन पत्र पर देय फीस ;

(छ) निर्वाचक नामावलियां तैयार और प्रकाशित करने से संबंधित सामान्यतया सभी विषय ।

(11) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गयी निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहां तक उसका संबंध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन के अन्तिम दिनांक

के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी :–

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नही ; या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना ।

मत देने इत्यादि का अधिकार

9–क इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, ग्राम पंचायत में या न्याय पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद परनिर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति किये जाने के लिए पात्र होगा :

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा ।"

धारा 11 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वांकित शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात्,–

12– मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

"ग्राम सभा की बैठकों और कृत्य" ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "(जो एतद्द्वारा रबी की बैठक कही जायेगी)" के पश्चात्, शब्द "जिनकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"(3) ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है–

(क) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिये गये उत्तर, यदि कोई हो;

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट ;

(ग) ग्राम समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि ;

(घ) ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम ;

(ङ) ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किये जायं ।

(4) ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक् विचार करेगी ।

(5) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्,–

(क) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना ;

(ख) ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान ;

(ग) ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना ।''

नये अध्याय 3–क का बढ़ाया जाना

13–मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय और शीर्षक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

''अध्याय 3–क ग्राम पंचायत''

धारा 11-क का प्रतिस्थापन

14–मूल अधिनियम की धारा 11-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान

''11–क (1) ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उप प्रधान होगा, जो क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ।

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य केपिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे ।

(4) प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद, जिसमें उपधारा (3) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे ।

(5) इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियत हो, आवंटित किये जायेंगे ।

(6) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रधानों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण :–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी ।"

धारा 11–ख का प्रतिस्थापन

15–मूल अधिनियम की धारा 11–ख के स्थान पर रख दी जायेगी, अर्थात्–

"11–ख (1) ग्राम पंचायत का प्रधान, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किया जायेगा ।

प्रधान का निर्वाचन

(2) यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में, प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, या तो–

(एक) प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे; या

(दो) प्रशासक नियुक्त कर सकता है ।

(3) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गये व्यक्ति, यदि कोई हों, ऐसे प्रधान या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जायेंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रशासनिक समिति या प्रशासक सम्यक् रूप से संघटित ग्राम पंचायत समझी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ग्राम पंचायत के सम्यक् रूप से संघटित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि जिस अवधि आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिये निर्वाचन कराने का निदेश दे सकती है।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

धारा 11-ग का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 11-ग में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(3) उप प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

धारा 11-घ, 11-ङ और 12 का प्रतिस्थापन

17-मूल अधिनियम की धारा 11-घ, 11-ङ, और 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्-

"11-घ-कोई व्यक्ति एक साथ-

कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबन्ध

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच न होगा, या

(ख) एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य न होगा, या

(ग) ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच न होगा, या

(घ) एक से अधिक ग्राम पंचायतों या न्याय पंचायतों में कोई पद धारण न करेगा,

और किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे पदों को भरने के लिए चुना गया हो, जिन्हें वह एक साथ धारण न कर सकता हो, एक के अतिरिक्त सभी पदों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों में की जा सकती है।

एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रतर रोक

11–ङ (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या

(ख) किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या उप प्रमुख है, या

(ग) किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, या

(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है।

(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसे अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थित ग्राम पंचायत के प्रधान या न्याय पंचायत के पंच पद पर नहीं रह जायगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रधान, सदस्य या पंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।

पंचायत क्षेत्र की घोषणा

11–च (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम या ग्रामों के समूह, जिनकी जनसंख्या, यथासाध्य, एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है :–

प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को, पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनों के लिए, विभाजित नहीं किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी या चमोली के पर्वतीय जिलों में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह की जनसंख्या एक हजार नहीं है तो राज्य सरकार ग्राम के केन्द्र से, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, पांच किलोमीटर के अर्धव्यास (दस किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को, यद्यपि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या अक हजार से कम हो, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय–

(क) किसी पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर, परिष्कार कर सकती है :

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है : या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

12–(1) (क) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत स्थापित की जायेगी।

ग्राम पंचायत

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

(ग) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और, किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या–

(एक) एक हजार हो, नौ सदस्य होंगे :

(दो) एक हजार से अधिक किन्तु दो हजार से अनधिक हो, ग्यारह सदस्य होंगे : या

(तीन) दो हजार से अधिक किन्तु तीन हजार से अनधिक हो, तेरह सदस्य होंगे : या

(चार) तीन हजार से अधिक हो, पन्द्रह सदस्य होंगे।

(घ) ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य, एक ही हो :

(ङ) पंचायत की प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जायगा।

(2) ग्राम पंचायत का सदस्य उस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायगा।

(3) (क) कोई ग्राम पंचायत, जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से पांच वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

(ख) किसी ग्राम पंचायत के संघटन के लिये निर्वाचन–

(एक) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व :

(दो) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व: पूरा कराया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि, जब तक कि ग्राम पंचायत बनी रह सकती थी, छः मास से कम हो, वहां ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिये इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(ग) किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संघटित की गई ग्राम पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये, जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत खण्ड (क) के अधीन बनी रहती, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बनी रहेगी।

(घ) ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जायगा जो नियत की जाय और तदुपरान्त ग्राम पंचायत को सम्यक् रूप से संघटित समझा जायगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के संघटन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जायं।

(4) ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।

(5) (क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे ।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुसार में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय ।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण :–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी ।

(6) प्रधान को ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जायगा ।"

धारा 12–क का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 12–क में, शब्द "किसी गांव सभा के" निकाल दिये जायेंगे ।

नई धारा 12–कक का बढ़ाया जाना

19–मूल अधिनियम की धारा 12–क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी,

अर्थात्–

"12–कक (1) ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान ऐसे भत्ते और मानदेय, जैसा कि नियत किया जाय, प्राप्त करेगा ।

प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के भत्ते

(2) प्रधान और उप प्रधान से भिन्न ग्राम पंचायत का सदस्य ऐसे भत्तों को, जैसा नियत किया जाय, प्राप्त करेगा ।"

धारा 12–ख का प्रतिस्थापन

20–मूल अधिनियम की धारा 12–ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

ग्राम पंचायत की बैठकें

12–ख (1) कार्य सम्पादन के लिये, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी किन्तु दो लगातार बैठकों ग्राम पंचायत की बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा ।"

(2) ग्राम पंचायत की बैठकें ऐसे स्थान पर, और ऐसी रीति से, आयोजित की जायेंगी, जैसी नियत की जाय।"

धारा 12-ख ख का प्रतिस्थापन

21-मूल अधिनियम की धारा 12-ख ख के स्थान पर, निमनलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्

"12-ख ख ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के ग्राम पंचायतकेनिर्वाचनोंकाअधिक्षणइत्यादि

निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।"

धारा 12-ख ग का संशोधन

22-मूल अधिनियम की धारा 12-खग में, -

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्-

"(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।"

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "निर्वाचन निदेशक (पंचायत)" के स्थान पर, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे।

धारा 12-ग का संशोधन

23-मूल अधिनियम की धारा 12-ग में, उपधारा (1) में, शब्द "गांव सभा के" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 12-घ का संशोधन

24-मूल अधिनियम की धारा 12-घ में, शब्द "गांव सभा के उप प्रधान" के स्थान पर, "ग्राम पंचायत के उप प्रधान" रख दिये जायेंगे।

धारा 12-ङ का संशोधन

25-मूल अधिनियम की धारा 12-ङ में, उपधारा (1) में, शब्द "गांव सभा का प्रत्येक सदस्य" के स्थान पर, शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" रख दिये जायेंगे।

धारा 12-छ, 12-ट और 13 का निकाला जाना

26-मूल अधिनियम की धारा 12-छ, 12-ट और 13 निकाल दी जायेंगी।

धारा 14 का संशोधन

27-मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में, शब्द "गांव सभा" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

28–मूल अधिनियम की धारा 15 और 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्– धारा 15 और 16 का प्रतिस्थापन

"15–ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृत्य पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्–

(एक) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है :–

(क) कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति ।

(ख) बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना ।

(दो) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण :

(क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेन्सियों की सहायता करना ।

(ख) भूमि चकबन्दी में सहायता करना ।

(तीन) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास :

(क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध सहायता करना ।

(ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन ।

(चार) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन :

(क) पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना ।

(ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति ।

(पांच) मत्स्य पालन :

गांवों में मत्स्य पालन का विकास ।

(छः) सामाजिक और कृषि वानिकी :

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण ।

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति ।

(सात) लघु वन उत्पाद :

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास ।

(आठ) लघु उद्योग :

(क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना ।

(ख) स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति ।

(नौ) कुटीर और ग्राम उद्योग :

(क) कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना ।

(ख) कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति ।

(दस) ग्रामीण आवास :

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(ख) आवास स्थलों का वितरण और उनसे संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण ।

(ग्यारह) पेय जल :

पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल संभरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिये जल संरक्षण के स्रोतों का विनियमन ।

(बारह) ईंधन और चारा भूमि :

(क) ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास और पौधों का विकास ।

(ख) चारा भूमि के अनियमित अंतरण पर नियंत्रण ।

(तेरह) सड़कें, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :

(क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण ।

(ख) जलमार्गों का अनुरक्षण ।

(ग) सार्वजनिक स्थलों पर से अतिक्रमण को हटाना ।

(चौदह) ग्रामीण विद्युतीकरण :

सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना ।

(पन्द्रह) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :

ग्राम में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण ।

(सोलह) गरीबी उपशमन कार्यक्रम :

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन ।

(सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं :

शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना ।

(अट्ठारह) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा :

ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति ।

(उन्नीस) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :

प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति ।

(बीस) पुस्तकालय :

पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण ।

(इक्कीस) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य :

(क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति ।

(ख) विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन ।

(ग) खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण ।

(बाईस) बाजार और मेले :

पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन ।

(तेईस) चिकित्सा और स्वच्छता :

(क) ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति ।

(ख) महामारियों के विरुद्ध रोकथाम ।

(ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम ।

(घ) छुट्टा पशु और पशुधन के विरुद्ध निवारक कार्यवाही ।

(ङ) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण ।

(चौबीस) परिवार कल्याण :

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन ।

(पच्चीस) आर्थिक विकास के लिये योजना :

ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना ।

(छब्बीस) प्रसूति और बाल विकास :

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना ।

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।

(सत्ताइस) समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है :

(क) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना ।

(ख) विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना ।

(अट्ठाइस) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना ।

(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन ।

(उन्तीस) सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण ।

(तीस) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :

सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण ।

योजना का तैयार करना

15.क–ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को, ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाय, प्रेषित करेगी ।

कृत्य जो कि ग्राम पंचायत को समुनिदेशित किये जा सकते हैं

16. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जायं, निम्नलिखित में से किसी या सभी कृत्यों को ग्राम पंचायतों को समनुदेशित कर सकती है, अर्थात्—

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण ;

(ख) पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चरागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था ;

(ग) किसी कर या भू-राजस्व का संग्रह और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण ।''

धारा 16-क का संशोधन

29. मूल अधिनियम की धारा 16-क में, शब्द ''गांव सभा'' के स्थान पर, शब्द ''ग्राम पंचायत'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 20 का संशोधन

30. मूल अधिनियम की धारा 20 में शब्द ''गांव सभाओं'', पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द ''ग्राम पंचायतों'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 25 का संशोधन

31. मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, शब्द ''गांव सभा'' के स्थान पर, शब्द ''ग्राम पंचायत'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 25-क का संशोधन

32. मूल अधिनियम की धारा 25-क में, शब्द ''ऐसी गांव सभायें'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी ग्राम पंचायतें'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 27 का संशोधन

33. मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (1) में,—

(क) शब्द ''गांव सभा'' के स्थान पर, शब्द ''ग्राम पंचायत'' रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 28-क का संशोधन

34. मूल अधिनियम की धारा 28-क में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) "शब्द" "प्रत्येक गांव सभा की" निकाल दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "गांव सभा की" के स्थान पर, शब्द "गांव पंचायत की" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "गांव सभा" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत रख दिये जायेंगे ।

धारा 28–ख का संशोधन

35. मूल अधिनियम की धारा 28–ख में, शब्द "गांव सभा", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 29 का संशोधन

36. मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्,–

"29 (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये निम्नलिखित समितियों को संघटित करेगी :–

समितियां

(क) निम्नलिखित से संबंधित कृत्यों के लिये समता समिति –

(एक) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की प्रोन्नति,

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का सामाजिक अन्याय से और किसी भी प्रकार से शोषण से संरक्षण; और

(तीन) महिलाओं और बच्चों का कल्याण और सामाजिक अन्याय और किसी भी रूप में शोषण से संरक्षण;

(ख) कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित कृत्यों के लिए विकास समिति ;

(ग) प्राथमिक शिक्षा की प्रोन्नति और विकास से संबंधित कृत्यों के लिए ग्राम शिक्षा समिति ; और

(घ) लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण से संबंधित कृत्यों और ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों के लिए लोकहित समिति ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति में एक सभापति और दो से अधिक और चार से अनधिक सदस्य होंगे । प्रधान विकास समिति, लोकहित समिति और ग्राम शिक्षा समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा और उप प्रधान समता समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा। समिति के अन्य सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, नियत रीति में, निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि समता समिति और ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला सदस्य और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य होगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों को कृषि के विकास या महिलाओं, युवकों या बालकों के कल्याण में लगे हुए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों से और अन्य इसी प्रकार के निकायों से सदस्यों को, ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, सहयोजित करने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि विकास समिति में पंचायत क्षेत्र में क्रियाशील सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि और ग्राम शिक्षा समिति में पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक विद्यालय या विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों में से तीन व्यक्ति भी नियत रीति से सहयोजित किये जायेंगे ।

(4) सहयोजित सदस्यों के अधिकार ऐसे होंगे जैसे नियत किये जायं।

(5) समितियां ऐसे कृत्यों का सम्पादन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, जैसी नियत की जाय, करेंगी ।

(6) ग्राम पंचायत अपने किन्हीं अन्य कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के लिये अन्य समितियां भी स्थापित कर सकती हैं और ऐसी समिति को अपनी ऐसी शक्तियां, जो ऐसी सहायता देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो, प्रतिनिहित कर सकती हैं ।"

धारा 30 का संशोधन

37–मूल अधिनियम की धारा 30 में, शब्द "गांव सभायें", "गांव सभा" और "सभा", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायतें", "ग्राम पंचायत" और "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 31 का हटाया जाना

38–मूल अधिनियम की धारा 31 निकाल दी जायगी।

धारा 32 का संशोधन

39–मूल अधिनियम की धारा 32 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "प्रत्येक गांव सभा के लिये एक गांव निधि" के स्थान पर, शब्द "प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक गांव निधि" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "गांव सभा" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–

"(ठ) राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां।"

नयी धारा 32-क का बढ़ाया जाना

40–मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

वित्त आयोग

"32-क (1) राज्यपाल संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर शीघ्र और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये और राज्यपाल को निम्नलिखित की बावत सिफारिशें करने के लिये एक वित्त आयोग का गठन करेगा :–

(क) सिद्धान्त जो निम्नलिखित को शासित करेंगे–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण जिसे उनके बीच वितरित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने-अपने अंशों का आवंटन;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान;

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक अध्युपाय;

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी अर्हतायें रखेंगे और ऐसी रीति से चयनित किये जायेंगे जैसी कि नियत की जाय।

(3) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा।

(4) वित्त अयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है किन्तु त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने तक अपने पद पर बना रहेगा।

(5) वित्त अयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि तक के लिये भरा जा सकता है।

(6) वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिये निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्–

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मांग सकता है;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति को बुला सकता है; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां, जैसी नियत की जायं।

(7) राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकारक के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।"

धारा 33 का संशोधन

41–मूल अधिनियम की धारा 33 में, शब्द "गांव सभा", "गांव सभायें" और "गांव सभाओं", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायत", "ग्राम पंचायतें" और "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 34, 35 और 36 का संशोधन

42–मूल अधिनियम की धारा 34, 35 और 36 में, शब्द "गांव सभा", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

43–मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "गांव सभा", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ठ) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए, हो और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।"

धारा 37-क, 37-ख और 37-ग का संशोधन

44–मूल अधिनियम की धारा 37-क, 37-ख और 37-ग में, शब्द "गांव सभा", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 39 का संशोधन

45–मूल अधिनियम की धारा 39 में, शब्द "गांव सभाओं" और "गांव सभा" के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायतों" और "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 40 का संशोधन

46–मूल अधिनियम की धारा 40 में, शब्द "गांव सभा" और "ऐसे अंतरालों पर और" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायत" और "प्रत्येक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 41 का प्रतिस्थापन

47–मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"41. प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, आगामी पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित किया जायेगा और ऐसी बैठक के लिये गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे के अधिक से होगी।"

ग्राम पंचायत का बजट

48. मूल अधिनियम की धारा 42 में, शब्द "गांव सभाओं" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का संशोधन

49. मूल अधिनियम की धारा 95 में–

धारा 95 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में –

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "जो किसी गांव सभा के स्वामित्व में हो, और जो किसी गांव पंचायत" के स्थान पर, शब्द "जो किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में हो और जो उसके" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खंड (च) में,–

(क) शब्द "निलम्बित, अधिक्रान्त अथवा" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "गांव सभा", जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा ;

(तीन) खंड (छ) में,–

(क) शब्द "गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या उसके किसी सदस्य को" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "गांव सभा के किसी पदाधिकारी को" निकाल दिये जायेंगे ;

(ग) अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई प्रधान या उप प्रधान ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, की गयी किसी जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य

अनियमितताओं का दोषी पाया जाय वहां ऐसा प्रधान या उप प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।" :

(चार) खण्ड (छछ) निकाल दिया जायगा ;

(पांच) खण्ड (ज) निकाल दिया जायेगा ;

(छः) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (1) में, शब्द "खण्ड (छ) या खण्ड (ज)" के स्थान पर, शब्द "या खण्ड (छ)" रख दिये जायेंगे ;

(सात) प्रतिबन्धात्मक खंड (2) निकाल दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (4) में,–

(एक) शब्द "गांव सभा" निकाल दिये जायेंगे :

(दो) शब्द "अधिक्रांत" के स्थान पर, शब्द "विघटित" रख दिया जायेगा।

50–मूल अधिनियम की धारा 97 में, शब्द "दस रुपये" और "एक रुपये" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "पांच सौ रुपये" और "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 97 का संशोधन

51–मूल अधिनियम की धारा 98 में, शब्द "दस रुपये" और "एक रुपये" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "पांच सौ रुपये" और "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 98 का संशोधन

52–मूल अधिनियम की धारा 99 में,–

(अ) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "गांव सभा की ऐसी ही, अन्य सम्पत्ति को गांव पंचायत की" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को उसकी" रख दिये जायेंगे :

(दो) शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे :

(ख) उप धारा (2) में, शब्द "गांव सभा" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

53–मूल अधिनियम की धारा 100 में, खण्ड (ख), में शब्द "दस रुपये" और "एक रुपये" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "पांच सौ रुपये" और "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 100 का संशोधन

54–मूल अधिनियम की धारा 107–क में, शब्द "और किसी गांव सभा, पंचायत" के स्थान पर, शब्द "और किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे। धारा 107–क का संशोधन

55–मूल अधिनियम की धारा 109–क में,– धारा 109–क का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "गांव सभा" के निकाल दिये जायेंगे :

(ख) शब्द "किसी ऐसे रजिस्टर में, जो" के पश्चात् शब्द "किसी ग्राम पंचायत या" बढ़ा दिये जायेंगे :

(ग) शब्द "गांव सभा के प्रधान" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत के प्रधान" रख दिये जायेंगे।

56–मूल अधिनियम की धारा 110 में,– धारा 110 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (14) में, शब्द "गांव सभा के स्थानीय क्षेत्र" के स्थान पर, शब्द "पंचायत क्षेत्र" रख दिये जायेंगे :

(दो) खण्ड (39) में, शब्द "गांव सभाओं" के स्थान पर शब्द "ग्राम सभाओं अथवा ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

57–मूल अधिनियम की धारा 112 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छ) में, शब्द "गांव सभा" के स्थान पर, "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे। धारा 112 का संशोधन

58–मूल अधिनियम की धारा 113 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्– धारा 113 का संशोधन

"(2) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किसी नियम, विनियम, उपविधि, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में, "गांव सभा" या "गांव पंचायत" के प्रति किसी निर्देश को "ग्राम पंचायत" के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

नई धारा 115, 116, 117, 118 और 119 का बढ़ाया जाना

59–मूल अधिनियम की धारा 114 के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

"115–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,–

कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले गांव सभा में निहित थीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, यथास्थिति, ग्राम पंचायत में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगी : तथा

(ख) पूर्वोक्त गांव सभा के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, यथास्थिति, उस ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे ।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई संपत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत में निहित हो गई है या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार ग्राम पंचायत का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, राज्य सरकार को नियत रीति से निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाय, अंतिम होगा ।

देय धनराशियां की जायेंगे

116–किसी गांव सभा को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में, ग्राम पंचायत द्वारा वसूल और, ग्राम पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये सक्षम होगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त गांव सभा करने या प्रारम्भ करने की अधिकारी होती ।

ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां

117–(1) किसी गांव सभा द्वारा या उसकी ओर से धारा 115 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गई सभी संविदाओं के संबंध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे उस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, ग्राम पंचायत द्वारा हुए अथवा किये गये हैं और तद्नुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(2) उक्त गांव सभा के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, ग्राम पंचायत को संक्रमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती ।

(3) उक्त गांव सभा के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथाव्यवहार, इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानो उसके प्रारम्भ किये जाने के समय ग्राम पंचायत विद्यमान थी ।

(4) उक्त गांव सभा द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त गांव सभा द्वारा या उसके विरुद्ध या उक्त गांव सभा के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय ग्राम पंचायत संघटित की जा चुकी हो ।

ग्राम पंचायतों के संगठन तक के लिये व्यवस्था

118–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायतों के संगठन तक की अवधि के दौरान, गांव पंचायत और उसके प्रधान, उप प्रधान और सदस्य क्रमशः ग्राम पंचायत और उसके प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सदस्य समझें जायेंगे ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

119-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।''

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1961 के दीर्घ शर्षक और उद्देशिका का संशोधन

60-उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, के दीर्घ शीर्षक और उद्देशिका में शब्द ''क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों'', जहां कहीं भी आये हों, और ''गांव सभाओं'' के स्थान पर, क्रमशः शब्द पंचायतों और जिला पंचायतों'' और ''ग्राम पंचायतों'' रख दिये जायेंगे ।

61–इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, मूल अधिनियम में, शीर्षकों, उपशीर्षकों, और पार्श्वांकित शीर्षकों को सम्मिलित करते हुए शब्द "गांव सभा", "गांव सभाओं", "गांव पंचायत", "गांव पंचायतों", "गांव पंचायतें", "क्षेत्र समिति", "क्षेत्र समितियों", "जिला परिषद्" (अन्तरिम जिला परिषद् के सिवाय), "जिला परिषदों", "परिषद्" और "परिषदों", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, क्रमशः शब्द "ग्राम सभा", "ग्राम सभाओं", ग्राम पंचायत", "ग्राम पंचायतों", "ग्राम पंचायतें", "क्षेत्र पंचायत", "क्षेत्र पंचायतों", "जिला पंचायत", "जिला पंचायतों", "जिला पंचायत", और "जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे। सामान्य संशोधन

62–मूल अधिनियम की धारा–2 में,– धारा 2 का संशोधन

(क) खण्ड (7) और (8) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(7) 'खण्ड' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र के पंचायत के पंचायत क्षेत्र से है :

(8) "पिछड़े वर्गों", 'ग्राम सभा', 'ग्राम पंचायत', 'सर्किल', 'राज्य निर्वाचन आयोग', 'वित्त आयोग' और 'जनसंख्या' के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं":

(ख) खण्ड (11) में शब्द 'तथा परिषद् का तात्पर्य' के स्थान पर शब्द 'का तात्पर्य' रख दिये जायेंगे:"

(ग) खण्ड (14) में, शब्द और अंक "कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 10" के स्थान पर, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20" रख दिये जायेंगे :

(घ) खण्ड (22) निकाल दिये जायेगा :

(ङ) खण्ड (23) में, शब्द "विज्ञापित दिनांक" के स्थान पर शब्द "अधिसूचना के जारी होने के दिनांक" रख दिये जायेंगे :

(च) खण्ड (34) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–

"(34) किसी खण्ड के संबंध में 'संघटक ग्राम पंचायत' का तात्पर्य उस ग्राम पंचायत से है जो उस खण्ड के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो" :

(छ) खण्ड (39) में शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे :

(ज) खण्ड (39) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्,–

"(40) 'पंचायत क्षेत्र' का तात्पर्य–

(क) किसी क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में, किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है, और

(ख) किसी जिला पंचायत के संदर्भ में, किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है"।

धारा 5, 6, 7 और 8 का प्रति स्थापन

63–मूल अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

क्षेत्र पंचायत की स्थापना और उसका निगमन

"5–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रतयेक खण्ड के लिये एक क्षेत्र पंचायत स्थापित करेगी जिसका नाम खण्ड के नाम पर होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत निगमित निकाय होगी।

6–(1) क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख, जो इसका पीठासीन होगा, और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,–

(क) खण्ड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान ;

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये, पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, दो हजार होगी :

(ग) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या भागतः खण्ड समाविष्ट है :

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख या उप प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रतयेक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायगा ।

स्थानों का आरक्षण

6–क–(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे और उस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो उस खण्ड में अनुसूचित जातियों की या उस खण्ड में अनुसूचित जनजातियों की या उस खण्ड में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस खण्ड की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे ।

(3) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे, और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी ।

क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली

6–ख–(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी ।

(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन तैयार की गई ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक

नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट हैं और किसी क्षेत्र पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

मत का अधिकार आदि

6–ग–इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय, क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्लचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और क्षेत्र पंचायत की सदस्यता या किसी पद के निर्वाचन के लिये अर्ह होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा ।

क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और उप-प्रमुख

7–(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जायेंगे ।

(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद में रिक्ति के होते हुए भी, प्रमुख और उप-प्रमुख के पद के लिये चुनाव किया जा सकेगा ।

प्रमुखों के पदों का आरक्षण

7–क–(1) राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से, ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण राज्य में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों के लिये ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रमुखों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण—यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

क्षेत्र पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल

8–(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, यदि इस अधिनियम के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपने प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) किसी क्षेत्र पंचायत के किसी सदसय का कार्यकाल, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो, क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

(3) किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिये निर्वाचन–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि, जिसके लिये वह बनी रहती, छः मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिये क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिये उस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर संघटित की गयी क्षेत्र पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित क्षेत्र पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

(5) कोई भी व्यक्ति जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (घ) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर सदस्य न रहेगा ।"

धारा 8-क का निकाला जाना

64–मूल अधिनियम की धारा 8–क निकाल दी जायेगी ।

धारा 10 का संशोधन

65–मूल अधिनियम की धारा 10 में उपधारा (2) और (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 11 का संशोधन

66–मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्,

"(1) प्रमुख, उप-प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है, जो प्रमुख की दशा में संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अन्य दशाओं में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को सम्बोधित होगा ।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "क्षेत्र समिति के कार्यालय में उसका नोटिस प्राप्त हो जाय" के पश्चात् शब्द "और यह समझा जायेगा कि ऐसे प्रमुख, उप-प्रमुख या सदस्य ने अपना पद रिक्त पर दिया है" बढ़ा दिये जायेगे ।

धारा 12 और 13 का प्रतिस्थापन

67–मूल अधिनियम की धारा 12 और 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

"12–यदि किसी प्रमुख, उप प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो उस रिक्ति की पूर्ति उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये यथास्थिति, धारा 6 या 7 में उपबंधित रीति से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को क्षेत्र पंचायत का शेष कार्यकाल छः मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी ।

क्षेत्र पंचायत के लिये अनर्हता

13–कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिये और उसका सदस्य होने के लिये अनर्हित के होगा यदि–

(क) उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो :

(ख) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 42 के अधीन स्थापित किसी न्याय पंचायत के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो ;

(ग) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो :

(घ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, या जिला पंचायत के अन्तगत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो :

(ङ) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो :

(च) वह किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो :

(छ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन बनाये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो :

(ज) उसे एसेंसियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 अथवा यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छह मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो ;

(झ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया गया हो :

(ञ) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो ;

(ट) उसे निर्वाचन संबंधी किसी अपसध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो ;

(ठ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो ;

(ड) उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि-व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो :

(ढ) धारा 23 के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण किया है और वह घोषणा प्रभावी बनी हो ; या

(ण) उसे क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ट) या (ठ) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, बक़ायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ङ) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं खण्डों के अधीन कोई अनर्हता नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा हटायी जा सकती है ।"

धारा 14 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 14 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "खण्ड (1), (2), (4) तथा (5) तक में से किसी" के स्थान पर शब्द "खंड (क)" रख दिये जायेंगे :

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का विधितः चुना गया सदस्य है अथवा नहीं या वह ऐसा सदस्य होने के लिये पात्र है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न न्यायाधीश को नियत रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम तथा बन्धनकारी होगा।"

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "या नहीं अनुमेलित किया गया था" निकाल दिये जायेंगे।

69–मूल अधिनियम की धारा 15 में– धारा 15 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में शब्द "क्षेत्र समिति के तत्कालीन सदस्यों" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों" रख दिये जायेंगे :

(ख) उपधारा (3) के खण्ड (2) में "क्षेत्र समिति के सदस्यों" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

70–मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्– धारा 16 का प्रतिस्थापन

"16–(1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या उप-प्रमुख का हटाया जाना प्रमुख या कोई उप-प्रमुख इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन जानबूझ कर नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है या मानसिक या शरीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गया है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति, प्रमुख या ऐसे उप-प्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में अध्यक्ष का परामर्श मागने और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय, तो इस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, ऐसे प्रमुख या उप-प्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है और ऐसा आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि–न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाय, किसी जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाय कि किसी प्रमुख या उप-प्रमुख ने वित्तीय और अन्य अनियमिततायें की हैं तो ऐसा प्रमुख या उप-प्रमुख अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नहीं करेगा और तब तक उन शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त क्षेत्र पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया प्रमुख या उप-प्रमुख अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र न होगा ।''

धारा 17 का संशोधन

71–मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें रख दी जायेंगी अर्थात्–

''(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिये एक जिला पंचायत, जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा, स्थापित करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी ।''

धारा 18, 19, 20 और 21 का प्रतिस्थापन

72–मूल अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

जिला पंचायत की रचना

जिला पंचायत रचना

''18–(1) जिला पंचायत एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा, और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

(क) जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख :

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे, और इस प्रयोजन के लिये पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, पचास हजार होगी :

(ग) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है ;

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा ।

स्थानों का आरक्षण

"18–क–(1) प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में, यथाशक्य, वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे ।

(3) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण—यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी ।

जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली

18-ख (1) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी ।

(2) जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट हैं और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन करने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

मत का अधिकार आदि

18-ग—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और जिला पंचायत की सदस्यता किसी पद के निर्वाचन के लिये अर्ह होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

19-(1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जायेंगे ।

(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पदों में किसी रिक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिये चुनाव किया जा सकेगा ।

अध्यक्षों के पदों का आरक्षण

19–क–(1)* राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से, यथाशक्य, वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों की, या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की या राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे पद चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों के लिये ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये अध्यक्षों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण :–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल

20–(1) प्रत्येक जिला पंचायत, यदि धारा 232 के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा ।

(3) किसी जिला पंचायत का संघटन करने के लिये निर्वाचन–

(क) उपधारा (11) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां शेष अवधि जिसके लिये वह बनी रहती छः मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिये जिला पंचायत का संघटन करने के लिये इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) किसी जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर संघटित की गई जिला पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित जिला पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती ।

(5) कोई भी व्यक्ति जो धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (घ) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर सदस्य न रहेगा ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल

21–इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायेगा और जिला पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।"

धारा 22 का संशोधन

73–मूल अधिनियम की धारा 22 में उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

धारा 23 का संशोधन

74–मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (1) में, शब्द "या अनुमेलित किये जाने" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 24 का संशोधन

75–मूल अधिनियम की धारा 24 में, –

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–

"(1) जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग करता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को सम्बोदित होगा और, जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को दिया जायेगा।" सम्बोधित

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय" के पश्चात् शब्द "और यह समझा जायगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है" बढ़ा दिये जायेंगे।

76–मूल अधिनियम की धारा 25 और 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्,—— धारा 25 और 26 का प्रतिस्थापन

"25–यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का पद मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय तो उस रिक्ति की पूर्ति उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये, यथास्थिति, धारा 18 या 19 में उपबन्धित रीति से की जायगी : आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को जिला पंचायत की शेष अवधि छः मास से कम हो, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी।

26–जो व्यक्ति धारा 13 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो, धारा 18 के अधीन सदस्य के रूप में अथवा धारा 19 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्ह होगा।" सदस्य या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हता

77–मूल अधिनियम की धारा 27 में,—— धारा 27 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उपधारा (1) के खण्ड (1), खण्ड (3), खण्ड (6), खण्ड (7)" के स्थान पर, शब्द "खण्ड (क)" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "अथवा अनुमेलित किया गया" निकाल दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "या अनुमेलित किये जाने" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

78–मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द "सदस्यों" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "निर्वाचित सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 में संशोधन

79–मूल अधिनियम की धारा 29 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाय" के पश्चात् शब्द "या अपने कर्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाय" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,–

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाय, किसी जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाय कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने वित्तीय और अन्य अनियमिततायें की हैं तो ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नहीं करेगा और तब तक उन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायगा।"

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी।

धारा 30 का निकाला जाना

80–मूल अधिनियम की धारा 30 निकाल दी जायगी।

धारा 31 का संशोधन

81–मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्,–

"(3) जहां राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन कोई कृत्य जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को सौंपती है तो वह निदेश दे सकती है कि सम्बद्ध विभाग का कोई कार्यक्रम, योजना या परियोजना भी, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को अन्तरित हो जायगी और उसका कार्यान्वयन उसके नियंत्रण में या उसके अधीन किया जायगा।"

82–मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (3) में, शब्द "गांव सभाओं" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे । धारा 34 का संशोधन

83–मूल अधिनियम की धारा 35 में,– धारा 35 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "टाउन एरिया कमेटियों तथा गांव सभाओं" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (1) में शब्द "गांव सभाओं" और "गांव सभा" के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायतों" और "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (2) में,

(एक) शब्द "किसी गांव सभा" के स्थान पर शब्द "किसी ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

(दो) शब्द "गांव सभा और उसकी" निकाल दिये जायेंगे ।

84–मूल अधिनियम की धारा 36 में,– धारा 36 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए शब्द "गांव सभा" और "गांव सभाओं" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायत" और "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे,

(ख) खण्ड (ख) निकाल दिया जायगा ।

85–मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (1) में, खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्– धारा 39 का संशोधन

"(1) अपर मुख्य अधिकारी,"

86–मूल अधिनियम की धारा 43 में,– धारा 43 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "जिसका प्रारम्भिक वेतन दो सौ रुपये प्रतिमास या उससे अधिक हो" के स्थान पर शब्द "जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द "जिनका प्रारम्भिक वेतन चालीस रुपये मासिक से कम हो, नियुक्तियां उस विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा की जायेंगी और चालीस रुपया मासिक से कम प्रारम्भिक वेतन वाले अन्य पदों पर" के स्थान पर शब्द "जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे" रख दिये जायेंगे ।

धारा 51 का संशोधन

87–मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (2) में, शब्द, "जिनमें वित्त अधिकारी सम्मिलित नहीं है" निकाल दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 63 का प्रतिस्थापन

88–मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–

जिला योजना तैयार करना

"(1) जिला पंचायत जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् जिले के लिये प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा नियत रीति से तैयार किया जायेगा और मुख्य अधिकारी उस योजना को नियोजन समिति के समक्ष रखेगा, जो उसके संबंध में ऐसी सिफारिशें कर सकती है जो वह उचित समझे ।

(3) अध्यक्ष योजना को नियोजन समिति की सिफारिशों सहित, यदि कोई हो, जिला पंचायत के समक्ष रखेगा जो उसे ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और इसे संविधान के अनुच्छेद 243-य घ में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक तक जो नियत किया जाय, प्रस्तुत करेगी " ।

धारा 64 का संशोधन

89–मूल अधिनियम की धारा 64 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(ग) शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य समिति,

(घ) कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति, और

(ङ) समता समिति ."

धारा 67 का संशोधन

90–मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (2) में, शब्द "वित्त समिति, के पश्चात्" शब्द "और शिक्षण एवं जन-स्वास्थ्य समिति" बढ़ा दिये जायेंगे ।

91–मूल अधिनियम की धारा 74 में शब्द "शिक्षा समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति तथा जन-स्वास्थ्य समिति" के स्थान पर शब्द "शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य समिति, कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति और समता समिति" रख दिये जायेंगे। धारा 74 का संशोधन

92–मूल अधिनियम की धारा 78 में, उपधारा (3) में, शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपर मुख्य अधिकारी" रख दिये जायेंगे। धारा 78 का संशोधन

93–मूल अधिनियम की धारा 81 में, खण्ड (ख) में शब्द "प्रशासन का अधीक्षण करें," के पश्चात् शब्द "तथा उसमें किसी त्रुटि को क्षेत्र पंचायत की जानकारी में लायें, और" रख दिये जायेंगे। धारा 81 का संशोधन

94–मूल अधिनियम की धारा 82 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्– धारा 82 का संशोधन

"(2) धारा (1) के अधीन प्रमुख द्वारा कोई आदेश किसी शक्ति के प्रयोग और किसी कर्तव्य या किसी कृत्य के सम्पादन के संबंध में कोई शर्त नियत कर सकता है या निर्बन्धन आरोपित कर सकता है।"

95–मूल अधिनियम की धारा 84 में,– धारा 84 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, शब्द "क्षेत्र" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "खण्ड" रख दिया जायेगा,

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

"(3) कोई बैठक आगामी या किसी पश्चातवर्ती दिन तक स्थगित की जा सकती है और इस प्रकार स्थगित बैठक इसी प्रकार आगे भी स्थगित की जा सकती है।

(4) प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर, जिसकी सम्यक् रूप से सूचना दी जा चुकी हो, होगी।"

धारा 86 का प्रतिस्थापन

96–मूल अधिनियम की धारा 86 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना

"86–(1) क्षेत्र पंचायत खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात्, खण्ड के लिये प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति खण्ड विकास अधिकारी, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत रीति से तैयार करेगी और इसे क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगी ।

(3) क्षेत्र पंचायत योजना पर विचार करेगी और इसे किसी परिष्कार के साथ या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है ।

(4) खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा यथा अनुमोदित योजना को जिला पंचायत को उस दिनांक से पहले जो नियत किया जाय, प्रस्तुत करेगा ।"

धारा 87 का संशोधन

97–मूल अधिनियम की धारा 87 में, उपधारा (1) में खण्ड 1–, 2– और 3–के स्थान निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(क) कार्य समिति,

(ख) वित्त एवं विकास समिति,

(ग) शिक्षा समिति, और

(घ) समता समिति ।"

धारा 88 का संशोधन

98–मूल अधिनियम की धारा 88 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा 87 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों में खण्ड के भीतर प्रत्येक सर्किल से एक सदस्य होगा जिसे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा ।",

(ख) शब्द "कार्यकारिणी," "उत्पादन समिति" और "क्षेत्र" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "कार्य समिति", "वित्त एवं विकास समिति" और "खण्ड" रख दिये जायेंगे :

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्,–

"(3-क) ज्येष्ठ उप-प्रमुख समता समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा;";

(घ) उपधारा (4) में शब्द "कल्याण समिति" के स्थान पर शब्द "शिक्षा समिति" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (5) में शब्द "तथा कल्याण समिति" के स्थान पर शब्द "शिक्षा समिति और समता समिति" रख दिये जायेंगे।

धारा 89 का संशोधन.

99–मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (1) में शब्द, उत्पादन समिति व कल्याण समिति" के स्थान पर शब्द "वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति के" रख दिये जायेंगे।

धारा 90 का संशोधन

100–मूल अधिनियम की धारा 90 में, उपधारा (1) में, शब्द "उत्पादन समिति या कल्याण समिति" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति या समता समिति" रख दिये जायेंगे।

धारा 91 का संशोधन

101–मूल अधिनियम की धारा 91 में,–

(क) शब्द "कार्यकारिणी समिति", "उत्पादन समिति" और "कल्याण समिति" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "कार्य समिति", "वित्त एवं विकास समिति" और "समता समिति" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "वित्त, करारोपण (टैक्सेशन) के पश्चात् शब्द, "आर्थिक विकास" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "शिक्षा" के स्थान पर शब्द "सामाजिक न्याय" रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"(3–क) शिक्षा समिति, शिक्षा क्षेत्र में के सुधार के संबंध में क्षेत्र पंचायत को उसके अधिकारों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेगी।"

धारा 95 का संशोधन

102–मूल अधिनियम की धारा 95 में,–

(क) खण्ड (7) में शब्द "तथा" निकाल दिया जायगा,

(ख) खण्ड (8) में शब्द "जिला संस्था अधिकारी" के स्थान पर शब्द "जिला संख्या अधिकारी ; और" रख दिये जायेंगे,

(ग) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(9) जिले के ऐसे अन्य अधिकारी जो अनुसूची–2 के भाग-क में विनिर्दिष्ट जिला पंचायत के किन्हीं कृत्यों के सम्बद्ध जिलों के प्रभारी है ;"।

धारा 97 का संशोधन

103–मूल अधिनियम की धारा 97 में, उपधारा (2) में, शब्द "कार्यकारिणी, उत्पादन समिति, कल्याण समिति" के स्थान पर शब्द " कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति" रख दिये जायेंगे ।

धारा 99 का संशोधन

104–मूल अधिनियम की धारा 99 में, उपधारा (1) में, शब्द "प्राप्त की गयी सभी धनराशि या" जहां कहीं भी आये हों, के पश्चात् शब्द "राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 110 का संशोधन

105–मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (1) में, शब्द "कार्य समिति" के पूर्व शब्द, "जिला पंचायत की" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 115 का संशोधन

106–मूल अधिनियम की धारा 115 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "कार्यकारिणी, उत्पादन समिति तथा कल्याण समिति के परामर्श से" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति के परामर्श से" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा, (2), (4) और (5) में शब्द "कार्यकारिणी" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द, "कार्य समिति" रख दिये जायेंगे ।

107–मूल अधिनियम की धारा 118 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्– धारा 118 का संशोधन

"(ग) जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त समिति से और क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति से बजट के संबंध में परामर्श करने की रीति :" ।

108–मूल अधिनियम की धारा 121 में, खण्ड (ख) में शब्द "छः सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "बारह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे । धारा 121 का संशोधन

109–मूल अधिनियम की धारा 122 में,– धारा 122 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "गांव सभाओं" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे ;

(ग) शब्द "क्षेत्र के निवासियों" के स्थान पर शब्द "पंचायत क्षेत्र के निवासियों" रख दिये जायेंगे ;

(घ) शब्द "उस गांव की गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

110–मूल अधिनियम की धारा 131 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्– नयी धारा 131-क का बढ़ाया जाना

"131-क-कोई क्षेत्र पंचायत, ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, निम्नलिखित का आरोपण कर सकती है–

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण

(क) जलकर, जहां पर वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिये, सिंचाई के लिये या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये पानी की व्यवस्था करने के लिये किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है ;

(ख) विद्युत्कर, जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है; और

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार, राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।"

धारा 133 का संशोधन

111–मूल अधिनियम की धारा 133 में, उपधारा (3) में, शब्द और अंक "100 रु०" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 141 का संशोधन

112–मूल अधिनियम की धारा 141 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए, शब्द "गांव सभाओं" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिया जायगा।

धारा 231 का संशोधन

113–मूल अधिनियम की धारा 231 में,–

(क) उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द "खण्ड (1) या खण्ड (3)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क)" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "यथास्थिति, प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट" के स्थान पर शब्द "प्रमुख" रख दिया जायगा;

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायगी;

(ग) उपधारा (5) में, शब्द "या अनुमेलित होने" और शब्द "या नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 232 का संशोधन

114–मूल अधिनियम की धारा 232 में,

धारा 32 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "अथवा अवक्रान्त" निकाल दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "या तो परिषद् को विघटित कर सकती है या आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये उसे अवक्रान्त कर सकती है।" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत को विघटित कर सकती है।" रख दिये जायेंगे।

115–मूल अधिनियम की धारा 233 में, खण्ड (क) में, शब्द "सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये उनकी पात्रता पर" के स्थान पर शब्द "सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिये उनकी पात्रता पर" रख दिये जायेंगे। धारा 233 का संशोधन

116–मूल अधिनियम की धारा 234 और 235 निकाल दी जायेंगी। धारा 234 और 235 का निकाला जाना

117–मूल अधिनियम की धारा 236 में,– धारा 236 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 225 से 230" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 225 से 233" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2), (3) और (4) निकाल दी जायेंगी।

118–मूल अधिनियम की धारा 240 में, शब्द "दो सौ पचास रुपये" और "दस रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक हजार रुपये" और "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 240 का संशोधन

119–मूल अधिनियम की धारा 264 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्– धारा 264-क और 264-ख का बढ़ाया जाना

"264-क–(1) जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और उप-प्रमुख ऐसे मानदेय और ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा नियत किया जाय।

मानदेय और भत्ते

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भिन्न जिला पंचायत के सदस्य और प्रमुख और उप-प्रमुख से भिन्न क्षेत्र पंचायत के सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा नियत किया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निर्वाचन की रीति और संचालन

264-ख–(1) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप-प्रमुख या किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा नियमों में दी गयी रीति से किया जायगा, जिनमें ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख के और उप प्रमुख के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों के समाधान की भी व्यवस्था होगी ।

(2) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप-प्रमुख या किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा ।"

धारा 266 का संशोधन

120–मूल अधिनियम की धारा 266 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"(2) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उप विधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी लेख्य या कार्यवाही में जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के उल्लेख का अर्थ यह किया जायगा कि वह क्रमशः जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का उल्लेख है ।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

121–मूल अधिनियम की धारा 267,268 और 269 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्– धारा 267,268 और 269 का प्रतिस्थापन

"267–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, और धारा 102 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,–

कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले जिला परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित थीं इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगी : तथा

(ख) पूर्वोक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, यथा स्थिति, उस जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के अधिकार, दायित्व और अभार हो जायेंगे ।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित हो गई है, या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, यथास्थिति, मुख्य अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाय, अन्तिम होगा ।

268–किसी जिला परिषद या क्षेत्र समिति को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा वसूल की जायेंगी और, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती । देय धनराशियां

269–(1) किसी जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या उसकी ओर से धारा 267 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गई सभी ऋण, आभार, संविधाएं तथा

विचाराधीन कार्यवाहियां

संविदाओं के संबंध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हो, या समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, यथा-स्थिति, जिला पंचायत, यह क्षेत्र पंचायत द्वारा हुए अथवा किये गये और तद्नुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(2) उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासंभव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती ।

(3) उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उसके प्रारम्भ किये जाने के समय, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत विद्यमान थी ।

(4) उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या उक्त जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, यथा-स्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत संघटित की जा चुकी हो । ''

122–मूल अधिनियम की धारा 271 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात्–

धारा 271 का प्रतिस्थापन

जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के संघटन के लिए व्यवस्था

"271–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,–

(क) इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायतों के संघटन तक की अवधि के दौरान, जिला परिषद् और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य क्रमशः जिला पंचायत और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और, जिला पंचायत और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जायेंगे;

(ख) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायतों के संघटन तक की अवधि के दौरान, क्षेत्र समिति और उसके प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य क्रमशः क्षेत्र पंचायत और उसके प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य के अधिकारों का प्रयोग कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र पंचायत और उसके प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे।

धारा 272 का संशोधन

123–मूल अधिनियम की धारा 272 में,–

(क) उप धारा (1) में, शब्द "आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम निश्चित दिनांक के पश्चात् बारह महीने की अवधि तक" के स्थान पर, शब्द "अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।"

अनुसूचियों का संशोधन

124–मूल अधिनियम में,–

(क) अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्–

" अनुसूची 1

(धारा 32 देखिये)

क्षेत्र पंचायतों के अधिकार और कृत्य

(1) कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है–

(क) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास ।

(ख) सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की प्रोन्नति ।

(2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण–

सरकार के भूमि सुधार, भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना ।

(3) लघु सिंचाई जल प्रबन्ध और जलाच्छदन विकास–.

(क) लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना ।

(ख) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन ।

(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन–

(क) पशु सेवाओं का अनुरक्षण :

(ख) पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार :

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुटपालन और सुअर पालन की प्रोन्नति ।

(5) मत्स्य पालन–

मत्स्य पालन के विकास की प्रोन्नति ।

(6) सामाजिक और फार्म वानिकी–

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण ।

(ख) सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति ।

(7) लघु वन उत्पाद–

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास ।

(8) लघु उद्योग–

(क) ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना ।

(ख) कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन ।

(9) कुटीर और ग्राम उद्योग–

कुटीर उद्योग के उत्पादों का विपणन ।

(10) ग्रामीण आवास–

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन ।

(11) पेयजल–

(क) पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना :

(ख) कलुषित जल को पीने से बचाना :

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना ।

(12) ईंधन और चारा भूमि–

(क) ईंधन और चारा से संबंधित कार्यक्रमों की प्रोन्नति :

(ख) पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ।

(13) सड़क, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन–

(क) गांवों के बाहर सड़कों, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण :

(ख) पुलों का निर्माण :

(ग)नौकाघाटों और जलमार्गों के प्रबन्ध में सहायता ।

(14) ग्रामीण विद्युतीकरण–

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोन्नति ।

(15) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों–

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी प्रोन्नति ।

(16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम–

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(17) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं–

(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास :

(ख) प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति ;

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा–

ग्रामीण शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की प्रोन्नति ।

(19) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा–

प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण ।

(20) पुस्तकालय–

ग्रामीण पुस्तकालयों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण ।

(21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य–

(क) सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण ;

(ख) क्षेत्रीय लोक गीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेलकूद की प्रोन्नति और आयोजन ;

(ग) सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास और प्रोन्नति ।

(22) बाजार और मेले–

ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों (जिसमें पशु मेला भी सम्मिलित है) की प्रोन्नति, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध ।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता–

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ख) महामारियों का नियंत्रण ;

(ग) ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(24) परिवार कल्याण–

परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।

(25) प्रसूति और बाल विकास–

(क) महिलाओं और बाल स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की सहभागिता के लिये कार्यक्रमों की प्रोन्नति ;

(ख) महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।

(26) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है–

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना ;

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण करना ।

(27) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–

(क) अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति ;.

(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली–

आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण–

सामुदायिक आस्तियों के परिरक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्गदर्शन करना ।

(30) नियोजन और आंकड़े–

(क) आर्थिक विकास के लिये योजनायें तैयार करना ;

(ख) ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण ;

(ग) खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना ;

(घ) सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा ;

(ङ) खण्ड योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों के संबंध में सामग्री एकत्र करना तथा आकंड़े रखना ।

(31) ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण–

(क) नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदानों का विवरण ;

(ख) ग्राम पंचायत के क्रिया-कलाप के ऊपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण ।

(32) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना ।"

(ख) अनुसूची 2 में, भाग-क के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिया जायगा, अर्थात–

"अनुसूची 2

भाग–क

(1) कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है–

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की अभिवृद्धि ;

(ख) गोदामों की स्थापना और उनका अनुरक्षण ।

(2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी तथा भूमि संरक्षण–

सरकार द्वारा सौंपे गये भूमि सुधार, भूमि संरक्षण तथा चकबन्दी कार्यक्रमों की योजनाओं का कार्यान्वयन ।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध तथा जल विकास ;

(क) लघु सिंचाई और अन्तर खण्ड जल परियोजनाओं का निर्माण और अनुरक्षण ;

(ख) जल वितरण का प्रबन्ध करना ;

(ग) भूमिगत जल का विकास ;

(घ) जलाच्छादन विकास ।

(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन ;

(क) पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ख) नस्लों का सुधार ;

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन तथा सुअर पालन की प्रोन्नति ।

(5) मत्स्य पालन ;

(क) सिंचाई कार्यों में मत्स्य पालन का विकास ;

(ख) मछुआरा कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(6) सामाजिक और फार्म वानिकी ;

(क) सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन वृक्षारोपण और रेशम उत्पादन की प्रोन्नति ।

(ख) बंजर भूमि का विकास ।

(7) लघु वन उत्पाद ;

लघु वन उत्पाद के कार्यक्रमों की प्रोन्नति और उनका क्रियान्वयन ।

(8) लघु उद्योग ;

लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की प्रोन्नति ।

(9) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग ;

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण ।

(ख) जिला स्तर पर पंचायत उद्योगों की स्थापना ।

(10) ग्रामीण आवास ;

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की प्रोन्नति और विकास ;

(ख) अनावासीय क्षेत्र में ग्रामीण आवास का कार्यान्वयन ;

(ग) सामुदायिक केन्द्रों और विश्रामगृहों का निर्माण ;

(घ) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये ग्रामीण आवास कार्य का अनुश्रवण ।

(11) पेय जल ;

(क) सार्वजनिक प्रयोग के लिये पीने के पानी का अनुरक्षण ;

(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण ।

(12) ईंधन और चारा भूमि ;

(क) ईंधन और चारा कार्यक्रमों का अनुश्रवण और विकास ;

(ख) ईंधन और चारा क्षेत्र के लिये पौधों का अनुरक्षण और विकास ;

(ग) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा विनियमित किये गये कार्यक्रमों का अनुश्रवण ।

(13) सड़क, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन ;

(क) जिले की ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और जलमार्गों का विकास और अनुरक्षण ।

(ख) नदी के किनारों का अनुरक्षण ;

(ग) सड़कों पर दिशाओं और चिन्हों को अंकित करना ;

(घ) सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में मदद करना ।

(14) ग्रामीण विद्युतीकरण ;

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के वितरण में मदद करना ;

(15) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत;

(क) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास ;

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यक्रमों में सहायता करना ।

(16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम ;

(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की योजना, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना ।

(ख) अन्य विभागों के साथ कार्यक्रमों का समन्वय ।

(17) शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं ;

(क) प्रारम्भिक, सामाजिक और माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण ।

(ख) जिले में सभी के लिये शिक्षा उपलब्ध कराना ।

(ग) जिले में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण ।

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ;

(क) तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुश्रवण ।

(19) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ;

प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन और कार्यान्वयन ।

(20) पुस्तकालय ;

(क) काण्ड स्तर और जिले में पुस्तकालयों और वाचनालयों का निर्माण और अनुरक्षण ।

(ख) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य ;

(क) सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति ;

(ख) क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण ;

(ग) विशेष अवसरों पर लोक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की व्यवस्था ।

(22) बाजार और मेले ;

(क) ग्रामीण बाजारों, मेलों (जिसके अन्तर्गत पशु मेले भी हैं) का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ;

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये बाजारों और मेलों से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता ;

(क) महामारियों के रोकथाम और नियन्त्रण में क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना और उपयुक्त रूप से वित्त पोषण करना ;

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध ;

(ग) पेय जल की सुविधायें उपलब्ध कराना ।

(24) परिवार कल्याण ;

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ।

(25) प्रसूति और बाल विकास ;

(क) प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ;

(ख) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति ;

(26) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है ;

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना ;

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं के समाज कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति ;

(27) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति ।

(ख) ऐसी जातियों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण ;

(ग) छात्रावासों की स्थापना और प्रबन्ध ;

(घ) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और उनका कार्यान्वयन ।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;

ग्रामीण वस्तुओं के वितरण का नियोजन और अनुश्रवण ।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ;

(क) विकास योजनाओं का समन्वय और एकीकरण ;

(ख) सामुदायिक आस्तियों का परीक्षण और अनुरक्षण ।

(30) नियोजन और आंकड़े ;

(क) आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना ;

(ख) क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय और एकीकरण ;

(ग) खण्ड और ग्राम स्तर पर योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना ;

(घ) सफलताओं और लक्ष्यों की नियत कालिक समीक्षा ;

(ङ) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त विषयों पर सामग्री संग्रह करना और आंकड़ों का अनुरक्षण

(31) सहायता कार्य ;

(क) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सहायता कार्यों और सहायता गृहों की स्थापना और उनका अनुरक्षण और दुर्भिक्ष और दुष्प्राप्यता के समय ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो आवश्यक समझी जाय ।

(ख) निर्धन गृहों, शरणालयों, अनाथालयों, बाजारों और विश्राम गृहों की स्थापना, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निरीक्षण । ;"

(ग) अनुसूची 3 में,–

(1) पहले स्तम्भ में निर्दिष्ट,

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9,11 (1), 36, 41 (3), 41 (4) और 41 (5) के सम्बन्ध में दूसरे और तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी ;

(2) शब्द "गांव सभा" और "गांव सभाओं" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायत" और "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(घ) अनुसूची 4 में,–

(1) पहले स्तम्भ में निर्दिष्ट धारा 36 (ख), 51 (3) और 86 (7) के सम्बन्ध में दूसरे और तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी ;

(2) शब्द "गांव सभा" [धारा 34 (1) के सम्बन्ध में दूसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के सिवाय] और "गांव सभाओं" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम पंचायत" और "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे ।

(3) धारा 43 (1) के सम्बन्ध में दूसरे स्तम्भ की प्रविष्टि में, शब्द "जिनका प्रारम्भिक वेतन 200 रुपये प्रतिमास या उससे अधिक हो" के स्थान पर शब्द "जिनका वेतनमान ऐसा हो जैसा सरकार निर्धारित करे" रख दिये जायेंगे ।

(4) शब्द "सार्वजनिक निर्माण समिति" और "जन स्वास्थ्य समिति" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः "कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति" और "शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य समिति" रख दिये जायेंगे ;

(5) अनुसूची 5 में,–

(1) धारा 43 (1) के सम्बन्ध में दूसरे स्तम्भ की प्रविष्टि में, शब्द "जिनका प्रारम्भिक वेतन दो सौ रुपये प्रतिमास या उससे अधिक हो" के स्थान पर शब्द "जिनका वेतनमान ऐसा हो जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, " रख दिये जायेंगे ;

(2) धारा 86 (5) के सम्बन्ध में दूसरे स्तम्भ की प्रविष्टि निकाल दी जायगी ;

(च) अनुसूची 6 में,–

(1) धारा 11 (1) के सम्बन्ध में दूसरे स्तम्भ की प्रविष्टि में शब्द "प्रमुख", निकाल दिया जायगा ;

(2) धारा 35 (1) के सम्बन्ध में दूसरे स्तम्भ की प्रविष्टि में, शब्द "गांव सभाओं" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(3) शब्द "कार्यकारिणी" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "कार्य समिति" रख दिये जायेंगे ;

(4) धारा 236 (4) (क) के सम्बन्ध में दूसरे स्तम्भ की प्रविष्टि निकाल दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–124 तक, अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डंकल प्रस्ताव विषयक सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन तो लें। अध्यक्ष महोदय आज डंकल के संबंध में माननीय उप नेता बी० जे० पी०, माननीय नेता जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और श्री राम आसरे वर्मा जी के विचार सुने। इस सन्दर्भ में, मैं सदन का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि यह केन्द्र का विषय है और संविधान की सातवीं सूची के अन्तर्गत यह विषय केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आता है। आज बदली हुई व्यवस्था है यह मानकर चलते हैं कि यहां का विषय नहीं है। इस पर अपने विचार भी रखे गये। आपने इस सन्दर्भ में अपनी रूलिंग रिजर्व कर रखी है। जब आप चर्चा करने के लिये कहेंगे तब उस पर चर्चा होगी। मेरा कहना है कि आज सोची समझी साजिश के तहत सदन को नहीं चलने दिया गया है। आज अल्पसूचित ता० प्रश्न सं०–1 दाम बांधों नीति का लगा था। महंगाई क्यों बढ़ रही है इस पर कैसे अंकुश लगाया जाय, इस पर चर्चा होनी थी। सरकार का जवाब आना था। हम सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकते थे लेकिन जानबूझकर सदन को अव्यवस्थित किया गया।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी है उसके बावजूद भी यह बीच में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं मानते हैं, तो मैं क्या करूं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सुन तो लीजिए।

श्री सत्यप्रकाश चिकल–

[x x x]

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, लिखा नहीं जायेगा ।

आप कुछ सुनेंगे नहीं, तो यह तो कोई बात नहीं हुई आप कहिए भी और सुनिए भी ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

डंकल के ऊपर चर्चा नहीं की गई ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन नहीं रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य विधेयक बिना विचार किए पारित हो जाय यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी की बात तो सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जब आप नाम पुकारेंगे तब यह लोग खड़े हो जाते हैं यह लोकतांत्रिक तरीका है अपनी बात कहने का साहस रखना चाहिए और दूसरे की बात सुननी चाहिए । यह दूसरे की बात धैर्य से नहीं सुनते हैं यह लोकतंत्र नहीं है ।

(व्यवधान)

यह माना जायेगा कि कल पंचायती राज्य विधेयक पेश हुआ हमने अपनी तरफ से राय दी कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

यह कौन सी परम्परा है कि जिसको अनुमति दें उसकी बात के बीच में व्यवधान किया जाए । हमारे पक्ष का कोई भी सदस्य व्यवधान नहीं कर रहा है, जनता दल का कोई सदस्य व्यवधान नहीं कर रहा था, कांग्रेस के लोग टिप्पणी नहीं कर रहे थे । आपको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, यदि यह साहस, संयम नहीं है तो आपको लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाला नहीं माना जायेगा ।

(व्यवधान)

जो बात हम कहेंगे । तो तर्क करने का मौका आपको मिलेगा, यदि वह तर्कसंगत नहीं है तो आप तर्क करें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अपने शासन की नीति रखें अनावश्यक टिप्पणी न करें।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जानबूझकर साजिश के तहत "हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और" यह टिप्पणी इन्होंने की।

(व्यवधान)

इनकी आज जो डंकल के बारे में बगुला भगत की शक्ल है उसको सदन के सामने रखते। डंकल के बारे में जो गुप्त जी ने प्रश्न उठाया, उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से गंभीर हैं और इस पर अपने विचार रखते। श्रीमन् यह लोग दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायती राज विधेयक के अन्तर्गत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसमें यह लोग किसी तरह से व्यवधान डालना चाहते हैं और इस पर बहस का साहस नहीं कर पा रहे हैं। आपने मा० प्रमोद जी को बुला लिया है लेकिन यह उनको सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए बीच-बीच में खड़े होकर व्यवधान डाल रहे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। अनुकूल नहीं। यह लोग यह सब एक साजिश के तहत यह कर रहे हैं और सदन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया और मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

आप यह बताइए कि क्या आप तिवारी जी को सुनना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्यों कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण समय जिसमें अनेक सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव आने हैं इसको यह लोग व्यवधान पैदा करके बरबाद कर रहे हैं। आपकी इस संबंध में जो रूलिंग होगी वह तो रिजर्व होगी। लेकिन आज तीन-चार महत्वपूर्ण विषय लगे हैं। दाम बांधों और मंहगाई के ऊपर हम इस सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे। जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर हम सरकार को एक्सपोज कर सकते थे लेकिन यह लोग इसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं। पंचायती राज विधेयक सरकार

को २३ तारीख के पहले पारित कर देना है । आज विधान सभा का अन्तिम दिन है । अगर यह यहां पारित नहीं होता है तो विधान परिषद् अभी बैठेगी नहीं । अगर इस पर चर्चा होती तो तीन बिन्दु खुलकर सामने आते । एक बिन्दु आता कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ों और महिलाओं को इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो अब तक इसके पहले कभी नहीं हुआ । महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पहली बार हो रही है । इसमें पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण है । यही 33 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 21 प्रतिशत आरक्षण भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहे हैं व्यवधान पैदा करने के लिए । दूसरे आज अनुसूचित जाति/जनजाति एवं कमजोर तबके के लिए ।..

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान ।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया, माननीय तिवारी जी, आपकी बात आ गयी ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इनका दोहरा चरित्र है। पंचायती राज संशोधन विधेयक के संबंध में इन्होंने कोई भी संशोधन नहीं दिया है और यह पंचायती राज विधेयक की बात करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर 2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अन्तिम बात कह रहा हूं । जहां तक डंकल प्रस्ताव का सवाल है इस संबंध में, मैं एक राज की बात बताना चाहता हूं (शोर) मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं उनके चेहरे की नकाब उतार देना चाहता हूं जो नकाब लगाये बैठे हैं । डंकल प्रस्ताव पर हमारी पार्टी का अकेले समर्थन नहीं है, सबसे ज्यादा समर्थन, विदेश की धरती फ्रांस और अमेरिका में उस पार्टी के नेता ने दिया था जिस पार्टी के नेता अमेरिका के चंदे पर चुनाव लड़ते हैं । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप इस तरह की बातों के लिये अनुमति दे रहे हैं । व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर चर्चा क्यों करा रहे हैं ? (शोर)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

यह देश को बेचने वाले लोग हैं ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कांग्रेस दल के नेता ने एक बात स्पष्ट कर दी कि कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही हैं, यह बात श्री प्रमोद तिवारी जी ने साफ कर दी।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

यह लोग खुद बिके हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी समाप्त करिये, अब आपकी बात आ गयी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजियेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

इनकी साजिश है, मान्यवर, आज ये चाहते नहीं है कि बजट पर चर्चा हो।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

(घोर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें। अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे, तो मैं यह समझूंगा कि मेरे प्रति न्याय नहीं होगा।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, दो मिनट का समय मुझे दे दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप बैठियेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

अभी मान्यवर, मै बोल कहां पाया हूं।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जनता दल के सदस्य अनुशासित हैं मान्यवर, आज के दिन अब सदन में रही ही क्या गया है। डंकल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, पंचायत राज जिस पर चर्चा होनी थी वह होने नहीं दी गयी, तो अब इस तरह से सदन में रह ही क्या गया है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दें

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से न तो हम कोई बात कह सकेंगे और न आपकी कोई बात ही सुन सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

डंकल प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाय।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरी बात को आप पूरी हो जाने दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, यह आपको धमकी दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं सम्पूर्ण सदन से अपेक्षा करूंगा कि आज सदन में पंचायत राज विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ है और उसमें कुछ अंश शेष रह गया है। मैं चाहता हूं कि जो जनता से जुड़ा हुआ है उस पर भी चर्चा हो जाने दीजिये शांति धारण करके। तिवारी जी की बात आ गयी, भारतीय जनता पार्टी के गुप्त जी की बात आ गयी, जनता दल की और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ऊदल जी की भी बात आ गयी है। अब मैं समझता हूं कि तिवारी जी की बात पूरी तरह से आ चुकी है और कोई बात शेष नहीं रह गयी है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप एक मिनट बोल लें उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

दीक्षित जी आप बैठ जायं और माननीय तिवारी जी को बोल लेने दें। कृपा करके आप आसन ग्रहण करें और एक मिनट सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिएगा तो सदन व्यवस्थित हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं यह स्पष्ट करूंगा कि केन्द्र में अल्पमत की सरकार है, विभिन्न दलों ने सहयोग दिया है, साम्प्रदायिकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी, जनता दल ने समर्थन दिया है, खुली आर्थिक नीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, जिसमें डंकल भी शामिल हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि पंचायती राज पर चर्चा न हो, दाम बांधों नीति पर चर्चा न हो। (व्यवधान) जिस बेहूदे आचरण के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने बेहूदा आचरण किया था, उसके कारण आज चर्चा नहीं हो पा रही है।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर अपनी बातें करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया),

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बेहूदी बातें कही गयी हैं....

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमागत)

पंचायती राज मंत्री (श्री रामलखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 14,22,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे "तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी", "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी")

श्री अध्यक्ष–

क्या कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे ? कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ।

कोई पेश नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 14,22,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान, संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध, विभाग, (पशुधन)

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 73,52,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 73,52,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–17 कृषि तथा, अन्य सम्बद्ध विभाग, (मत्स्य)

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 10,86,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 10,86,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजबहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 43,56,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 43,56,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजबहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 77,98,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 77,98,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजबहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,49,86,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,49,86,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजबहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग

(जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,40,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहेंगे ।

(कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,40,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजबहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 6,16,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहेंगे ?

(कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 6,16,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 अप्रैल, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री रंगनाथ की जनपद वाराणसी के औराई चीनी मिल द्वारा फर्जी गन्ना भुगतान तथा अनावश्यक रूप से लाखों रुपये के खर्च किए जाने के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री बदन सिंह की जनपद आगरा की नगर पालिका, अछनेरा की अव्यवस्था से सीवर लाइन तथा जलोत्सारण योजना के ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री मातवर सिंह कंडारी की प्रदेश का सम्पूर्ण उत्तरांचल क्षेत्र सूखे की चपेट में आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

चौथी सूचना श्री दल बहादुर कोरी की प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नतियों के लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पांचवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद–उन्नाव के पक्षी बिहार, नवाबगंज (वन विभाग वन्य जन्तु) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग करने तथा सरकारी सम्पत्ति की हेराफेरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

छठीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा की जनपद–गाजीपुर के मरदह थानान्तर्गत ग्राम सभा कड़री (घुरहा बन्धा) में श्री श्रीनारायण सिंह की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह एवं श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) जी की, दि किसान सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड, अनूपशहर जनपद–बुलन्दशहर के प्रधान प्रबन्धक द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री राकेश सचान की जनपद–कानपुर (देहात) की तहसील–घाटमपुर के ग्राम–धरछुआ के अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री चैतू चमार की कृषि योग्य आवंटित भूमि पर कुआं योजना के अन्तर्गत दोषपूर्ण सरकारी कुएं के निर्माण के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया की जनपद–मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर की अधूरी पेयजल योजना को पूरा कराये जाने के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

श्री प्यारे लाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम नगलानिधि, थाना रामघाट, जनपद बुलन्दशहर के साथ पुलिस द्वारा अत्याचार विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, दिनांक 13-1-94 को शंकर सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी–नगलानिधि, थाना रामघाट के बारे में थाना राम घाट पर यह सूचना दी गयी कि वह नलकूप पर गया था और अब तक वापस नहीं आया। उक्त सूचना के आधार पर थाना रामघाट पर गुमशुदगी दर्ज की गयी और जांचोपरान्त दिनांक 16-1-94 को गुमशुदगी को अप० सं०–4/94 धारा 364 भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया तथा पुनः दिनांक 2-2-94 को धारा 364 ए भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया।

श्री अध्यक्ष–

यदि आप लोगों की अनुमति हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[.....अपहृत शंकर सिंह के बहनोई यादराम के कथनानुसार भूरा यादव पुत्र गेंदा लाल निवासी मूंडाखेड़ा थाना रामघाट ने अपहृत को छोड़ने के लिए रु० 50,000/- की फिरौती की मांग की थी और इसमें एक्टर पुत्र ढाल सिंह निवासी नगलानिधि थाना रामघाट एवं राजू उर्फ राजवीर पुत्र गिरिराज निवासी मानगढ़ी थाना अतरौली (अलीगढ़) का हाथ बताया। बाद में दिनांक 2-2-94 को अपहृत शंकर सिंह को थाना रामघाट की पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद गंगा नदी के खादर से छुड़ाया गया परन्तु अभियुक्तगण भागने में सफल हो गये अपहृत शंकर सिंह ने विवेचक को यह बयान दिया था कि उसके गांव के एक्टर की फिरौती में साजिश थी और श्री प्यारे लाल भारतीय उसका सहयोगी है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान डम्बर पुत्र बाबूराम, राजू उर्फ राजवीर, एक्टर पुत्र ढाल सिंह, भूरा यादव पुत्र गेंदा लाल एवं प्यारे लाल भारतीय पुत्र अंगनलाल निवासी नगलानिधि थाना रामघाट का इस अभियोग में लिप्त होना पाया गया। इन सभी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गयी। बाद में इस प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को सौंपी गयी जिनके द्वारा इस अभियोग में विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 13-3-94 को रोक दिया गया एवं अग्रिम विवेचना थाना प्रभारी डिवाई श्री जे० के सिंह को आवंटित कर दी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ने सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के उपरान्त यह निष्कर्ष दिया है कि अब तक की जांच से कोई भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध न होने एवं कतिपय मुख्य साक्षियों के कथन हेतु उपलब्ध न होने के कारण श्री प्यारे लाल भारतीय को उपरोक्त अपराध संख्या–4/94 धारा 364 ए भा० दं० वि० में झूठा फंसाने अथवा न फंसाने के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। उक्त प्रकरण से क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का भय, रोष एवं असन्तोष अथवा आक्रोश व्याप्त नहीं है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। दिनांक 18-04-1994 को पुनः पूर्वाह्न 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 40 मिनट पर सोमवार दिनांक 18 अप्रैल, 1994 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

13 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

संलग्नक

कार्य	वर्षवार अवमुक्त धनराशि			परियोजना की स्थिति		
	90-91	91-92	92-93	पूर्ण	अपूर्ण	स्थिति
जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत						
10 सम्पर्क मार्ग	4.50	6.50	11.20	पूर्ण	–	–
127 पुलिया निर्माण	—	8.07	8.20	91	36	धनभाव
9 बन्धी	1.48	10.00	5.12	8	1	पूर्ण कराया जा रहा है।
3 बाउन्ड्रीवाल	—	6.43	5.76	पूर्ण	–	—
3 अम्बेडकर ग्राम में खड़न्जा निर्माण	—	—	4.65	पूर्ण	–	—
	5.98	31.00	34.93			
दस लाख कूप योजना अन्तर्गत						
78 बन्धी	49.04	125.49	102.47	45	33	पूर्ण कराया जा रहा है।
44 सिंचाई कूप	3.60	2.49	0.87	43	1	पत्थर के कारण
20 तालाब	5.50	7.58	5.21	19	1	—
2 चेकडैम	2.50	4.78	6.77	पूर्ण	–	—
	60.64	140.34	115.32			
पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत						
1 सम्पर्क मार्ग		18.00	33.33	–	अपूर्ण	धनाभाव

पी० एस० यू० पी०–एल–103 विधान सभा (156)–813–1994 डी० टी० पी० ।